ISSN : 2321-0443
UGC Care list Journal

अंक – 72

सत्यमेव जयते

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेषांक

(अक्तूबर-दिसंबर 2021)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार
COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
GOVERNMENT OF INDIA

ISSN : 2321-0443
UGC Care list Journal

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेषांक

अंक - 72

(अक्तूबर –दिसंबर 2021)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
GOVERNMENT OF INDIA

'ज्ञान गरिमा सिंधु' एक त्रैमासिक विज्ञान पत्रिका है। पत्रिका का उद्देश्य है- हिंदी माध्यम से विश्वविद्यालयी व अन्य छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान संबंधी उपयोगी एवं अद्यतन पाठ्य पुस्तकीय तथा संपूरक साहित्य की प्रस्तुति। इसमें वैज्ञानिक लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, शब्द-संग्रह, शब्दावली-चर्चा, पुस्तक-समीक्षा आदि का समावेश होता है।

लेखकों के लिए निर्देश

1. लेख की सामग्री मौलिक, अप्रकाशित तथा प्रामाणिक होनी चाहिए।
2. लेख का विषय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित होना चाहिए।
3. लेख सरल हो जिसे विद्यालय/महाविद्यालय के छात्र आसानी से समझ सकें।
4. लेख लगभग 2000 से 3000 शब्दों का हो। कृपया टाइप किया हुआ या कागज के एक ओर स्पष्ट हस्तलिखित लेख भेजें जिसके दोनों तरफ हाशिया भी छोड़ें।
5. प्रकाशन हेतु भेजे गए लेख के साथ उसका सार भी हिंदी में अवश्य भेजें। लेख में आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का ही प्रयोग करें तथा प्रयुक्त तकनीकी/वैज्ञानिक हिंदी शब्द का मूल अंग्रेजी प्रर्याय भी आवश्यकतानुसार कोष्ठक में दें।
6. श्वेत-श्याम या रंगीन फोटोग्राफ स्वीकार्य हैं।
7. लेख के प्रकाशन के संबंध में संपादक का निर्णय ही अंतिम होगा।
8. लेखों की स्वीकृति के संबंध में पत्र व्यवहार का कोई प्रावधान नहीं है। अस्वीकृत लेख वापस नहीं भेजे जाएंगे। अतः लेखक कृपया टिकट-लगा लिफाफा साथ न भेजें।
9. प्रकाशित लेखों के लिए प्रोत्साहन के तौर पर आयोग के नियमानुसार मानदेय दिया जायेगा। भुगतान लेख के प्रकाशन के बाद ही किया जाएगा।
10. कृपया लेख की दो प्रतियां निम्न पते पर भेजेः
    संपादक, ज्ञान गरिमा सिंधु
    वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
    पश्चिमी खंड - 7, रामकृष्णपुरम्
    नई दिल्ली - 110066
11. समीक्षा हेतु कृपया पुस्तक/पत्रिका की दो प्रतियाँ भेजें।

सदस्यता शुल्क

सदस्यता अवधि	सदस्यता प्रकार सामान्य ग्राहक/संस्थानों के लिए
प्रति अंक	₹ 14
1 वर्ष	₹ 50
5 वर्ष	₹ 250
10 वर्ष	₹ 500
15 वर्ष	₹ 750
20 वर्ष	₹ 1000

कॉपीराइट CSTT©2022
ई-संकरण [**ISSN:2321-0443**]
वेबसाइट : http://www.cstt.educatlon.gov.ln

बिक्री हेतु पत्राचार का पता :

सहायक निदेशक, बिक्री एकक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, सेक्टर-1
नई दिल्ली-110066
दूरभाष: +91-11-26105211- Ext.No-252,+91-11-20867170
फैक्स: 011-26101220

बिक्री स्थान :

प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग,
भारत सरकार, सिविल लाइन
दिल्ली-110054
प्रकाशक :
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार
पश्चिमी खंड-7 रामाकृष्णापुरम, सेक्टर -1
नई दिल्ली-110066

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने है। संपादक मंडल की इनसे सहमति अनिवार्य नहीं है।

परामर्श एवं संपादन मंडल

प्रधान संपादक

प्रो.एम.पी.पूनियां

अध्यक्ष

संपादक

श्रीमती चक्प्रम बिनोदिनी देवी

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (पत्रकारिता)

प्रकाशन व्यवस्था

डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल

सहायक निदेशक

ई-प्रकाशन व्यवस्था

श्री शिवकुमार चौधरी

सहायक निदेशक

श्रीमती चक्प्रम बिनोदिनी देवी

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (पत्रकारिता)

मर्सी ललरोह्लू हमार

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन)

संपादक मंडल

प्रो. राम मोहन पाठक
वरिष्ठ पत्रकार एवं भूतपूर्व कुलपति
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा
चेन्नई

प्रो. रमा
प्राचार्या, हंसराज कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

प्रो. अन्नपूर्णा चर्ल
हिंदी विभाग, मानविकी संकाय हैदराबाद केन्द्रीय विश्व विद्यालय गच्ची बाँली,हैदराबाद -500046 तेलंगाणा

श्री अनिल चमड़िया, संपादक, जन मीडिया (हिंदी) एवं मास मीडिया (अंग्रेजी), मासिक जनसंचार शोध पत्रिका, दिल्ली।

डॉ. संदीप कुमार वर्मा
सहायक प्रोफेसर
जनसंचार विभाग,महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महराष्ट्र-442005

अध्यक्ष की ओर से....

ज्ञान शक्ति है। ज्ञान की भारतीय परम्परा में संचार और संवाद का विशेष महत्व होता है। ज्ञान परंपरा की श्रृंखला को शिक्षा के माध्यम से एक से दूसरी, और दूसरी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का उत्कृष्ट उपकरण भाषा है। शिक्षा के द्वारा राष्ट्र की सामाजिक अपेक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप प्रस्तुत और प्रदीप्ति फैलाने के उद्देश्य से भारत में तीन शिक्षा नीतियां अस्तित्व में आयीं। शिक्षा की सुव्यवस्थित और दूरदर्शी उपादेयता का लक्ष्य रखे हुए वर्तमान समय की अद्यतन 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति :**2020**' का सामाजिक और भविष्यमूलक महत्व अत्यंत विशष्ट भी है। इस शिक्षानीति के अंतर्गत प्रारंभिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा सहित समस्त शिक्षा उपक्रम का माध्यम भारतीय भाषाएं हों, यह एक ऐतिहासिक संकल्प लिया गया है।

शिक्षण हेतु माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा **1961** में स्थापित- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की भूमिका वर्तमान 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-**2020**' के लक्ष्यों की पूति करने के प्रतिबद्ध है। अपनी व्यापकता के क्रियान्वयन एवं दायित्वबोध के क्रम में आयोग ने अपने स्थापना काल से ही नई वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के क्रम में नौ लाख से अधिक शब्दों का सृजन परिष्कार करते हुए इन शब्दों के माध्यम से हिंदी की पारिभाषिक तकनीकी-वैज्ञानिक शब्दावली को नया क्षितिज व विस्तार दिया है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के व्यापक आयाम में सावधिक प्रकाशन 'ज्ञान गरिमा सिंधु' के अंकों का विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के पाठकों द्वारा उत्साहपूर्वक सराहा गया साथ ही नए कार्यों का स्वागत भी किया गया है। ज्ञान गरिमा सिंधु के इस **72**वें अंक को पाठकों को समर्पित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस अंक में भारत की 'राष्ट्रीय शिक्षानीतिः **2020**' पर केंद्रित बहुआयामी, नवाचारी व अनुकरणीय दृष्टियों से शिक्षा की व्यावसायिकता पर वैदुष्यपूर्ण सामग्री समाहित कर संग्रहणीय विषयवस्तु तैयार की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षानीति : **2020** भारत के भविष्य का दस्तावेज है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसे लोकार्पित किये जाने के बाद शिक्षकों, शिक्षार्थियों और अभिभावकों का दायित्व बढ़ गया है। इसकी दिशा शिक्षा के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ाएगा। वर्तमान समय शिक्षानीति के तत्वों को संकल्पित व समाहित कर गति प्रदान करने का है। यह समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** को त्वरित क्रियान्वित करने व अनुसरण का भी है। सृजन की दृष्टि से इस नीति की अकादमिक एवं व्यवहारिक उपादेयता अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अकादमिक जगत से देश के सुधी विद्वान लेखकों और संपादक मंडल ने प्रस्तुत अंक को तैयार व प्रस्तुत किया है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने ज्ञान की प्रमुख धाराओं को समर्पित सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विभिन्न विषयों की उच्च स्तरीय अकादमिक सामग्री का सुव्यवस्थित संयोजन व प्रकाशन किया है। इसी क्रम में आयोग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा सिंधु' निरंतर और नियमित प्रकाशित की जा रही है। उच्च शिक्षा के केंद्रीय-विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य अकादमिक संस्थानों से जुड़े विद्वानों ने अपनी मौलिक तथा अनूदित रचनाओं के योगदान से पत्रिका को समृद्ध किया है। शिक्षा क्षेत्र में अधुनातन ज्ञानपरक सामग्री पर आधारित इस पत्रिका की विषयवस्तु प्रत्येक संदर्भ महत्वपूर्ण है। अकादमिक जगत को समर्पित और व्यवहारिक उपयोग की दृष्टि से आयोग द्वारा निर्मित एवं प्रस्तुत शब्दावली को पत्रिका सम्मानित मंच भी प्रदान करती है।

'ज्ञान गरिमा सिंधु' के प्रस्तुत अंक-**72** में शिक्षा के माध्यम से बदलाव, शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और इसमें जन की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका, मीडिया और मीडिया उद्योग की भूमिका, कार्यान्वयन की दिशा, चुनौतियों और आगामी वर्षों में इसके संभावित, अनुमानित परिणामों से संबंधित विविध पक्षों को समाहित किया गया है। विश्वव्यापी कोरोना-कोविड-**19** व ऑमिक्रॉन जैसे संकट के इस काल में सर्वाधिक चुनौती स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के समक्ष है। इस चुनौती का विज्ञान और तकनीकी के उपयोग से सामना करने में भारत विश्व में अग्रणी रहा है। हमें शिक्षा के नवाचारी उपक्रम और शिक्षा में भौतिक या डिजिटल उपस्थिति के अलावा माध्यमगत दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के सामंजस्य द्वारा शिक्षा की गतिशीलता व प्रगति को सुफलित होने का मार्ग प्रशस्त करना है।

मुझे आशा है, प्रस्तुत अंक शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी से जुड़े सभी वर्गों के लिए उपयोगी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन की वैचारिकी प्रस्तुत करेगा जिसे व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए राष्ट्रीय शिक्षानीति-**2020** के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुगमता होगी। इस अंक के समस्त विद्वान लेखकों, संपादक मंडल के सदस्यों तथा आयोग के सभी कर्मठ अधिकारियों, कर्मचारियों को पत्रिका के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा में उपलब्ध इस पत्रिका का अकादमिक तथा व्यावसायिक महत्व प्रवहमान हो, इस सामयिक प्रकाशन व प्रस्तुति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

(प्रो. एम.पी.पूनियां)
अध्यक्ष
7/03/22

संपादकीय

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग पिछले छः दशकों से हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों से संबंधित मानक शब्दावली निर्माण का कार्य करता आ रहा है। आयोग न केवल तकनीकी शब्दावली का निर्माण करता है वरन, निर्मित शब्वालियों का प्रयोग, प्रचार एवं प्रसार का कार्य भी करता है। इसी संदर्भ में आयोग सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों से संबंधित मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए **'ज्ञान गरिमा सिंधु'** का प्रकाशन करता है। 'ज्ञान गरिमा सिंधु' एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसमें मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित लेख प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका का उद्देश्य हिंदी में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों से संबद्ध उपयोगी एवं नवीनतम मूल पाठ प्रदान करना तथा पूरक साहित्य को लोकप्रिय बनाना है।

इसी कड़ी में आयोग **ज्ञान गरिमा सिंधु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेषांक** अंक स.-72 (अक्तूबर –दिसंबर 2021) का ई-प्रकाशन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता है। पत्रिका के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेषांक नामक शीर्षक से ही स्पष्ट है कि यह अंक में भारत सरकार द्वारा 29 जून 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में किये गए महत्वपूर्ण बदलाव एवं संशोधन को ध्यान में रखते हुए लेखों को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत पत्रिका में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी हुई विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है। पत्रिका में सम्मिलित डॉ अंगद कुमार का लेख मानव विकास में मातृभाषा एवं शिक्षा क्षेत्र में इसके महत्व को मान्यता एवं महत्ता पर बल देते हुए विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने से विद्यार्थी का किस प्रकार बेहतरीन मानसिक एवं समाजिक विकास हो सकता है इस पर केंद्रित है। जहां डॉ. दया शंकर त्रिपाठी जी ने भी अपने लेख के माध्यम से महामानव पंडित मदनमोहन मालवीय के मातृभाषा को लेकर विचारों को उद्धृत करते हुए इसकी आवश्यकताओं, महत्ताओं को पुनः बोध कराया है। डॉ. रेणु का लेख जहाँ भारतीय मूल्यों, संस्कृति एवं भारतीय महक से भरपूर जनसंचार से संबंधित पाठयक्रम निर्माण की आवश्यकता को बतलाता है जो भारत की अपनी हो और अपनी ही पृष्ठभूमि पर आधारित हो, जिससे भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य बड़े सरल तरीके से संभव हो सकेगा। डॉ॰ नरेन्द्र कुमार पाल का लेख नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताते हुए भविष्य में होने वाले लाभ तथा इस नीति के कार्यान्वय में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए तैयार रहने की बात करता है। पिंकी उपाध्याय का लेख नई शिक्षा नीति की संभावनाओं पर चर्चा करता है एवं किस प्रकार यह नीति भारतीय मूल्यों एवं शिक्षा के गुणवत्ता को ऊपर उठा सकता है, इसकी चर्चा की है। डॉ. पी. सूर्यकुमारी का लेख विशेष तौर पर नई शिक्षा नीति में माधयम परिवर्तन के विषय में चर्चा करता है जिसके तहत ज्ञान विज्ञान एवं शिक्षण का माध्यम भारतीय भाषाओं में होने से किस प्रकार शिक्षार्थी

का, समाज का एवं पूरे भारत वर्ष का लाभ होगा। डॉ. राजहंस का लेख हमें ज्ञानार्जन एवं पठन-पाठन में अपनी भाषा की महत्ता को और उजागर करते हुए मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण के लाभ एवं नई शिक्षा नीति में भाषाई संदर्भ में किये जा रहे नई-नई योजाओं पर चर्चा करता है। डॉ महावीर सिंह का लेख हमें गुणवत्तापरक शिक्षा के विकास के लिए उठाये गए कदम एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बनी शिक्षा नीतियों का वर्णन एवं नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल किये जा रहे मूल्यपरक बिन्दुओं की सराहना करते हुए नीति के कार्यान्वयन में बरती जाने वाली बिन्दुओं पर भी चर्चा की है। डॉ कन्हैया त्रिपाठी का लेख जॉर्ज वाशिंगटन के अपनी माँ के संदर्भ में कहा गया कथन से शुरू करता है जिसमें माँ के द्वारा दिए संस्कारों का धन्यवाद करता है। डॉ. कन्हैया के लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को पुनः स्मरण कराया है। इस नीति के कार्यान्वयन में शरू से लेकर अंत तक शिक्षकों का अहस्तक्षेप अपेक्षित है यह प्रखर रूप से बताया है । डॉ संतोष बघेल का लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीन कालखंडों का अध्ययन पेश करता है जिसमें पूर्व कल में शिक्षा की स्थिति, वर्त्तमान में और भविष्य में शिक्षा की स्थिति को बतलाता है। डॉ विनय भूषण का लेख नई शिक्षा नीति और तकनीक एवं संचार के आपसी संबध को को मुखर रूप से बताता है एवं शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी एवं संचार के सहयोग से नए समाज एवं राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। श्रीमती सपना चमड़िया का लेख हमें शिक्षा नीतियों का क्रमिक विकास के साथ-साथ जनसंचार के सरोकार एवं वतर्मान स्थिति का दृश्य दिखता है। प्रो.(डॉ) फ़क़ीर मोहन नाहाक एवं सुधीर के रिन्टन के द्वारा प्रस्तुत संयुक्त लेख, भाषा एव तकनीक जिस प्रकार जनसंचार के लिए एक मत्वपूर्ण घटक है उसी प्रकार वर्त्तमान शिक्षा प्रणाली में भी भाषा और तकनीक का ज्ञान एक मत्वपूर्ण घटक बन गया है, यह बतलाता है। डॉ. अमिता का लेख शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका और शिक्षा को सशक्त करने में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करता है। मीडिया और शिक्षा के अंतर्संबंध एवं एक दूसरे के पूरक के रूप में देख सकते है। डॉ.भुवन कुमार झा द्वारा प्रस्तुत लेख 22-23 अक्तूबर 1937 में वर्धा में गाँधी जी की अध्यक्षता में हुई सम्मलेन में शिक्षा पर हुए विचार विमर्श और निष्कर्ष बिन्दुओं पर चर्चा करता है जिसमें गांधीजी कौशल विकास की बात करते है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कही गई है और जिसपर जोर भी दिया गया है। साथ ही यह किस प्रकार व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी भी बन सकता है। श्री. विनय राय द्वारा लिखित लेख माहामाना पंडित मदन मोहन मालवीयजी का शिक्षा के प्रति उनके विचार और वर्तमान में 2020 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित पहलुओं की विस्तृत जानकारी देते हुए यह बताया है कि मालवीय जी के शिक्षा के प्रति विचार स्पष्ट एवं दूरगामी थी। उक्त लेखों के साथ मध्य प्रदेश के छह जिलों पर आधारित वनवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव के बारें में "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता एक लेख जिसमें एक सकारत्मक प्रभाव के आंकड़े सामने आये हैं, को सम्मिलित

किया गया है। अनुक्रमाणिका के अंत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने डिजिटल असमानता की चुनौती पर एक प्रस्तुतीकरण को भी सम्मिलित किया गया है जिसे श्री रमेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तुतीकरण के जरिये यह भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार भारत में सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिओं के चलते तकनीक संबंधी बाधाएं है जिसे एक चुनौती के रूप में ले सकते हैं।

प्रस्तुत पत्रिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं इसके लिए किये जा सकने वाले प्रयत्नों की संभानाओं पर एक समेकित लेखों का गुलदस्ता है। इस नीति के कार्यन्वयन के लिए उठाये जा रहे तकनीकी एवं सैद्धांतिक कदम एवं इनसे जुड़े हुए विभिन्न प्रयासों के बिन्दुओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

ज्ञान गरिमा सिंधु के इस प्रस्तुत अंक को आप सभी के समक्ष ई- प्रकाशन के रूप में लाने में संपादक मंडल के इन सदस्यों, प्रो. राम मोहन पाठक, प्रोफ़ेसर रमा, प्रो. अन्नपूर्णा चर्ल, श्री अनिल चमड़िया, डॉ संदीप कुमार वर्मा का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिनके सहयोग एवं अमूल्य योगदान से यह पत्रिका का समय पर संपादन एवं प्रकाशन संभव हो पाया है। आयोग के अध्यक्ष महोदय प्रो.(डॉ.) एम.पी.पूनियां जी का विशेष आभार जिनके मार्ग दर्शन एवं बहुमूल्य प्रेरणा से इस विशेषांक को मूर्त रूप मिला। साथ ही इस पत्रिका के अंक के लिए अपने महत्वपूर्ण लेख भेजकर पत्रिका को संपूर्ण बनाया मैं उन सब लेखकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषांक का प्रकाशन संभव हुआ।

इसी के साथ सभी का बहुत-बहुत आभार।

(चक्प्रम बिनोदिनी देवी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (पत्रकारिता)

अनुक्रमणिका

	अध्यक्ष की ओर से		v
	संपादकीय		vii
	आलेख शीर्षक	**लेखक**	**पृष्ठ संख्या**
1	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य : भविष्य एवं चुनौतियाँ**	**डॉ. नरेन्द्र कुमार पाल**	**1-7**
2	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन**	**सुश्री पिंकी उपाध्याय**	**8-17**
3	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020:शिक्षा - माध्यम के नवाचार**	**डॉ.पी.सूर्यकुमारी**	**18-26**
4	**मातृभाषा की नई शिक्षा यात्रा**	**डॉ. अंगद कुमार**	**27-32**
5	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का भाषाई संदर्भ**	**डॉ. राजहंस**	**33-37**
6	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: विज्ञान संचार में मातृभाषा-माध्यम की भूमिका**	**डॉ. दया शंकर त्रिपाठी**	**38-46**
7	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शैक्षणिक नवाचार**	**डॉ. महावीर सिंह**	**47-53**
8	**नई शिक्षा नीति और शिक्षकों की भूमिका**	**डॉ. कन्हैया त्रिपाठी**	**53-63**
9	**उच्च शिक्षा की दशा-दिशा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति : समीक्षा एवं संश्लेषण**	**डॉ. संतोष बघेल**	**65-73**
10	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार के पाठ्यक्रम की आधुनिक भारतीय दृष्टि**	**डॉ. रेणु सिंह**	**73-83**
11	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और मीडिया की भूमिका**	**डॉ. विनय भूषण**	**84-91**
12	**मीडिया उद्योग की मौजूदा स्थिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष चुनौतियाँ**	**श्रीमती सपना चमड़िया**	**92-99**
13	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं मीडिया साक्षरता**	**श्री.सुधीर के. रिन्टन प्रो. (डॉ) फ़कीर मोहन नाहाक**	**100-107**
14	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को सशक्त आधार प्रदान करता चौथा स्तंभ**	**डॉ. अमिता**	**108-114**
15	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : कौशल-शिक्षा और वर्धा योजना**	**डॉ. भुवन कुमार झा**	**115-128**

16	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का शैक्षिक चिंतन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020	श्री विनय कुमार राय	129-137
17	वनवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव (मध्य प्रदेश के छह जिलों के विशेष संदर्भ में)	संजुक्ता मुद्गल एवं डॉ. जे.वी .शर्मा	138-157
18	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने डिजिटल असमानता की चुनौती	प्रस्तुतकर्ता- श्री रमेश कुमार	158-169

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य : भविष्य एवं चुनौतियाँ

डॉ॰ नरेन्द्र कुमार पाल

लेख-सार :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष्य में देश के लोगो के समक्ष ज्ञान की (स्वातंत्र्यता के साथ संस्कृति के हस्तांतरण के नए प्रारूप को सर्वस्वीकृत करने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारम्भिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा में प्रस्तावित बिन्दुओं के माध्यम से ज्ञान एवं शिक्षण की अवरुद्द प्रक्रियाओं को बदलने का एवं नवसर्जित विचारो को वास्तविक धरातल पर उतारने का भी प्रयास किया गया है। प्रस्तुत लेख में नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य, देश में शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से संबन्धित भविष्य की चुनौतियों पर भी चर्चा करके आवश्यक संशोधनों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता प्रदर्शित की गई है।

मुख्य शब्द:*नई शिक्षा नीति 2020,भविष्य एवं चुनौतियां*

प्रस्तावना :

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप और प्रक्रिया से ज्ञानात्मक चर्चा का दौर प्रारम्भ हो गया है। शिक्षा का व्यापक द्रष्टिकोण रखने वाले प्रबुद्धजनों ने नई शिक्षा नीति 2020 को लेके अपने अनुभव के आधार पर इसका विश्लेषण करना भी प्रारम्भ कर दिया है। शिक्षा के व्यापक वास्तविक मर्म को शब्दों से समझने के प्रयास से देखे तो सीखने की क्रिया जो किसी भी समाज में अविरत चलने वाली प्रक्रिया जो अतिविशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति को लक्ष्य मान कर समाज में विद्यमान सभी मानव जीवों की आंतरिक शक्तियों को श्रेष्ठ बनाकर मानव समाज के व्यवहार को उत्कृष्ठ करना है। शिक्षा के माध्यम से ही और शिक्षा प्राप्ति से ही ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके समाज में विद्यमान मनुष्य को श्रेष्ठ योग्य नागरिक बनाया जाता है। विश्व के प्रत्येक देश शिक्षा के इस मूल मंत्र को केंद्रीकृत रखते हुए समय समय पर परिस्थिति एवं परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए शिक्षा नीति में आवश्यक परिवर्तन करते है। भारत देश विश्व में हमेशा से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व को

दिशा देते हुए गुरु की भूमिका में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में रहा है। भारतीय संस्कृति एवं विचार के ज्ञान के हस्तांतरण में आधुनिक तकनीक के समिश्रण की वर्तमान आवश्यकता एवं कृत्रिम बुद्धिममत्ता जैसे डिजिटल युग में शिक्षा में भी परिवर्तन एवं नीति निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा यानि "मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति"। विवेकानंद जी के शिक्षा के ज्ञान को समझने से प्रतीत होता है कि पूर्व में शिक्षा नीति का निर्माण जिस उद्देश्यों के साथ किया गया और जो भी प्रयास किए गए उनके द्वारा प्राप्त परिणामों से विदित होता है कि कहीं कुछ त्रुटि या आवश्यकता की जरूरत प्रतीत होती रही थी। नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों में स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी के शिक्षा एवं ज्ञान के स्वप्न का समिश्रण है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही देश ने मंत्रालय का नाम स्पष्ट किया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके "शिक्षा मंत्रालय"(MoE) कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य :

नई शिक्षा नीति 2020 अन्तरिक्ष वैज्ञानिक श्री के॰ कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति के सुझावों से निर्मित रिपोर्ट पर आधारित है। इसी नीति के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य जो निर्धारण किए गए है उसमे वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 % करना है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर कुल GDP का 6% हिस्सा करना है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5+3+3+4 शैक्षणिक ढांचे के प्रस्ताव के साथ 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चो को सम्मिलित करना है। प्रथम 5 वर्ष को फ़ाउंडेशन चरण जिसमे 3 साल का प्री प्रयमरी स्कूल और ग्रेड 1 एवं 2 का समावेश किया गया है। आगे के मोंदूसरे चरण में 3 वर्ष का प्रीपेट्रेरी चरण निर्धारित किया गया है। तृतीय चरण में 3 वर्षीय मध्य या उच्च प्राथमिक स्तर जिसके अंतर्गत कक्षा 6, 7, और 8 का समावेश किया गया है। चतुर्थ चरण में उच्च स्तर के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक को सम्मिलित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत "बुनियादी साक्षारता" और "संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन" (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy)की नींव रखने का प्रस्ताव निर्धारित किया गया है। भारतीय संस्कृति की विविधता के मूल्यो के अंतर्गत श्रेष्ठ मूल्यों को सुरक्षति रखने के प्रयासों के अंतर्गत भाषायी विविधता के संरक्षण एवं नई पीढ़ी तक हस्तांतरण के प्रयास पर ज़ोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 5 तक की शिक्षा के लिए मातृभाषा या स्थानीय हो

क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण के रूप में पढ़ाने में ज़ोर दिया गया है। आगे के चरण में कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षा लेने के प्रयास को प्राथमिकता देने का विचार प्रस्तुत किया गया है। आगे के चरण के अंतर्गत स्कूल और उच्च शिक्षा के शिक्षण में विद्यार्थियो को संस्कृत और प्राचीन भारतीय भाषाओ के संरक्षण हेतु विकल्प उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही किसी भी ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो पर भाषा चयन को लेके कठोर नियम या बाध्यता नहीं होगी। स्वतंत्र्य निर्णय के अनुसार चयन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। विद्यालय स्तर पर शारीरिक सक्षमता और स्वास्थ्य के पहलू पर ज़ोर देते हुए खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट जैसे स्थानीय और संस्कृतिक तरीको के साथ सुविधा प्रदान करके शारीरिक स्वास्थ्य पर ज़ोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबन्धित अमूल सुधार की योजना का प्रारूप सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षक को समाविष्ट करके इन्टरन्शिप को प्रारम्भ करने का प्रयास किया जाएगा। कला, विज्ञान, व्यवसायिक और शैक्षणिक विषयो एवं संबन्धित पाठ्यक्रमों और संबन्धित आवश्यक गतिविधियों के संबंध में अंतर नहीं रहेगा।NCERT के सहयोग से "स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा" का निर्माण किया जाएगा। कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में आधुनिक और आवश्यक बदलाव का निर्णय किया गया है। विद्यार्थियो के शैक्षिक विकास एवं प्रगति के मूल्यांकन के मानक निर्धारण के स्वरूप को आधुनिक एवं स्पष्ट करते हुए "परख" (PARAKH) नाम से राष्ट्रिय आकलन केंद्र गठित किया जाएगा। इसके अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेर का स्वदेशी सॉफ्टवेर निर्माण एवं प्रयोग किया जाएगा। शिक्षण व्यवस्था में अमूल सुधार के लिए और क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता के साथ प्रभावी बनाने पर बल देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही समय समय पर शिक्षकों के द्वारा हुए कार्य प्रदर्शन के आकलन पर पदोन्नति की व्यवस्था लागू करने की दिशा में प्रणाली सक्रिय करने को कहा गया है। वर्ष 2022 तक "शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक" का निर्माण करके लागू करने कि दिशा में NCTE को निर्देश दिये गए है। साथ ही NCERT के परामर्श से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया जाएगा। बी॰एड॰ में भी वर्ष 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी॰एड॰ डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में में भी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संस्थानो में सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ाकर 50% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उच्च शिक्षण में स्नातक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को स्वीकृति दी गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत 3 से 4 वर्ष के स्नातक स्तर के

विभिन्न चरणों में पाठ्यक्रम बदलने का छोड़ने का विकल्प देते हुए उनके अनुरूप चरणो में डिग्री और प्रमाणपत्र प्रदान करने की सुविधा प्रदान कीगई है। उच्च शिक्षण संस्थानो में प्राप्त अंको या क्रेडिट को डिजिटल स्वरूप में संग्रहीत करके एक "एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट" का निर्माण करना जिसमें विभिन्न संस्थानो से विध्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें उपाधि प्रदान की जा सके। साथ ही उच्च शिक्षा में एम॰फिल॰ के कार्यक्रम को समाप्त करने का निर्णय नई शिक्षा नीति 2020 में लिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में उच्च शिक्षा संस्थानो के लिए "भारतीय उच्च शिक्षा परिषद" की परिकल्पना को सार्थक करते हुए उनकी उद्देश्य भूमिकाओ का निर्णय किया गया है। इसके अंतर्गत विधि शिक्षा के अलावा बाकी सभी उच्च शिक्षा संस्थानो के लिए एकल निकाय के रूप में गठित करने का निर्णय किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत HECI के कार्य निष्पादन के लक्ष्य पूर्ति के लिए (1) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियमकी परिषद (National Higher Education Regulatory Council), (2) सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council)(3) राष्ट्रिय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council) एवं (4) उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council) के दायित्व को स्पष्ट किया गया है। भारत में समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए IIT एवं IIM के समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप "बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय" के निर्माण एवं विकास का लक्ष्य नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित किया गया है। दिव्यांग विध्यार्थियों एवं विशिष्ट शिक्षा से संबन्धित नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, पुनर्वसन हेतु आवास, आवशयक सहायक उपकरणो एवं तकनीकी युक्त उपकरणों का विकास एवं प्रयोग, शिक्षको के प्रशिक्षण एवं तकनीकी सज्जता के साथ स्पर्धात्मक विकास एवं मानसिक सज्जता से मजबूत बनाने की दिशा में नए लक्षयंक निर्धारित किए गए हैं। कोरोना महामारी के समय में शिक्षा का स्वरूप बदलने से शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं तकनीकी प्रभाव के व्याप को अनुभूति करते हुए डिजिटल शिक्षा पर बल दिया गया है। इसी तकनीकी व्याप के परिपेक्ष्य में स्वायत्त निकाय के स्वरूप में "राष्ट्रिय शैक्षिक प्रध्योगिकी मंच" का निर्माण करके शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में में वृद्धि डिजिटल युग की शिक्षा का नवाचार युक्त प्रणालीगत स्वरूप प्रत्यक्ष हो सकेगा। नई शिक्षा नीति 2020 में पारंपरिक ज्ञान संबन्धित जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान को सम्मिलित कर के पाठ्यक्रम में स्पष्ट एवं वैज्ञानिक पद्धति से डिजिटल प्रयोग से विकसित करने का एवं हस्तांतरित करने का सार्थक प्रयास किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 का भविष्य:

नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ ही इसका स्पष्ट एवं सही ढंग से अमल होना अति आवश्यक है । नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य एवं लक्ष्य को ध्यान में रखकर यदि योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक प्रयास किए जाये तो यह निश्चित है की इसके परिणाम सकारात्मक ही रहेंगे । ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवशयकता, शिक्षा में गुणवत्ता के विकास, नवाचार और संशोधन को बढ़ावा एवं विस्तार, भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर तक ले जाने में नई शिक्षा नीति 2020 का योगदान श्रेष्ठ रहेगा । नई शिक्षा नीति 2020 के समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के संदर्भ में तकनीकी सुलभता अतिअवश्यक जरूरत रहेगी । तकनीकी उपलब्धता के अंतर्गत इंटरनेट की गति एवं नेटवर्क सुविधा का योगदान विशेष रहेगा । अगले 2 वर्षो में भारत में 100% उपलब्धता और शिक्षा के NEP 2020 के माध्यम से सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास प्राप्त होगा । भविष्य में ज्ञान के विकास के साथ प्रारम्भिक शिक्षण से औपचारिक शिक्षा, अंगनवाडी प्रणाली से कौशल बल का भाग बनेगा । नई शिक्षा नीति 2020 के वर्तमान प्रारूप से स्पष्ट होता है कि प्राचीन ज्ञान, वर्तमान ज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से भविष्य में देश के युवा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा करने का मौका मिलेगा एवं साथ ही अपने ज्ञान, कौशल्य एवं दक्षता से रोजगार के अवसर प्राप्त करेगा । कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से भविष्य में ज्ञान के स्तर के साथ मूल्य एवं संस्कृति के हस्तांतरण से नई पीढ़ी के बेहतर भविष्य के साथ देश "आत्मनिर्भर भारत" बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा । नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप का समयबद्ध क्रियान्वयन होने से भविष्य में भारत के शिक्षण संस्थान एवं विश्वविद्यालय विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों की सूची में स्थान बना पाएंगे और शीर्ष स्थान पर देश और विश्व का प्रतिनिधित्व करने को सक्षम बन सकेंगे । भारतीय प्रादेशिक भाषा के महत्व और राष्ट्रभाषा के प्रयोग से गर्व की अनुभूति का वातावरण निर्मित होगा । प्रादेशिक भाषा, राष्ट्र भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय भाषा के स्थान एकसमान एवं सर्वस्वीकृति के साथ शिक्षण में ज्ञान का आदान प्रदान श्रेष्ठ तरीके एवं तकनीकी से हो सकेगा । नई शिक्षा नीति 2020 से देश में संशोधन की दिशा में गुणवत्ता युक्त एवं वास्तविक समस्याओं के निराकारण का मार्ग प्रशस्त होगा । संशोधन में पेटेन्ट की मात्रा भी बढ़ेगी । ज्ञान के क्षेत्र में विषय स्वतन्त्रता से रुचिपूर्ण दिशा में उच्च ज्ञान प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो सकेंगे । मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन के प्रति सकारात्मक अभिगम से देश का युवा-धन भविष्य में देश को विश्व के समक्ष "विश्वगुरु" प्रस्थापित करने में सक्षम बनेगा ।

नई शिक्षा नीति 2020 और चुनौतिया :

नई शिक्षा नीति 2020 के बेहतर भारत और शिक्षित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है । प्रस्तुत नीति के अंतर्गत भी कुछ संशोधन की आवशयकता एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा । विशिष्ट चुनौतियों के लिए संशोधन के मार्ग से जरूरी बदलाव के लिए मुक्त विकल्प खुले रहेंगे जिसके लिए सकारात्मक माहौल भी तैयार करना आवश्यक रहेगा । (1) राज्यो के आवश्यक सहयोग से संबन्धित चुनौती : शिक्षा एक समवर्ती विषय सूची के अंतर्गत समावेश होने के कारण राज्य स्कूल बोर्ड की स्वीकृति एवं शीर्ष स्वतंत्र्य संगठन के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद के अंतर्गत समावेश की प्रक्रिया पर राज्यों के असहमति का प्रत्यक्ष अनुभव प्रतीत हो सकता है । (2) शिक्षा पर महंगाइ की मार : नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देश के बहार के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का प्रवेश का पथ प्रशस्त किया गया है । शिक्षा से जुड़े विद्वानो के अनुसार भारतीय शिक्षण प्रक्रिया में महंगाई का स्पष्ट प्रभाव रहेगा । इन सभी तर्को के आधार पर सामान्य या सामान्य से कम स्तर के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान प्राप्ति का मार्ग चुनौती से भरा हो सकता है । (3) ज्ञान के क्षेत्र और शिक्षा का संस्कृतिकरण : भाषा और मातृभाषा में शिक्षण और प्राथमिकता के संदर्भ में देश के विभिन्न हिस्सों से अलग सुर के साथ थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा था । त्रि-भाषा सूत्र वर्तमान सारकर के समक्ष ज्ञान एवं शिक्षा क्षेत्र में संस्कृति करण की चुनौती को लेकर सामना करना पड़ सकता है । (4) धनराशि से संबन्धित विभिन्न जांच का अभाव : देश के कई राज्यों में वर्तमान धनराशि के विनिमय से संबन्धित बहेतरीन प्रणाली मौजूद है लेकिन इनसे जुड़े नियम संबन्धित व्यवस्था एवं असीमित दान के परोक्ष पहलुओं के अंतर्गत मुनाफाखोरी के नियंत्रण एवं अंकुश लगाने का चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। (5) प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता : देश की वर्तमान स्थिति के अवलोकन से प्रतीत होता है की प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कौशल युक्त एवं प्रशिक्षित योग्यता वाले शिक्षकों की कमी स्पष्ट है । प्रशिक्षित मानव संसाधन की आपूर्ति कम समय में पूर्ण करना भी चुनौतीपूर्ण होगा और साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सुचारु प्रथम चरण की योजनाबद्ध क्रियान्वयन की चुनौती प्रत्यक्ष तौर पर उजागर हो सकती है ।

निष्कर्ष :

नई शिक्षा नीति 2020 नए भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञान के क्षेत्र में उठाया गया मजबूत कदम है । ज्ञान, तकनीक, प्रतियोगिता,कौशल्य, स्वतंत्र्यता, संस्कृति का हस्तांतरण, संशोधन के नवाचार, भाषा के महत्व एवं बुनियादी शिक्षण के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के

समिश्रण से तैयार नई शिक्षा नीति 2020 भारत के युवा-धन को सही मार्ग इंगित करते हुए श्रेष्ठ क्षमताओं के सौजन्य से उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। योजनाबद्ध तरीके से नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से एवं स्पष्ट उद्देश्यों एवं लक्ष्य निर्धारण से वास्तविक अर्थ में परिणाम देश हित में प्राप्त होंगे। ज्ञान के क्षेत्र में या आत्मनिर्भर भारत बनने के प्रयास में नई शिक्षा नीति 2020 का योगदान इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। "विश्वगुरु" बनने से देश को विश्व में कोई भी नहीं रोक सकता, जरूरी है कि भारत देश के युवा-धन को शिक्षण के माध्यम से ज्ञानवान एवं कौशल्य युक्त बनके वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करे।

डॉ॰ नरेन्द्र कुमार पाल
सहायक आचार्य,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रिय हिंदी विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) वर्धा, महाराष्ट्र
ईमेल: drnavinsir@yahoo.in, Mobile: 9265032070

संदर्भ :

(1) https://www.drishtiias.com/hindi/burning-issues-of-the-month/new-education-policy

(2) https://www.livehindustan.com/career/story-indian-army-is-hiring-class-12-passouts-online-application-link-24-january-2022-5635996.html

(3) https://hindi.careerindia.com/news/new-national-education-policy-2020-002187.html?story=29

(4) https://sayhindi.in/nai-siksha-niti/

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन

पिंकी उपाध्याय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सार यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ाने, भारतीय शिक्षण व्यवस्था की पहुँच वैश्विक स्तर पर सुनिश्चित करने के लिये, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये, पूर्व की शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं पर निम्न प्रस्तुति में प्रकाश डाला गया है।

राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 से देश को शैक्षिक क्षेत्र में बहुत सुधार की अपेक्षायें हैं, इस शिक्षानीति का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। राष्ट्रीय शिक्षानीति हेतु शिक्षा मंत्रालय को लगभग 7177 सुझाव प्राप्त हुए थे जिसके अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिशों में उल्लेखित 297 कार्यों को एक साथ जोड़कर सभी देशवासियों के परामर्श से इसे तैयार किया गया है।

मानव के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास एवं उसकी अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षानीतियाँ बनी थीं। इन नीतियों का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ज़ोर देना था। शिक्षानीति-1986 ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' लॉन्च किया था। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित 'ग्रामीण विश्वविद्यालय' मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया था। सम्प्रति हम देखेंगे कि क्या यह राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न राष्ट्र नायकों ने देखा था? राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

इस शिक्षानीति के उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इससे पूर्व शिक्षानीति-1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष-1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ कई प्रविष्ठियाँ और निकास बिंदु होंगे। स्नातक कोर्स 3 या 4 साल के हो सकते हैं। जिसमें कई सारे त्याग विकल्प होंगे जो कि उचित सर्टिफिकेशन के साथ होंगे। जैसे कि यदि छात्र ने 01 साल स्नातक कोर्स में पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ की डिग्री दी जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रों द्वारा अर्जित किया गए डिजिटल अकैडमी क्रेडिट हो विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा और इसे अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और गिना जाएगा। ईलर्निंग पर जोर देकर पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता को कम करना भी इस शिक्षानीति का उद्देश्य है। 2030 तक हर जिले में कम से कम एक बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य इस राष्ट्रीय शिक्षानीति में रखा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षानीति के लाभ- राष्ट्रीय शिक्षानीति को लागू करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विकल्प रखा जाएगा। छात्र अगर चाहे तो यह भाषाएं पढ़ सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि साल में दो बार छात्रों के ऊपर से बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं ली जाए। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा से एम फिल की डिग्री को खत्म किया जा रहा है। पाठ्यचर्येतर गतिविधियों को मुख्य पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। छात्रों को तीन भाषायें सिखाई जाएंगी जो कि राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस शिक्षानीति को लागू करने के लिए कई सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिससे कि यह योजना सुचारू रूप से चल पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि छात्र कोई पाठ्यक्रम बीच में छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहता है तो वह पहले पाठ्यक्रम से निश्चित समय तक विराम ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।

शिक्षानीति-2020 के चार चरण- राष्ट्रीय शिक्षानीति को चार चरणों में विभाजित किया गया है जो कि 5+3+3+4 पैटर्न है। इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षानीति को सरकारी तथा प्राइवेट दोनों संस्थानों को फॉलो करना होगा। इसके चार चरण कुछ इस प्रकार हैं-

आधारस्तर- फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए हैं। जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा (कक्षा एक तथा दो) शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्राथमिक स्तर- प्रिप्रेटरी स्टेज के अंतर्गत 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे आएंगे। जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल है। इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।

माध्यमिक स्तर- मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी।

उच्च माध्यमिक स्तर- सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे विज्ञान, कॉमर्स तथा कला लेते थे। परंतु अब यह खत्म कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी पसंद का विषय ले सकते हैं। जैसे कि बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स का या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स के भी ले सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 के अंतर्गत छात्रों को अब कोई एक धारा नहीं चुननी होगी। अब छात्र कलावर्ग के साथ विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, विज्ञान के साथ कला भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम न मानकर पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा जिसमें योग, खेल, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत आदि शामिल है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वोकेशनल तथा एकेडमिक धारा को अलग नहीं किया जाएगा जिससे कि छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिले।

चार साल का बी.एड. - राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के अंतर्गत बीएड को 4 साल का कर दिया गया है। 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल का बी.एड. प्रोग्राम होगी। सभी स्टैंडअलोन शिक्षण संस्थान जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वोकेशनल स्टडीज पर फोकस- हमारे देश में वोकेशनल स्टडी सीखने वाले छात्र 5% से भी कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयशिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों को वोकेशनल स्टडीज सीखने पर ध्यान दिया जाएगा। जिसमें बागबानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम आदि शामिल है। 2025 के अंत तक राष्ट्रीयशिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडीज पढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान- शिक्षानीति में 5 + 3 + 3 + 4 आकृति वाली शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। पाँच वर्ष की आधार स्तर (Foundational Stage)- 3 साल का पूर्व प्राथमिक स्कूल और ग्रेड 1, 2 तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage) तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण - ग्रेड 6, 7, 8 और 4 वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण - ग्रेड 9, 10, 11, 12

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत एच.एच.आर.ओ. द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and

Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षानीति विशिष्ट- राष्ट्रीय शिक्षानीति के अंतर्गत शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए दीक्षा प्लेटफार्म पर 50 घंटे का मॉड्यूल प्रस्तुत किया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत 4 से 5 घंटे के 18 मॉड्यूल होंगे। इस मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग आयोजित की जा सकेगी। इस मॉड्यूल में प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरस मिशन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार द्वारा दीक्षा प्लेटफार्म के माध्यम से ई लर्निंग का काफी विस्तार किया जाएगा जिससे कि छात्रों को ई सामग्री उपलब्ध करवाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षानीति में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्त्व दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा एक इनीशिएटिव प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम मनुदर्पण है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से छात्रों को परामर्श तथा भावनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी मनुदर्पण इनिशिएटिव के अंतर्गत नेशनल टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन चैट, नेशनल लेवल डायरेक्टरी तथा डाटाबेस ऑफ काउंसिल्लर्स विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2022 के अंतर्गत सीबीएसई परीक्षा में सुधार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इन सभी सुधारों को 2021 से लागू किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2021- 22 से गणित तथा हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत दो स्तरों में प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में योगदान आधारित प्रश्नों में वृद्धि की जाएगी। यह योगदान आधारित प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा में आरंभ किया जा चुका है और प्रतिवर्ष इन्हें 10% की दर से बढ़ाया जा रहा है।

भाषायी वैविध्य का संरक्षण- राष्ट्रीय शिक्षानीति-2022 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय

भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी। 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्'(NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नये 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान- राष्ट्रीय शिक्षानीति-2022 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018)

से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ राष्ट्रीय सीटों को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2022 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में एकाधिक प्रवेश एवं त्याग व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'शैक्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग- राष्ट्रीय शिक्षानीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् (Higher Education Commision of India) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय-

1) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद् (National Higher Education Regulatroy Council-NHERC) यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा।
2) सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council - GEC) यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।

3) राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council - NAC) यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।
4) उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council - HGFC) यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा। देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Reserach Universities) की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान- शिक्षानीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान- एक स्वायत्त निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

राष्ट्रीयशिक्षा नीति में महत्त्वपूर्ण-

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
- पांचवी क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई स्थानीय भाषा में,
- पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को स्किल देने पर जोर,
- विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर नए कैंपस पर जोर,
- एमफिल बंद, 10+2 का फॉर्मूला भी बंद,

- फिजिक्स के साथ पढ़ सकेंगे फैशन डिजाइनिंग
- मौजूदा शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स लिया जा सकता है। इसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। लेकिन राष्ट्रीयनीति में मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी, जो मेजर प्रोग्राम हैं उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे, आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं, इसके अलावा जो अलग-अलग विषयों में रूचि रखते हैं, जैसे जो म्यूजिक में रूचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेजर और माइनर के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी।
- फिजिकल एजुकेशन को जरूरी बनाया गया। छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके इसके लिए पढ़ाई के साथ फिजिकल एजुकेशन को जरूरी बनाने का नियम रखा गया है।
- स्कूल के हर स्तर पर खेल, मार्शल आर्ट्स,डांस, गार्डनिक और योगा जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सुनिश्चित की जाएंगी।
- एनसीआरटी के द्वारा भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के माध्यम से स्कूल शिक्षा के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा का शब्दकोश बनाया जाएगा।

निष्कर्ष-

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन अपेक्षित था। देश की बौद्धिक सम्पदा को सर्वोत्तम बनाने हेतु ही शिक्षानीति-2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों के पश्चात् आई इस शिक्षानीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना ही है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, थ्रीडी मशीन, डेटा-विश्लेषण,

जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार करना और युवाओं के रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के साथ-साथ सशक्त व समर्थ भारत बनाना है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ाने, भारतीय शिक्षण व्यवस्था की पहुँच वैश्विक स्तर पर सुनिश्चित करने के लिये, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये, शिक्षानीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 का क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह अभिनव विधा निश्चित ही श्रेष्ठ मेधा के बलपर भारत को विश्व के सर्वोत्तम देशों की श्रेणी में स्थापित करेगी।

पिंकी उपाध्याय
प्रवक्ता- हिन्दी
ए.सी.सी.ई., वाराणसी Mo. 6386097366
Email- pinkiupadhyay31@gmail.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा - माध्यम के नवाचार

विद्या विनियोगात् विकासः

Progress Comes from Application of knowledge.

सा विद्या या विमुक्तये

That is knowledge which liberates.

आनो भद्राः क्रतवोयन्तु विश्वतः

Let good Comes From everywhere, from the entire World.

डॉ.पी. सूर्यकुमारी

शिक्षा नीति का निर्धारण राष्ट्र की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है। इसके अनुरूप निर्मित भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा क्षेत्र की संरचाना एवं प्रवर्तन के संबंध में अनेक प्रकार के बदलाव किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कारण विशिष्ट बदलावों के बारे में जानने से पहले एक नजर डालना आवश्यक है कि ऐसे बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई है। इस बदलाव की नींव को देखें तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ध्यान देने से दृष्टिगत होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को समान शिक्षा की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके पश्चात क्रमश: वर्ष 1968 और 1986 के बाद यह 2020 की शिक्षा नीति भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं- जैसे-शिक्षा की विभिन्न धाराओं के बीच पारंपरिक अंतराल व विभाजन रेखाओं को हटाया गया है। नई पीढ़ी के छात्रों को अधिक शिक्षा और ज्यादा से ज्यादा कौशलपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए, ताकि विद्यार्थी जीवन में ही वे स्वावलंबी बन सकें। इस शिक्षा नीति को आने वाले दो दशकों के लिए बनाया गया है। शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को उत्कृष्ट स्वरूप देकर वैश्विक स्तर पर लाना है। 'नेशनल एजुकेशन पॉलिसी' के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना चाहते हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सरकार द्वारा पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे संशोधन किए गए हैं। वर्ष 1986 में ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा कदम उठाया गया था । इन सभी योजनाओं का विकास उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। 1986 की शिक्षा नीति का आधार 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति' योजना के रूप में बनाए गए थे। यह शिक्षा नीति राष्ट्र में सुस्थिर, समतुल्य और ज्ञान आधारित समाज के विकास की दिशा में शिक्षा को प्रदान करते हुए समाज को मजबूत और समृद्ध बनने में सहायक होगी । 21 वीं सदी में भारतीय समाज की आकांक्षाएँ और लक्ष्य बदल गए हैं । उसी के अनुरूप भारतीय रीति-रिवाज, परंपराओं तथा मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई है। इस शिक्षा में मुख्यत: माध्यम की दृष्टि से देखे तो दो प्रकार के माध्यम सामने आते हैं 1.प्रांतीय भाषा 2. अंग्रेजी माध्यम । शिक्षा का माध्यम प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषा के होने से बालक आसानी से विषय सीख सकता है, समझ सकता है। इसके साथ बुद्धि कुशलता भी बढ़ेगी। आगे जाकर ऐसी भाषाओं को भी सीख सकता है। वहीं यदि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तो कुछ विद्यार्थियों में अधिगम की भाषा संबंधी समस्या हो सकती है। परिणामत: विकास कम हो जाता है। इसके लिए विशेष ध्यान और परिश्रम करना होता है। विद्यार्थी में सीखने की ललक ,परिश्रम और परस्पर साथ-साथ मिलकर जीना आवश्यक है यदि ऐसे शिक्षण होते हैं तो माध्यम की कोई समस्या नहीं होती है। व्यक्ति के मानसिक और भौतिक सामर्थ्य को विकासित करते हुए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। इसी को दृष्टि में रख कर शिक्षा नीति 20-20 का निर्धारण किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 की विवेचन के अंतर्गत सर्वप्रथम सुधार शिक्षा के ढांचे में सुधार किया गया । शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए 10+2+3व्यवस्था को अपनाया गया था । इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक शिक्षा जैसे गुणों को प्रमुख स्थान दिया गया। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक

शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदुओं के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया है ।1. भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया है।

2. शिक्षा के उत्तम कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं उसके अंतर्गत काम करनेवाले शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है।

3. विद्यार्थियों के बौद्धिक पक्ष एवं व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा को मुख्य स्थान दिया गया है। जिस शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

4.राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा (बेसिक एजुकेशन) के स्वरूप को स्वीकार किया गया है।

5. प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए श्यामपट्ट योजना (ब्लैकबोर्ड) का निर्माण किया गया है। 90% विद्यार्थियों को इसके द्वारा लाभ पहुंचाने की योजना का निर्माण किया गया।

करीब-करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर इस राष्ट्रीय शिक्षा निति में मुख्य ४ बिंदु हैं – 1. सीखने और जानने की इच्छा। 2. सैद्धांतिक ज्ञान के साथ अनुप्रयुक्त पक्ष की दिशा में भी सामर्थ्य बढ़ाना। 3. समिष्टि /संयुक्त रूप में सीखना। 4. अपने अस्तित्व को पहचानकर व्यक्तित्व के विकास की ओर बढना। बच्चों पर भार कम किया गया है तो उच्च शिक्षा के लिए भी सिर्फ एक नियामक हो गया है। इसके अंतर्गत और एक नई सुविधा भी शामिल किया गया है, जैसे- किसी विद्यार्थी की पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। एक साल की पढ़ाई पूरी होते ही सर्टिफिकेट और दो साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक

में नई शिक्षा पर मुहर लगाया गया है । आगामी 2030 के अंतर्गत प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिकतक 100 फीसदी और उच्च शिक्षा में 50 फीसदी प्रवेश तक हासिल करने की बात कही गई है ।

अब यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो सबसे पहले स्कूलों में 10+2प्रणाली खत्म किया गया है। अब से 5+3+3+4 फॉर्मेट ही स्कूल के पहले 5 साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 8 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल कर दिया गया है। 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अगले 3 साल की प्रणाली में स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज का होगा यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। कक्षा 6 से बच्चों में व्यावसायिक व कौशलयुक्त (प्रोफेशनल और स्किल संबंधी) शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा स्थानीय घर पर भी प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) कराया जाएगा। चौथे चरण में (कक्षा 9 से 12वीं तक का) 4 साल का अध्ययन होगा। इसमें विद्यार्थियों को विषय चुनने की स्वतंत्रता भी रहेगी । इसके अतिरिक्त विज्ञान या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग में भी पढ़ने की स्वेच्छा भी मिलेगी । पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक सामान्य पढ़ाई ही होती है। कक्षा 11 से विषय का चयन कर सकते हैं ।

NEP के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना व्यापक लक्ष है । नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी.ई.आर. के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा । (Medical and Law studies) पहले 10+2का पैटर्न फॉलो किया जाता था । परंतु अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया गया है ।

हाल ही में नेशनल एजुकेशन पालिसी (NEP) के कार्यों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक विषय (सब्जेक्ट ऑप्शन), क्षेत्रीय (रीजनल) भाषाओं पर आधारित शिक्षा लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री में भी प्रवेश एवं निकासी की भी सुविधा, क्रेडिट बैंकसिस्टम आदि शामिल किया गया है। NEP की सुसंगत गतिविधि व संचालन हेतु कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं गोवा सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का भी

गठन किया गया है। यह समिति NEP 2020 के कार्यान्वयन और संबंधित चुनौतियों का अध्ययन करेगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर एक समरूपी निगरानी की जाएगी एवं प्रत्येक कार्य की एक समय सीमा तय की जाएगी।

राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एन.सी.सी. कालेजों एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी शामिल होगा जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एन.सी.सी. को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यू.जी.सी.एवं NIECT (एनआईसीटी) द्वारा एन.सी.सी. को विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का प्रावधान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 2021-22 पाठ्यक्रम में कई विश्वविद्यालयों में एन.सी.सी. को एक वैकल्पिक विषय बनाया जाएगा। वे सभी छात्र जो एन.सी.सी. क्रेडिट के रूप में दाखिला प्राप्त करेंगे। उन्हें क्रेडिट 'B'और 'C' प्रमाण पत्र के अलावा शैक्षणिक क्रेडिट भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उनको विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली रोजगार सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

NEP के अंतर्गत अब सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का समग्र विकास योजना आरंभ हो गया है। इन NEP में शिक्षा नीति की सिफारिशों में 297 कार्यों को एक साथ जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ज्ञान प्राप्त करने के साथ भाषाई माध्यम के महत्व पर भी दृष्टि रखी गई। मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त होगी तो समझ और ज्ञान की वृद्धि होगी। बच्चा असानी से सीख सकता है। इसके साथ भारत की बहुभाषिक स्थिति को दृष्टि में रखकर त्रिभाषा सूत्र पर भी ध्यान देने की सलाह दी गई। भाषा के माध्यम की समस्या को प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 'एक भारत' के नारे की दृष्टि से 6वीं कक्षा में ही अन्य भाषाएँ सीखने की प्रावधान दिया गया है। अगर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ही बालक या बालिका भारतीय या अन्य विदेशी भाषाएं सीखना चाहते हैं तो सीख सकता है। इस नारे के साथ-साथ 'श्रेष्ठ भारत' का नारा भी दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 'एक भारत' और 'श्रेष्ठ भारत' की स्थापना

भाषा के माध्यम से ही संभव है । इस पर चर्चा करनी होगी। अभी तक त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तीन भाषाएँ मातृभाषा, द्वितीय भाषा और अन्य भाषा के रूप में सीखते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6वीं कक्षा से ही भाषा पर दृष्टि देने के लिए और बच्चों में बुध्दि कुशलता बढाने के लिए मातृभाषा में ही शिक्षा देने का निर्णय किया गया है । इस क्रम में 5+3+3+4 और 4+1 या 2 वाली नई संरचना अपनाई जा रही है । पाठशाला से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा तक के भाषा माध्यम की समस्या और भारतीय भाषाओं को सीखने की समस्या पर भी विचार विमर्श करना जरूरी है। भाषा के साथ-साथ ज्ञान के अंतरण की समस्या पर भी चर्चा करनी है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तावित 'अखंड भारत'और 'श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार रूप प्रदान करने के लिए खासकर सरकार जनता और संस्थाएँ मिलकर परस्पर सहयोग के साथ काम करना होगा ।

यहाँ दो दृष्टिकोणों से चर्चा करना अनिवार्य है। एक तो भाषा माध्यम की दृष्टि से, दूसरा है स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भाषा शिक्षण की समस्याएँ। नई शिक्षा नीति 2020 में प्रमुख रूप से भाषाई आयामों को लेकर उल्लेख किया गया है। इसमें बहु भाषिक स्थिति या बहुभाषावाद और भाषा शक्ति के अंतर्गत भारतीय भाषाएं, कला और संस्कृति पर विचार विमर्श हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक मुख्य बिन्दु यह भी है कि बच्चों की 5वीं तक शिक्षा का माध्यम अपनी भाषा मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी ।

इस नीति के अनुपालन से यह समस्या उत्पन्न होने की संभावना होगी कि भारतीय बहुभाषिक स्थिति की वास्तविकता तथा अन्य व्यावहारिक समस्याएँ होंगी। क्योंकि, भारत में उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की भाषाएँ हम देख सकते हैं। यहाँ इस बात पर सोचना होगा कि हिंदी भाषाई क्षेत्र में घर की या मातृभाषा हिंदी अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति में हिंदी की बोलियों को अपनाया जाय या मानक हिंदी का प्रयोग किया जाय? मानक हिंदी को ही लिखा जाय? दक्षिण में घर की भाषाएँ अलग है। लिपि भी अलग-अलग प्रयोग करते हैं ।

वर्तमान भाषा शिक्षण के संदर्भ में मातृभाषा, अन्य भाषा और द्वितीय भाषा की संकल्पना के स्तर पर उनको पहचाना जा रहा है । मानक भाषाओं को ही पाठशाला में उनकी लिपि के साथ बढ़ाना चाहिए।

सामान्य रूप से भाषा को दो रूपों में प्रयोग करते हैं। एक साधारण बोलचाल की भाषा या व्यवहारिक भाषा और दूसरी विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र की भाषा या सैद्धांतिक भाषा का प्रयोग होता है। व्यवहारिक भाषा मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका और मानक भाषा के बीच का भेद पाठ्यक्रम निर्धारण में समस्या उत्पन्न करती है । शिक्षा माध्यम के स्तर पर भी यही समस्या उत्पन्न होती है।

विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता और संकल्पबोध को विकसित करने के लिए साहित्य के साथ-साथ साहित्येतर पाठों का उपयोग करना भी आवश्यक है। मिडिल स्कूल और सेकंडरी स्कूल स्तर तक आते-आते विद्यार्थियों में संकल्पनाशीलता और कल्पनाशीलता के विकास के लिए व्यावहारिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के साथ विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की शब्दावली के ज्ञान का परिचय देना जरूरी है। होनहार बच्चा माध्यम की ओर ध्यान नहीं देता, कुशलता से आगे बढ़ता है|

वास्तव में स्नातक स्तर पर वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व है। कुछ-कुछ ज्ञान तकनालजी, इंजनीरिंग और चिकित्सा वगैरा ही ज्ञान क्षेत्र के विद्यार्थी मात्र अंग्रेजी माध्यम से इन ज्ञान क्षेत्रों के ज्ञान को प्राप्त करने के कारण, हिंदी माध्यम में नहीं सीखने के कारण वे अपनी अभिव्यक्ति हिन्दी में नहीं कर पा रहे हैं। उनका संप्रेषण हिन्दी भाषा में कोड मिश्रित संप्रेषण के बल पर ही होता है । इसलिए स्नातक स्तर पर भी अलग-अलग ज्ञान क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं से संबंधित भाषा पाठ्यक्रमों का निर्माण तदनुरूप होना चाहिए। स्नातक स्तर के विद्यार्थी को अपने ज्ञान क्षेत्र की शब्दावली के साथ-साथ उस शब्दावली के बनाने की पृष्ठभूमि का परिचय भी इस स्तर पर पर होना चाहिए।

विद्यार्थियों को भारतीय भाषा के विकास की प्रक्रिया में संस्कृत भाषा और विदेशी भाषाओं की शब्दावली की भूमिका को इस स्तर पर समझना जरुरी हैं। भारतीय भाषाओं के

शब्द निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान भी स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक विद्यार्थियों को मिलें, तभी भारतीय भाषाओं का ज्ञान क्षेत्रों में प्रयोग और विकास भी होगा।

इसके लिए स्नातकोत्तर स्तर की भारतीय भाषाओं के अध्ययन करने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन की जरूरत है। पाठ्यक्रम के शिक्षण में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, भारत की भारतीय भाषाओं में ज्ञान अंतरण की प्रक्रिया जारी है। इसको दृष्टि में रखकर 'राष्ट्रीय अनुवाद मिशन' की स्थापना की गई थी। लेकिन वह एक विफलप्रयोग ही रहा। इस क्रम में नई ऊर्जा भरते हुए भारतीय भाषाओं में ज्ञान के अंतरण के लिए "इंडियन इनस्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन एण्ड इनटरप्रिटेशन"(Indian Translation And Interpretation)की स्थापना करने का प्रस्ताव स्वागत करना योग्य कदम है। भारतीय अनुसंधान विश्वविद्यालयों में तकनीकी के साथ-साथ भाषा शिक्षण और भाषा पाठ्यक्रम को जोड देना भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस दिशा में और कुछ भारतीय विद्यालयों में कदम उठाना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालयों में भाषा विषयक शोध को मुख्य रूप से साहित्येतर क्षेत्र में भाषा प्रयोग की विविधता से संबंधित विषयों पर शोध को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को छात्र वृत्तियाँ देना आवश्यक है और सामग्री का भी विकास करना जरूरी है।

इस क्रम में शिक्षण और अनुवाद के क्षेत्र में उचित शिक्षा में कदम उठाने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

विदेशों में हिंदी और भारतीय भाषाओं को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए भी पाठकों का निर्माण होना चाहिए और विदेशी भाषाओं की शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों को भी शिक्षा और शिक्षण मिलना चाहिए। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर यू.जी.सी. की ओर से भारतीय भाषाओं के भाषा पाठ्यक्रमों के नवीकरण की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इसके द्वारा भाषाओं के प्रति रूचि बढ़ा कर अपनी संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रख सकते हैं। इसके पीछे अनुवाद की भूमिका

महत्वपूर्ण रहेगी। अध्ययन व समझ के अतिरिक्त अनुवाद एक सांस्कृतिक पुल के रूप में काम करता है। हर विद्यार्थी अपनों के साथ दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है। अत: भौतिक और मानसिक सामर्थ्य का विकास और विस्तार करेगा। बालक भाषा रूपांतरण की प्रक्रिया द्वारा अपने भाषाई क्षेत्र को विस्तृत रूप दे सकता है।

अंततः हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के जो मुख्य बिन्दु हैं उनमें "सभी के लिए शिक्षा, शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता ही जवाबदेही है। शिक्षा, शिक्षण और शिक्षक में गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से स्वत: बदलाव आ जाएगा। बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग खुलेंगे और रुचि के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए प्रयास करेंगे। तनावमुक्त जीवन जीने के लिए अग्रसर होंगे। डिजिटल युग में तकनीकी के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं ।

डॉ.पी. सूर्यकुमारी
हिंदी विभाग, मानविकी संकाय हैदराबाद
केन्द्रीय विश्व विद्यालय
गच्ची बाँली,हैदराबाद -500046 तेलंगाणा

मातृभाषा की नई शिक्षा-यात्रा

डॉ. अंगदकुमार सिंह

सारांश :

मानव पहली बार जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है और मातृभाषा, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिकता को बढ़ावा देना शिक्षा नीति का उद्देश्य होना ही चाहिए। सरकार ने भी भाषा की ताक़त को पहचान कर भारत की मातृभाषाओं को और अधिक मज़बूत एवम् सक्षम बनाने व विकसित करने के उद्देश्य को राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 में प्राथमिकता दी है |

भारत सरकार ने 1986 और यथा संशोधन 1992 में लागू नयी शिक्षानीति के अधूरे काम को पूर्ण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 लागू किया है| इस शिक्षानीति के परिचय में कहा गया है कि, "शिक्षा पूर्ण मानव-क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है | गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के सन्दर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है | सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्धि प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है | अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा |"[1] इस नीति का उद्देश्य "अच्छे इंसानों का विकास करना है- जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिन्तन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों | x x x ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित- समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें |"[2]

राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 के प्रमुख मूलभूत सिद्धान्त हैं- 1. हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास-हेतु प्रयास करना 2. बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना 3. लचीलापन 4. कोई स्पष्ट अलगाव न हो 6. सभी ज्ञान की एकता और अखण्डता को सुरक्षित करने के लिए एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक और समग्र शिक्षा 7. अवधारणात्मक समझ पर जोर 8. रचनात्मकता और तार्किक सोच 9. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य 10. बहु-भाषिकता और अध्यापन में भाषा की शक्ति 11. जीवन कौशल 12. सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर 13. तकनीकी के यथासम्भव उपयोग पर जोर 14. विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान 15. सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन 16. स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में तालमेल 17. शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केन्द्र मानना 18. अखण्डता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता 19. उत्कृष्ट स्तर का शोध 20. प्रगति की सतत समीक्षा 23. भारतीय जड़ों और गौरव से बँधे रहना 24. शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है 25. एक मज़बूत, जीवन्त सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली में पर्याप्त निवेश |

यहाँ सभी बिन्दुओं पर विचार न करके सिर्फ़ मातृभाषा और भारतीय भाषाओं पर विचार किया जा रहा है | जन्म के पश्चात मानव पहली बार जिस भाषा को सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं | मातृभाषा, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। यूनेस्को ने मातृभाषा के महत्त्व को बखूबी समझकर और विचार करके 17 नवम्बर, 1999 को **'21 फरवरी'** के दिन को **'मातृभाषा दिवस'** घोषित किया और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी स्पष्ट किया कि इससे विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने भी भाषा की ताक़त को पहचान कर उसे और अधिक मज़बूत तथा सबल एवम् सक्षम बनाने व आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 को लागू किया | भारतीय नवजागारण के अग्रदूत, भारतीय साहित्य के पुरोधा और आधुनिककाल के प्रातिभ कवि, हिन्दी नाटक के शेक्सपियर के नाम से विख्यात नाटककार तथा निबन्धकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने निज भाषा के महत्त्व को बहुत पहले बताते हुए कहा था कि, "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल/ बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल |" उस समय इस पंक्ति को कहने के पीछे भारतेन्दु की

मान्यता हिन्दी के साथ भारतीय अन्य भाषाओं से रहा | उन्होंने आगे भी कहा है- "अंग्रेजी पढ़के जदपि, सब गुन होत प्रवीन/ पै निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन |" अर्थात् विदेशी भाषा में प्राप्त शिक्षा को पढ़कर आप प्रवीन तो हो जायेंगे लेकिन सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से हीन ही बने रहेंगे | भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने उस ज़माने में मातृभाषा में शिक्षा की बात उठायी और उसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए साकार करने का निवेदन किया तथा यह बात कही कि, "और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात/ निज भाषा में कीजिए, जो विद्या की बात | तेहि सुनि पावै लाभ सब, बात सुनै जो कोय/ यह गुन भाषा और महं, कबहूँ नाहीं होय |" दूसरे शब्दों में भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक वैभव की स्थापना का पहला पायदान निजभाषा या मातृभाषा में शिक्षा देने में ही निहित है |

महात्मा गाँधी ने सौ वर्ष पहले 1917 में मातृभाषा पर विचार करते हुए जो कहा था वह आज अधिक प्रासंगिक है | उनका कहना था कि, "विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में दिमाग पर जो बोझ पड़ता है, वह असह्य है | यह बोझ हमारे बच्चे उठा तो सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है | वे दूसरा बोझ उठाने लायक नहीं रह जाते | इससे हमारे स्नातक अधिकतर निक्कमे, कमज़ोर, निरुत्साहित, रोगी और कोरे नकलची बन जाते हैं | उनमें खोज करने की शक्ति, साहस, धीरज, वीरता, निर्भयता और अन्य गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं | इससे हम नयी योजनाएँ नहीं बना सकते और यदि बनाते हैं तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते |" हमारी मातृभाषाएँ लोक या जनता के व्यापक जनसंवाद और सम्प्रेषण की भाषा हैं तथा राष्ट्र की धरोहर भी | यदि हम इनके प्रति स्वाभिमान का भाव पैदा नहीं कर सकें तो फिर हम अपने राष्ट्र के प्रति भी स्वाभिमान का भाव नहीं रख सकते हैं | महात्मा गाँधी जी ने वर्धा शिक्षा-योजना 1937 में भी शिक्षा में मातृभाषा की अनिवार्यता पर जोर देकर कहा था कि "मेरी मातृभाषा में कितनी खामियाँ क्यों न हो? मैं इससे इसी तरह चिपका रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से | यही मुझे जीवनदायनी दूध दे सकती है | अगर अंग्रेज़ी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं है तो मैं उससे सख्त नफ़रत करूँगा वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों, करोड़ों की नहीं |" लेकिन वक्त के साथ उनके विचार भी बौद्धिक बहस का हिस्सा बनकर रह गये | यह बात लगभग सोलह आने सही है कि ब्रिटिश राज में हमारे देश में जो शिक्षा की व्यवस्था लागू की गयी थी वह सिर्फ़ क्लर्क पैदा करती है और बाहर से हिन्दुस्तानी परन्तु अन्दर से अंग्रेज़ बनाकर ही छोड़ती है जो

भारतीय समाज के बिल्कुल अनुकूल नहीं है और वे पढ़-लिख लेने के बाद अपने ही समाज से कट जाते हैं| इन्हीं कमियों को दूर करने और अपनी मातृभाषा तथा हिन्दुस्तानी भाषाओं को प्रश्रय देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 को लागू किया गया | राष्ट्रीय शिक्षानीति में स्पष्ट किया गया है कि, "छोटे बच्चे घर की भाषा/ मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं और समझ लेते हैं| x x x (इसलिए) जहाँ तक सम्भव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होगी | इसके बाद घर/ स्थानीय भाषा को जहाँ भी सम्भव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा | सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे |"[3] इसी के साथ यहीं आगे भी कहा गया है – "जिनके घर की भाषा/ मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण अधिगम-सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा |"[4] इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षानीति लागू होने से घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा को बड़ा बल मिला है अब वह अपना विकास करने के लिए कमर कसेगी और अपने को मजबूती के साथ संसार के सामने प्रस्तुत करेगी |

राष्ट्रीय शिक्षानीति में स्पष्ट उल्लेख है कि, "सभी भाषाओं को एक मनोरंजन और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जायेगा, जिसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी और शुरूआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ ग्रेड-3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किये जायेंगे | केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देशभर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विशेष रूप से संविधान की आठवी अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा-शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा |"[5] "संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा | x x x विशेषरूप से जो छात्र तीन में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषा में, जिसमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है, माध्यमिक कक्षाओं के अन्त तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा |"[6]

यह सही है कि चाहे अमेरिका हो या जापान, रूस हो या फ्रांस, आयरलैण्ड हो या तुर्की आदि सभी विकसित देशों ने अपनी मातृभाषा को अपना कर ही विकास के सोपान को प्राप्त किये हैं | बिना अपनी भाषा को अपनाये कोई भी देश विकास की सीढ़ी को प्राप्त नहीं कर सकता | भारत भी यदि मातृभाषा को अपनाकर अपना विकास करता तो अब तक यह भी विकसित देशों की सूची में कब का शामिल हो गया होता। इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा निति में स्पष्ट किया गया है कि, "जैसा कि दुनिया भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परम्पराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ होता है| भारत की भाषाएँ दुनिया में समृद्ध, वैज्ञानिक, और अधिक अभिव्यंजक भाषा में से हैं, जिनमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य (गद्य और कविता) के विशाल भण्डार हैं | इन भाषा में लिखी गयी फिल्म, संगीत और साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान और धरोहर है |"[7] भारत की जो शास्त्रीय भाषाएँ हैं (जैसे- संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया के आलावा पाली, प्राकृत तथा फ़ारसी) उनमें ज्ञान का ख़जाना भरा पड़ा है | इसे सँजोने और अध्ययन करने से हम बहुत से ज्ञान-विज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे और अपना तथा अपने समाज एवं देश का बखूबी विकास भी |

राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 में सभी भाषाओं के शिक्षण के लिए अनुभावात्मकता पर बल दिया गया है और कहा गया है कि, "सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों से समृद्ध किया जायेगा, जिसमें सरलीकरण और एप्स के माध्यम से, भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं- जैसे कि फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत- को जोड़ते हुए और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ और वास्तविक जीवन के साथ सम्बन्धों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जायेगा | इस प्रकार भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक अधिगम शिक्षणशास्त्र पर आधारित होगा |"[8] और अन्त में इस संकल्पना के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि, "भारतीय साइन लैंग्वेज (आइएसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जायेगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जायेगी, जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जायेगी | जहाँ सम्भव और प्रासंगिक हो वहाँ स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जायेगा और उन्हें सिखाया जायेगा |"[9]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आने से भारत की मातृभाषाओं को नयी यात्रा के शुभारम्भ का अवसर मिला तथा अपने को मज़बूत करने का भी | बहुभाषिकता हमारी कमज़ोरी न होकर हमारी विशेषता है | डॉ. जाकिर हुसैन ने बहुत ही सटीक कहा है कि, "हिन्दी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुन्दर हार का सृजन करेगा |" हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी अनेकता में एकता है | हमारी बहुभाषिकता में एक भाषा के रूप में हिन्दी की पहचान उस मुट्ठी के समान हैं जो अलग-अलग उंगलियाँ अर्थात् भाषाओं के होने के बावज़ूद हिन्दी के रूप में शक्ति का अहसास कराती है |

सर्वान्त में यह आश्वस्ति प्रकट की जा सकती है कि राष्ट्रीय शिक्षानीति में जब यह आकांक्षा प्रावधानित है कि शिक्षा के आठवें पड़ाव वर्ष के बाद भी उच्चशिक्षा के संकुल में मातृभाषा को प्रवेश दिया जा सकता है तब यह सन्तोष का विषय है कि मातृभाषा को घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर मुक्त आकाश और वायुमण्डल में घूमने, फूलने और फलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा |

डॉ. अंगदकुमार सिंह
असिस्टेण्ट प्रोफेसर: हिन्दी
जवाहरलाल नेहरू पी.जी. कॉलेज, बाँसगाँव
गोरखपुर (उ.प्र.), भारत – 273403
मो.नं.: 7460856206

संदर्भ :

1. राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020, परिचय, पृष्ठ 3
2. वही, पृष्ठ 6
3. वही, अनुच्छेद 4.11, पृष्ठ 19
4. वही, पृष्ठ 20
5. वही, अनुच्छेद 4.12, पृष्ठ 20
6. वही, अनुच्छेद 4.13, पृष्ठ 20
7. वही, अनुच्छेद 4.15, पृष्ठ 20-21
8. वही, अनुच्छेद 4.21, पृष्ठ 22
9. वही, अनुच्छेद 4.22, पृष्ठ 22

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भाषाई संदर्भ

डॉ. राजहंस कुमार

सारांश :

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०' भारतीय शिक्षा सन्दर्भ को पुनः परिभाषित और संवर्धित करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है | इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका भाषाई सन्दर्भ है | 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०' एक ओर यह इससे पूर्व में योजित भाषा नीतियों को पूर्ण करता है तो दूसरी ओर भविष्य में भाषा संवर्धन के माध्यम से राष्ट्रीय - सांस्कृतिक एकात्मकता को दृढ करने की क्षमता रखता है | प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठ्यक्रम - शिक्षा के स्तर पर इसमें 'त्रिभाषा फार्मूले' के तहत क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृत को महत्व दिया गया है | महत्वपूर्ण यह भी है इस भाषा नीति में 'मातृभाषा में ज्ञान अर्जन' के महत्व को समझते हुए उस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं | उच्च शिक्षा के स्तर पर 'भाषा शिक्षकों' की नियुक्तियाँ एवं अखिल भारतीय स्तर पर भाषा शिक्षकों के बड़े कैडर को खड़ा करने की केंद्रीकृत योजना , तीव्र गति से भाषा - संवर्धन की दिशा में अत्यंत महात्वाकांक्षी योजना है | लोकतंत्र में ज्ञान एवं कौशल की अधिकतम उपयोगिता जनभाषा में उतरकर ही संभव है | प्रस्तावित भाषा नीति की मूल आत्मा इसी विचार पर केन्द्रित दिखाई देती है | योजना में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यान्वयन पक्ष के महत्व को भी समझा गया है पर इसके लिए और भी स्पष्ट एवं लक्ष्य केंद्रित सूक्ष्म स्तरीय रूपरेखा अपेक्षित है |

किसी भी राष्ट्र की दृढ़ता और विशिष्टता की आधारशिला उसके राष्ट्रीय परिवेश में मौजूद उसकी ज्ञान व्यवस्था होती है | आधुनिक राष्ट्र राज्यों में यह ज्ञान व्यवस्था सरकारों द्वारा योजित शिक्षा नीतियों से निर्मित, संशोधित और परिवर्धित होती रही है | भारत भी राष्ट्र राज्य के रूप में अपने जनमानस की ज्ञान - व्यवस्था एवं कौशल की विशिष्टता को वैश्विक परिदृश्य में प्रासंगिक बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की योजना करता रहा है | 'राष्टीय शिक्षा नीति 2020' भारत के इन्हीं प्रयासों की नवीनतम कड़ी है | एक दीर्घ समयांतराल एवं वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों के कठिन परिश्रम के बाद इस शिक्षा नीति को २९ जुलाई २०२० को

भारत सरकार की मंजूरी मिली है | इस मंजूरी के साथ ही 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० ' ने १९८६ की शिक्षा सम्बंधित राष्टीय नीति, जो १९९२ में संशोधित भी हुई, को विस्थापित कर दिया| पर पिछली शिक्षा नीति का यह विस्थापन अपनी मूल आत्मा में पूर्व में अधूरे रह गयी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने का राष्ट्रीय प्रयास है| 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०' के परिचय खंड जिसे प्रस्तावना भी माना जा सकता है में स्पष्ट कर दिया गया है कि "१९८६ की राष्टीय शिक्षा नीति, जिसे १९९२ (एनपीई १९८६ /९२) में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है|"[1] इस शिक्षा नीति ने २०४० तक अपने लिए एक ऐसे लक्ष्य की संकल्पना भी की है जिसमें सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो पाए | यह संकल्पना ऐसे समय में की गयी है जब वैश्विक ज्ञान परिदृश्य बिग डेटा, यांत्रिक शिक्षण और कृत्रिम बौद्धिकता की ओर बढ़ चला है | भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय के समक्ष आतंक ,बेरोजगारी , प्रदूषण ,जलवायु परिवर्तन ,कोरोना महामारी जैसे प्रश्न नग्न यथार्थ रूप में खड़े हैं | सर्वमान्य सत्य है कि समाधान का आधार शिक्षा ही है | यह अच्छी बात है कि भारत की नई शिक्षा नीति में इन सभी तथ्यों को संबोधित किया गया है | शिक्षा नीति की सम्पूर्ण संरचना में बुनियादी तौर पर यह ध्यान रखा गया है कि हमारे विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे वो आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के साथ बीत गयी भारतीयता और उसमें छुपे संस्कारों का भी प्रतिनिधित्व कर पायें | शिक्षा में इक्कीसवीं सदी के अधुनातन कौशल संवर्धन के साथ - साथ ज्ञान , प्रज्ञा और सत्य की खोज के भारतीय विचार - परम्परा को भी स्थान दिया गया है | शोध और शिक्षा का आकाश विज्ञान और व्यवसाय के लिए ही नहीं बल्कि भाषा , कला और संस्कृति के लिए भी समान रूप से खोला गया है | इस योजना में भाषा नीति पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है | चार भाग ,सत्ताईस अध्याय एवं कुल एक सौ तीन पृष्ठों में समायोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०' में भाषा नीति दो स्थानों पर उधृत हुई है | एक तो , भाग एक 'स्कूल शिक्षा' के अध्याय चार में और दूसरे भाग तीन, 'अन्य केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे' के अध्याय बाईस में 'भारतीय भाषा , कला और संस्कृति' के नाम से | बड़ी स्पष्टता से अपनी इन नीतियों में सरकार ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को

[1] राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० - पृष्ठ,06

स्वीकारा है | प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा का माध्यम मातृभाषा / घर की भाषा / स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा रखे जाने पर जोर दिया गया है | सरकार की इस नीति में विशेष कर पांचवीं कक्षा तक और यदि संभव हो तो आठवीं कक्षा तक भी सभी विषयों की ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा को बनाने की बात की गयी है | इसके अंतर्गत द्विभाषी पाठ्य-सामग्री एवं भाषा शिक्षकों को उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया गया है | द्विभाषी पाठ्यसामग्री वैसी अनुदित सामग्री होगी जो छात्रों को अपने परिवेश की भाषा में विषयों को अधिक गतिशीलता एवं गंभीरता से सीखने में मदद पहुंचाएगी | 'भाषा शिक्षक' शब्द कई बार आजादी पूर्व स्थापित 'फोर्ट विलियम कॉलेज' की याद दिलाता है जिसके अंतर्गत भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी | पर इस नीति के तहत भाषा शिक्षकों की नियुक्ति अत्यंत उपयोगी एवं व्यावहारिक कदम हो सकता है | राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत व्यवस्था के तहत इन भाषा शिक्षकों के माध्यम से हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं को एक छतरी के नीचे लाकर इनके प्रचार प्रसार में अधिकतम सफलता हासिल की जा सकती है | 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०' के अनुसार 'त्रिभाषा फार्मूले' को थोड़ा लचीला करते हुए पहले की तरह ही जारी रखा जायेगा | संस्कृत जैसी समृध शास्त्रीय भाषा 'त्रिभाषा फार्मूले' का हिस्सा बनी रहेगी | भारतीय भाषाएँ , अंग्रेजी तथा अन्य प्रासंगिक विदेशी भाषाएँ माध्यमिक स्कूल के स्तर पर विकल्प के रूप में छात्रों के शिक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी | भारत की बहुभाषिकता की शक्ति की पहचान हेतु प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पढाई के दौरान 'भारत की भाषाएँ' विषय पर परियोजना कार्य जैसी संकल्पना सराहनीय जान पड़ती है | बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भारतीय 'साइन लैंग्वेज' को देश भर में मानकीकृत करने की योजना भी भाषाई नीति के के सुविचारों में ही गिना जाएगा | उच्चतर शिक्षा में भी सरकार ने माना है कि भाषा शिक्षण एवं संवर्धन के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए | चूँकि किसी भी देश की कला और संस्कृति उसकी भाषा में ही सुरक्षित रहती है इसलिए भारत जैसे बहुलतावादी संस्कृति संपन्न देश में ये और भी अनिवार्य है कि हमारी भाषाई विविधता को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाए | पिछले पचास वर्षों में लगभग दो सौ बीस भाषाओं को खो चुका यह देश कम से कम इतने ही सांस्कृतिक रंगों को भी खो चुका है | भाषा नीति में सभी भारतीय भाषाओं को प्रासंगिक बनाए रखने एवं लुप्तप्राय भाषाओं को सुरक्षित रखने हेतु सबंधित भाषा में विश्वविद्यालयी -पाठ्यक्रम ,साहित्य - सामग्री , अन्य भाषा से अनुवाद ,शब्दकोश निर्माण जैसे पारंपरिक उपायों पर भरोसा दिखाया

गया है | इसमें उत्कृष्ट कला - संकाय एवं संकायों में भाषा एवं साहित्य के उत्कृष्ट शिक्षकों के माध्यम से भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को खडा करने की सुखद संकल्पना दिखाई देती है | निश्चित रूप से ये सारी नीतियाँ चाहे स्कूल स्तर की हों , विश्वविद्यालय स्तर की या फिर इनसे इतर पूरे भारत की, भाषाई विविधता के साथ सांस्कृतिक विविधता को भी संपुष्ट कर सकती हैं | एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र को शायद ऐसी ही भाषा नीति की आवश्यकता है | ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 'कोठारी कमेटी' की अनुशंसा पर आधारित १९६८ की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति से लेकर आज तक सभी भाषा नीतियों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देते हुए 'त्रिभाषा फार्मूले' को अपनाने की बात की गयी है | पर इन नीतियों के कार्यान्वयन परिणाममूलक नहीं हो पाए हैं | या फिर राष्ट्र की रचनात्मक अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए हैं | उच्चत्तर शिक्षा को छोड़ भी दें तो कामोबेश पूरे देश में ज्ञान सीखने सिखाने की प्राथमिक भाषा आजादी के इतने वर्षों बाद भी अंग्रेजी ही है | विद्या अर्जन के प्राथमिक चरण में ही एक शिशु तथ्यों और तार्किकता से ज्यादा अपना मस्तिष्क और समय भाषा अर्जित करने में लगाता है | राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो आज से सौ वर्ष पहले ही इससे होने वाले राष्ट्रीय नुकसान की गणना कर ली थी और 20 अक्टूबर १९१७ के भड़ौच के 'शिक्षा के माध्यम' संबंधी भाषण में हमें आगाह भी किया था- "अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा में कम से कम सोलह वर्ष लगते हैं | यदि इन्हीं विषयों की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा दस वर्ष लगेंगे | यह राय बहुत से अनुभवी शिक्षकों ने प्रकट की है | हजारों विद्यार्थियों के छह-छह वर्ष बचने का अर्थ यह होता है कि कई हजार वर्ष जनता को मिल गए |"[2] इसी तरह उच्चतर शिक्षा के सन्दर्भ में भी गांधी जी का मानना था कि अपनी भाषा के जरिये शिक्षा प्राप्त करने पर ही हम अपने ज्ञान का लाभ या उसमें हिस्सेदारी सामान्य जनता तक या अपने समाज तक पहुंचा सकते हैं | उनके अनुसार हम अपने धोबी, नाई,भंगी सभी को सहज ही शिक्षा दे सकेंगे यदि हम अपनी भाषा के जरिये उच्च शिक्षा प्राप्त करें तो | निश्चित रूप से शिक्षा की यही साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है | शिक्षा किसी भी स्तर की हो उसमें मौजूद ज्ञान - कौशल की अधिकतम उपयोगिता जन भाषा में उतरकर ही संभव

[2] बापू ने कहा था-पृष्ठ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत,मनोज कुमार राय -संपादक,52-2018

है | राष्ट्र की इस भाषाई जरूरत को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०' में भी समझा गया है पर क्रियान्वयन को गंभीरता से लेने पर ही यह योजित रास्ता तय हो पायेगा| यह सुखद है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम हिस्सा 'क्रियान्वयन की रणनीति' है और अंतिम अध्याय भी 'कार्यान्वयन' ही | स्वंय नीति निर्माता ये मान रहे हैं कि तमाम नीतियों की परिणाम मूलकता उसके कार्यान्वयन पर ही निर्भर है | भाषा नीति के सन्दर्भ में तो यह बात और भी महत्वपूर्ण है | जिस देश में लगभग १६०० से ऊपर बोलियाँ बोली जाती हो जहाँ की सांस्कृतिक विविधता एवं अस्मिताओं की बहुलता से रोज राजनीतिक प्रश्न खड़े होते हों , वहां जमीनी प्रशासनिक धरातल पर इन नीतियों को लागू करना अत्यंत कठिन है | अपेक्षा है कि शासन, प्रशासन और कानूनी दुरूहताओं को दूर करते हुए हमारा राष्ट्र अपने तय भाषाई लक्ष्य को प्राप्त करेगा |

डॉ. राजहंस कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय
मोबाइल नम्बर –9811512046

संदर्भ सूची :

[i]) राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० ,पृष्ठ -06
[ii]) बापू ने कहा था,संपादक- मनोज कुमार राय,राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत ,पृष्ठ-52-2018

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : विज्ञान संचार में मातृभाषा-माध्यम की भूमिका

डॉ. दया शंकर त्रिपाठी

आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए मातृभाषा में नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक है कि आरम्भ में ज्ञान का रोपण मातृभाषा में किया जाए। इस दिशा में वर्तमान शिक्षा नीति के प्रावधान काफी महत्वपूर्ण हैं। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की वकालत करने वाले राष्ट्रचिंतक महामना पं. मदनमोहन मालवीय ने सन् 1929 में ही अपने विचार व्यक्त कर दिये थे, जिसकी चर्चा आगे की गई है।

नई शिक्षा नीति 2020 के लिए जनसंचार तथा विज्ञान लेखन में मातृभाषा को अपनाया जाना परमावश्यक है। यद्यपि देश भर में हिन्दी को समृद्ध करने के लिए काफी काम हो रहे हैं, फिर भी इसके लिए और भी समर्पित एवं दूरगामी लक्ष्य निर्धारण के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

यह सर्वविदित है कि व्यक्ति को सबसे पहली जानकारी या शिक्षा माता से प्राप्त होती है। अतः व्यक्ति के जीवन में पहला संचारक 'माता' को कहा जाता है। माता के माध्यम से नवजात पहले इशारे को समझता है, फिर शब्दों के माध्यम से सांसारिक चीजों को समझने का प्रयास करता है। इसमें द्वितीयक के तौर पर पिता की भूमिका भी बनती है और इस प्रकार व्यक्ति के लिए पहले संचारक के रूप में माता-पिता सहित पूरा परिवार साझीदार बनता है। इस प्रकार बालक को अपने माता-पिता की भाषा आसानी से समझ में आने लगती है।

मातृभाषा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं - ''मातृभाषा वह भाषा है जो हमें अपने माता-पिता से प्राप्त होती है।ष् प्रारम्भ मे परिवार के स्तर पर यह आपसी चीजों को समझने के लिए प्रयुक्त होती है। आगे बढ़ने पर इसका परिमार्जन होता है और समाज के स्तर पर एक सर्वमान्य भाषा बन जाती है। हमारी मातृभाषा एक सांस्कृतिक विरासत है, जैसा किसी अन्य भाषा के साथ संभव नहीं। मातृभाषा में संप्रेषणीयता उस भाषा के बोलने वाले के लिए अधिक मार्मिक

होती है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में क्षमायाचना के लिए 'सॉरी' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो दिल से निकलती हुई भाषा या शब्द प्रतीत नहीं होते। वहीं हिन्दी में 'क्षमा कीजिएगा', 'भूल हो गई' आदि जैसे शब्द दिल की गहराइयों से निकलते प्रतीत होते हैं और दिल को छू जाते हैं। एक अन्य उदाहरण में देखिए, हिन्दी भाषा में पारिवारिक संबंधों को संबोधित करने वाले शब्द बहुत ही स्पष्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों को संबोधित करने वाले शब्द अस्पष्ट हैं।

उदाहरण के तौर पर हिन्दी और अंग्रेजी में पारिवारिक संबंधों का संबोधन देखिए- (हिन्दी में शब्द संबोधनों का अंग्रेजी में संबोधन शब्द कोष्ठक में दिया गया है, जो अग्रेजी की अस्पष्टता को प्रकट करता है) -

हिंदी - ताऊ, चाचा, मामा, फूफा, काका, मौसा तथा अंग्रेजी (Uncle)
जीजा, साला, साढ़ू, देवर, जेठ (Brother-in-law)
साली, भाभी, ननद, सरहज, जेठानी (Sister-in-law)
(जीजा को अंग्रेजी में Brother-in-law (Gainer)
कह सकते हैं और साला को अंग्रेजी में Brother-in-law (Looser) कह सकते हैं) .....

मातृभाषा सीधे तौर पर हमारे अनुभवों और रोजमर्रा के क्रियाकलापों से जुड़ी होती है। जब भी किसी व्यक्ति को अपने अथवा किसी अन्य के दुःखों को व्यक्त करना होता है, तब अपनी मातृभाषा में जितनी सहजता, शीघ्रता और भावुकता के साथ वह अपनी बात कह पाता है, उतनी अन्य किसी भाषा के साथ वह नहीं कह सकता। अन्य भाषाओं में विचार तो व्यक्त किये जा सकते हैं, लेकिन उनमें उस मार्मिकता और भावनाओं का संप्रेषण संभव नहीं है, जो अपनी मातृभाषा में हैं। मातृभाषा से हमें अपने परिवेश का बोध होता है और संबंधों में मजबूती भी आती है।

हिन्दी भारतीय गणराज्य की राजभाषा है और यह प्रवासी भारतीयों की प्रमुख संपर्क भाषा भी है। यह संपूर्ण देश में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कम से कम 9-10 राज्यों में हिन्दी हमारे दिल की भाषा है। यह बचपन से ही सिखलाई जाती है। हिन्दी भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मानवीय संबंधों एवं भावनाओं को प्रकट करने की विशेष क्षमता है। भारत के संदर्भ में यह गुण किसी भी विदेशी भाषा में नहीं है। आज वैश्वीकरण के युग में हिन्दी भाषा का

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपयोग किया जा रहा है। हिन्दी बोलन वालों की संख्या की दृष्टि से यह भाषा आज भी चीनी (मंदारिन) और अंग्रेजी से किसी भी रूप में पीछे नहीं है।

हिन्दी भाषा के प्रसार पर वैश्वीकरण का भी असर पड़ा है। वैश्वीकरण ने दुनिया को समझने के लिए ऐसी भाषा पढ़ने को भारत के लोगों को भी विवश कर दिया, जो दूसरों की भाषा रही है। साम्राज्यवाद के कई दुर्गुण हैं, उनमें से एक प्रमुख दुर्गुण है कि वह सबसे पहले उस देश के सांस्कृतिक धरातल पर आक्रमण करता है, जहां उसे अपना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विस्तार करना होता है। साम्राज्यवाद वहां की भाषा को हीनतर और पिछड़ा हुआ सिद्ध करने के प्रयत्न करती है। परिणामस्वरूप, लोग अपनी मातृभाषा बोलने से कतराने लगते हैं। लोग अपनी अभिव्यक्ति दूसरी भाषा में करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी मातृभाषा से दूर होने लगते हैं, कटते चले जाते हैं।

मातृभाषा हिन्दी के प्रबल समर्थक भारतरत्न महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी का हिन्दी के संबंध में भारतरत्न पं. मदन मोहन मालवीय जी का कहना था कि देश की एकता और संप्रभुता के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है और यह काम हिन्दी से ही हो सकता है। भारत में हिन्दी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सभी छोटे बड़े नगरों के हाटों-बाजारों में समझी तथा बोली जाती है।

भारतरत्न मालवीय जी ने लिखा है - ‘‘अगर मैं व्यक्तिगत अनुभव बतलाऊँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने सात वर्ष की अवस्था से ही अंग्रेजी सीखी और मुझे इस भाषा को सीखते और प्रयोग करते इकसठ वर्ष हो गये, परन्तु मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि मैं जितनी सरलता से अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता हूँ, उसकी आधी भी मैं अंग्रेजी भाषा में नहीं कर सकता हूँ।‘‘

मालवीय जी प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने नागरी लिपि और हिन्दी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आन्दोलन चलाए। उन्हें हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए जन आन्दोलन चलाने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के संरक्षण तथा हिन्दी साहित्य के संवर्धन हेतु प्रयाग में सन् 1884 में हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा का गठन किया था। मालवीय

जी के प्रयास से ही 1 अप्रैल 1900 को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एन्टनी मैकडोनेल ने सरकारी आदेश द्वारा अदालतों में फारसी के साथ-साथ देवनागरी लिपि के प्रयोग की अनुमति प्रदान की थी।

मालवीय जी का यह मानना था कि नागरी लिपि के प्रचार के बाद से ही लोगों में शिक्षा एवं अपनी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मालवीय जी की इच्छा थी कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जाये, किन्तु तत्कालीन शिक्षा सचिव हरकोर्ट बटलर के विरोध के चलते उस समय ऐसा संभव नहीं हो सका था। मालवीय जी ने सन् 1922 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना कर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर हिन्दी को एक विषय के रूप में स्थान दिलवाया था।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का देशीकरण

नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस में लिखा निम्न उद्धरण आज भी प्रासंगिक है - ''विचारों में मौलिकता लाने के लिए किसी व्यक्ति की मातृभाषा जो सहायता दे सकती है, वह कोई भी विदेशी भाषा नहीं दे सकती। विदेशी भाषा उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, जिनके पास उसे प्राप्त करने हेतु पर्याप्त साधन हैं। किंतु किसी पूरे देश तथा जाति को शिक्षित करने के लिए वह भाषा कदापि सुगम साधन नहीं हो सकती।... अंग्रेजी भाषा को वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तथा उसे जनसामान्य में फैलाने के लिए पढ़ना चाहिए। इस भाषा द्वारा हमारे देशवासियों को यूरोप तथा अमेरिका में पिछले सत्तर-अस्सी वर्षों में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान तथा यंत्र के प्रचार और रासायनिक पदार्थों से आर्थिक क्षेत्र में हुई आश्चर्यजनक उन्नति का ज्ञान हो सकेगा।''

उन्होंने कहा था - ''किसी विषय को अंग्रेजी माध्यम द्वारा सीखने के लिए अंग्रेजी भाषा के जितने ज्ञान की आवश्यकता है, उतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो वर्षों का परिश्रम अपेक्षित है, यदि उस समय तथा परिश्रम का उपयोग किसी विषय का अध्ययन करने के लिए किया जाए तो उससे देश का कितना लाभ होगा, इसका विचार प्रत्येक विचारशील व्यक्ति कर सकता है। यदि प्रारंभ ही से देशी भाषाओं के माध्यम द्वारा शिक्षा नहीं दी जाएगी तो देशी भाषाओं में पाठ्य

पुस्तकों की रचना का मार्ग विलंबित होगा, जो शिक्षण के माध्यम के रूप में वस्तुतः अंग्रेजी के लगातार प्रयोग को ही पुष्ट करेगा।"

महामना ने विज्ञान एवं तकनीकी विषयों में हिंदी मे पाठ्य पुस्त्कों के सृजन हेतु एक परिषद का गठन किया, जिसने 1931 के बाद अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया। उनका मानना था - ''देशी भाषाओं में उस साहित्य का निर्माण करना एक दुष्कर कार्य है, जिसके माध्यम द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में उच्च शिक्षा दी जा सके। इसके लिए अगाध परिश्रम तथा समय की आवश्यकता होगी। किंतु आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय के सम्मुख सब कठिनाइयां सरल बन जाती हैं।"

महामना के अनुसार, ''सभ्य संसार के किसी भी अन्य भाग में जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है।... हमारे विद्यार्थियों को किसी भी विषय में उतना अच्छा ज्ञान नहीं हो सकता, जितना उसी विषय का अपनी मातृभाषा के द्वारा अध्ययन करके एक अंग्रेज बालक ज्ञान प्राप्त करता है। भारतीय नवयुवक की सोचने की तथा अपने को व्यक्त करने की, दोनों शक्तियों का ह्रास हुआ है। उसकी दशा बड़ी ही शोचनीय है। अतएव राष्ट्रीय शिक्षा अपनी उत्तमता के उच्च शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकती, जब तक जनता की मातृभाषा अपने उचित स्थान पर, शिक्षा के माध्यम से तथा सर्वसाधारण के व्यवहार में न स्थापित की जाए।"

उन्होंने यह भी कहा है - ''अंग्रेजी संसार की भाषा है, अथवा होने वाली है। मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक शिक्षित भारतीय को, अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों को उपदेश देता हूँ, कि वे इस भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें और हो सके तो जर्मन तथा फ्रांसीसी भी सीख लें। परन्तु हमें अंग्रेजी भाषा को गौड़ भाषा मानकर पढ़ने के लिए उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि इसकी गणना मनुष्य समाज में व्यापारिक भाषा के रूप में है, और व्यावहारिक व्यापार में इसका पढ़ना श्रेयस्कर है। किन्तु हमें इसे ऐसा मुख्य स्थान कभी नहीं देना चाहिए जैसा कि आज हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे सार्वजनिक राज्य प्रबन्ध और व्यापारिक संसार में जमाए बैठी है। राष्ट्रीय भाषाओं के न अपनाने से हमारी कितनी क्षति तथा हमारा कितना नैतिक अधःपतन हुआ है, यह वर्णनातीत है। हमें इसको रोकने का उपाय करना चाहिए। अंग्रेजी भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा कभी नहीं हो सकती। जब तक अंग्रेजी भाषा भारतवर्ष की कचहरियों,

दफ्तरों, संस्थाओं तथा स्कूल-कालेजों और विश्वविद्यालयों में अपना वर्तमान प्रमुख स्थान धारण किए रहेगी, तब तक हिंदुस्तानी भाषा राष्ट्रीय जीवन में उचित स्थान नहीं प्राप्त कर सकती, और एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास कभी नहीं हो सकता।" पूर्वोक्त विचार महामना पं. मदन मोहन मालवीय जी ने 14 दिसम्बर 1929 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बारहवाँ दीक्षान्त भाषण करते हुए व्यक्त किए थे।

मालवीय जी ने विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी भाषा को स्थापित करने और व्यापक पैमाने पर प्रचार-प्रसार की उद्देश्यपूर्ति हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सन् 1930 में ''हिन्दी समिति" नामक इकाई की अलग से स्थापना की थी, जबकि हिन्दी विभाग काफी पहले ही स्थापित किया जा चुका था। समिति के प्रमुख उत्तरदायित्वों में विज्ञान, कृषि, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चकोटि के स्तरीय और सर्वमान्य मौलिक ग्रंथों की रचना और इन विषयों की अन्य भाषाओं, विशेषतः अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषा की विज्ञान पुस्तकों का अनुवाद कराया जाना था। बाद में यह समिति सन् 1963 में ''हिन्दी प्रकाशन समिति (भौतिकी प्रकोष्ठ)" के नाम से प्रतिष्ठित हुई, जो आज भी अपने कई प्रकार के कार्यों के माध्यम से हिन्दी में विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और प्रौद्योगिकी के अकादमिक संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

हिन्दी प्रकाशन समिति के कार्यों को गति और प्रोत्साहन प्रदान करने में ''वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार" का भी उल्लेखनीय योगदान रहता है। आयोग अपने व्यापक वित्तीय अनुदान के माध्यम से विज्ञान की उच्चस्तरीय विविध पाठ्य पुस्तकों के निर्माण तथा प्रकाशन में सहयोग करता है और संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आयोजन में सहभागी बनकर मातृभाषा में विज्ञान लेखन को प्रेरित, प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोग का यह कार्य नई शिक्षा नीति 2020 को सशक्त बनाने में विशेष योगदान करने वाला है।

नई शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में लोकोपयोगी विज्ञान लेखन

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रसार हेतु मातृभाषा हिन्दी में विज्ञान लेखन भी उपयोगी साबित होगा। विज्ञान लेखन का तात्पर्य लोक के लिए उपयोगी विज्ञान से है। इसका उद्देश्य विज्ञान को

ऐसी सरल एवं सुबोध भाषा में प्रस्तुत करना है कि विज्ञान विषय का कम ज्ञान रखने वाले भी उसे समझ सकें। उसके पढ़ने में रुचि लें तथा व्यावहारिक जीवन में उसका लाभ भी उठा सकें। इस प्रकार लोकहितकारी जानकारियों सूचनाओं को ध्यान में रखकर किया गया लेखन ही लोकप्रिय विज्ञान लेखन कहा जा सकता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं रेडियो तथा दूरदर्शन के लिए जो जानकारियाँ तैयार की जाती है, उनमें लोकहित का विशेष ध्यान रखा जाता है।

हिन्दी में विज्ञान लेखन करते समय हमें यह विचार करना होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, इसे ही क्यों लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। हमें अपने लेखन के द्वारा विज्ञान के व्यावहारिक पक्ष को उजागर करना होता है। किसी भी लेखन को ऐसी शैली में लिखना होता है, जो रुचिकर और सुग्राह्य हो। इसके लिए हमें रोज की घटनाओं को विज्ञान के सिद्धान्तों और प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से समझाना होता है। विज्ञान लेखन द्वारा समाज में व्याप्त अंधविश्वास को समाप्त किया जा सकता है, जिसमें समाज हित निहित है। हमें वैज्ञानिक सूचनाएँ समाज के विविध वर्गों के लिए तैयार करनी होती है। लेखन के पूर्व यह विचार करना होता है कि क्या हम अपने उन छात्र-छात्राओं, किसानों, व्यापारियों, नौजवानों व बुजुर्ग व्यक्तियों को विज्ञान की जानकारी रोचक ढंग से देते हैं, जिनके विषय में उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए?

हिन्दी में विज्ञान लेखन के लिए हमें विशेष रूप से हिन्दी भाषा अथवा जिस भाषा में लेखन करना हो, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। हमें उन तमाम अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय जानने चाहिए, जिनकी लिखते समय हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। लेखन कार्य के लिए हमें विभिन्न शैलियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम जनसंचार के लिए एक प्रभावशाली लेखन कर सकेंगे।

नई शिक्षा नीति 2020 को गति देने के लिए विज्ञान जन सूचनाओं के प्रचार-प्रसार में पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके लिए हमें जानना चाहिए कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। यह भी जानना चाहिए कि बच्चों की पत्रिकाएँ, छात्रों की पत्रिकाएँ, जनोपयोगी पत्रिकाएँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रिकाएँ, कृषि की पत्रिकाएँ और महिलाओं तथा वरिष्ठों के लिए पत्रिकाएँ कौन-कौन सी हैं? इनसे प्राप्त जानकारियों का शिक्षण में उपयोग हो सकता है।

सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों की रुचि खानपान, स्वास्थ्य, औषधि, बागवानी, तकनीकी, चिकित्सा एवं दैनिक उपयोग की जानकारियों में होती है। यदि उन्हें यह बताया जाये कि वैज्ञानिक दृष्टि से खाद्य और अखाद्य वस्तुएँ कौन-कौन सी हैं, उनमे मिलावट आदि की क्या आशंकाएं हैं और स्वास्थ्य पर इनके दुष्प्रभाव क्या हैं, उन्हें आसानी से कैसे परखा जा सकता है, हमें आहार-विहार कैसे करना है, किन पदार्थों का कितनी मात्रा में, कितनी अवधि तक सेवन करना है, तो वे उससे लाभान्वित होंगे और सरलतापूर्वक अपना लेंगे। इसमें राष्ट्र की समृद्धि भी निहित है।

इनके साथ ही दूसरी तरफ हमारे कृषि आधारित कार्य करने वाले ग्रामीणजन हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के मुख्य साझीदार हैं। उनकी रुचि खे-बारी के साथ-साथ लघु एवं अर्थकारी उद्योगों में रहती है। वे अपने आस-पास की चीजों को जानना चाहते हैं। यदि उन्हें कृषि उत्पादन के साथ-साथ उनके भण्डारण, संरक्षण, परिष्करण, विपणन तथा आसपास की मंडियों और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाये तो काफी उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होंगी।

आज देश का नागरिक अपने आस-पास के जल और वायु की संरचना और संरक्षण के प्रति भी जागरूक है और इनकी अद्यतन स्थिति के बारे में जानना चाहता है। अपने समीपवर्ती पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति लोग सजग भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका है कि इनका उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अतः यदि जनसंचार और विज्ञान लेखन के माध्यम से उन सभी तक इन सूचनाओं को पहुँचा सकें तो यह हम सबके लिए उपयोगी कार्य होगा।

आज की परिस्थितियों में हमें लोकप्रिय विज्ञान लेखन करते समय ध्यान रखना होगा कि वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों और संदर्भों का उल्लेख भी किया जाय। विज्ञान में स्वीकृत मानक इकाइयों का ही जिक्र किया जाए। इससे जनसंचार एवं लोकोपयोगी विज्ञान लेखन में एकरूपता तथा प्रामाणिकता आयेगी। अतः यह आवश्यक है कि लेखक को लेखन करने से पूर्व विषय में विशेषज्ञता हासिल कर लेनी चाहिए। तभी त्रुटिहीन और वास्तविक जानकारियाँ समाज में पहुँच सकेंगी।

कोई भी व्यक्ति जो मातृभाषा की महत्ता को जानता और समझता है, उसे ज्ञात होता है कि सृजन, आविष्कार, निर्माण, विकास, लोक छवि, आन्दोलन और बदलाव के लिए मातृभाषा से बेहतर कोई भी माध्यम नहीं हो सकता। जनसामान्य को मूलतः उनकी मातृभाषा में अच्छी तरह से संबोधित एवं प्रेरित किया जा सकता है। हमारी अस्मिता, साहित्य, सृजनात्मकता का सर्वोच्च वैभव मातृभाषा में ही निहित है।

डॉ. दया शंकर त्रिपाठी
(उप-संपादक, विज्ञान-गंगा, हिन्दी प्रकाशन समिति,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)
बी. 2/63 सी-1के, भदैनी, वाराणसी-221 001
मो 0 9415992203, Email: dstripbhu@gmail.com

संदर्भ :

1. महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी द्वारा 14 दिसम्बर 1929 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 12वें दीक्षान्त भाषण का अंश।
2. महामना मालवीय जी और उनकी अमर कृति, एस. सोमस्कन्दन, पयस्वती प्रकाशन, वाराणसी, 2010।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (ऑनलाइन पीडीएफ फाइल)।
4. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग), रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में दिनांक 13-14 दिसंबर 2005 तक आयोजित "हिन्दी में विज्ञान लेखन की समस्याएं एवं उनका निदान" विषयक शब्दावली कार्यशाला में व्याख्यान का अंश।
5. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली द्वारा हिंदी प्रकाशन समिति विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिनांक 16-17 फरवरी 2011 तक आयोजित हिंदी में विज्ञान लेखन कार्यशाला में व्याख्यान का अंश।
6. हिंदी प्रकाशन समिति, काशी विद्यालय वाराणसी में दिनांक 22 मार्च 2012 को आयोजित "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा में हिंदी के उपयोग के परिपेक्ष में महामना की दृष्टि" विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में व्याख्यान का अंश।
7. हिंदी प्रकाशन समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में दिनांक 28 फरवरी 2014 को आयोजित "हिंदी में विज्ञान लेखन कला के विविध आयाम" विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में व्याख्यान का अंश।
8. हिंदी प्रकाशन समिति, विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2016 को आयोजित "राष्ट्रभाषा हिंदी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का प्रसार और महामना की दृष्टि" विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में व्याख्यान का अंश।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शैक्षणिक नवाचार

डॉ. महावीर सिंह

किसी राष्ट्र की उन्नति में गुणवत्तामूलक शिक्षा एक बहुमूल्य संसाधन है जिसके अभाव में हम सर्वांग उन्नति के शिखर पर नही पहुंच सकते। भारतवर्ष का प्राचीन सांस्कृतिक गौरव हमें विश्व -गुरू के प्रतिष्ठित पद पर स्थापित करने में समर्थ था लेकिन यह गौरव आज हमारे लिए भूली हुई कहानी जैसा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था अनके प्रयासों के बावजूद अपने गंतव्य से दूर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे गणतंत्र के लिए संविधान की रचना करते समय,संविधान-सभा ने अपने नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय,स्वतंत्राता,समानता तथा बंधुत्व भावना के विकास की कल्पना की थी। ताकि भारतीय गणतंत्र, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवादी समाज की संरचना का स्वरूप ग्रहण कर सके। इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह अपरिहार्य था कि देश के नागरिकों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाय, जो समय की मांग के अनुरूप हो। भारतीय संसद में अनेक अवसरों पर सांसदों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के लिए लंबी बहसों में भाग लिया है। कुछ उपयुक्त सुझाव भी दिये गये हैं। डॉ.डी.एस.कोठारी की अध्यक्षता में,1964 ई. में एक आयोग का भी गठन किया गया था। इस आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों के आधार पर 1968 में एक शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। आयोग ने शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया था ताकि संस्थाओं के आधारभूत ढांचे को सुधारा जा सके और शैक्षिक गतिविधयों को नया रूप दिया जा सके। लेकिन यह व्यय घरेलू उतपाद का 4 प्रतिशत के आस पास बना हुआ है।

एक लंबे अंतराल के पश्चात स्व.राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा -सुधारों पर एक लंबी बहस शिक्षा जगत में हुई थी और 1986 में शिक्षा नीति में बड़े परिवर्तनों पर सहमति बनी थी जिसे 10+2 की नीति के रूप में जाना जाता है। इस नीति की आलोचनाओं को देखते हुए 1992 में स्व.नरसिंहा राव की सरकार ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किये थे। 1990 के दशक में नयी आई.टी. तकनीकी आने के पश्चात शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तनों की चर्चा होने लगी लेकिन किसी सुविचारित नीति का निर्धारण नही हो सका। राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तनों के कारण तथा राजनीतिक विचार धाराओं में आये बदलाव के कारण राष्ट्रवाद के नये समीकरणों का उदय हुआ

और 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तनों की मांग उठने लगी। इंटरनेट ने सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के प्रतिमानों को बदलते हुए ''गति शक्ति'' को ही एक नयी शक्ति के रूप में पहचान दी है। सामाजिक संरचना में भौतिक विकास की आवश्यकता को आवश्यक घटक मानते हुए नागरिकों की योग्यता तथा क्षमता में वृध्दि आवश्यक हो गई है। अतः दो उपेक्षित विभागों (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) की चुनौतियों को संबोधित करने के लिए मांग उठने लगी। कहा जाता है कि आवश्यकता, अविष्कार की जननी है लेकिन अब अविष्कारों ने अनेक आवश्यकताओं को जन्म देना प्रारंभ कर दिया है। अभी तक किसी व्यापक उद्देश्य के लिए शिक्षा नहीं दी जाती थी वरन् एम.ए./एम.एस.सी. करने भर के लिए संस्थाओं में प्रवेश लिये जाते थे। आज विशिष्टि करण के लिए प्रवेश परिक्षाओं का आयोजन होता है तथा विद्यार्थी को एक निर्धारित विशेषज्ञता अर्जित करनी होती है तभी वह किसी व्यवसाय में कार्य कर सकता है। सामान्य प्रकार की शिक्षा संस्थाएं आज अभियांत्रिकी, चिकित्सा, प्रबंधन या प्रो़द्यौगिकी के पाठ्यक्रम संचालित नही कर सकती वरन विशेषीकृत संस्थान ही उन्हें संचालित कर सकते है। विश्वविद्यालय भी विशेषीकृत क्षेत्रों से संबंधित संस्थाएं चला रहे हैं।

एक राष्ट्र को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए भौतिक संसाधनों के साथ-साथ मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता होती है। यही कारण है तकनीकि शिक्षा में भी बड़े स्तर पर शिक्षा का आयाय-निर्यात हो रहा है। पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु, पाठ्यअवधि, प्रायोगिक कार्यक्रम, भाषायी दक्षता, व्यवसायिक जानकारी आदि में आये परिवर्तनों के कारण शिक्षा भी एक उद्योग का रूप ले रही है। इन्हीं संर्दभों से निर्देशित होने के कारण नई शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया है। इस नीति का ध्येय तकनीकी उद्दश्यों की अपेक्षा देश के नागरिकों को सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रेशित करना है, ताकि भारतवर्ष एक सशक्त एवं समृध्द राष्ट्रों की अग्र पंक्ति में गर्व के साथ खड़ा हो सके। प्राचीन भारत ऐसी ही समृध्दि का एक प्रेरणादायी उदाहरण था जिसे नई तकनीकी परिवेश में हमें पुनः स्थापित करना है। हमारे यहां अनेकों विश्वस्तरीय शिक्षा संस्थान थे जिनमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि प्रमुख है। इन संस्थानों में देश-विदेशों से अनेक शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इन्ही संस्थाओं के अनेक प्रबुध्द मनीषी हमारे समाज को विश्वस्तर पर पहचान दिलाने में सफल हुये थे। चिकित्सा,खगोल विज्ञान,गणित,भौतिक

विज्ञान,भाषा-व्याकरण ,अध्यात्मक, दर्शन आदि क्षेत्रों में अनेकों विद्वानों की चर्चा पूरे विश्व में होती है। इन विद्वानों में चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रम्हगुप्त, चाणक्य ,चक्रप्राणि दत्त, पाणिनी, पंतजली, नागार्जुन, गौतम, गार्गेयी, मैत्रेयी, तिरूवल्लवार आदि चर्चित हैं। वेद-उपनिषद, माहकाव्य, स्मृतियां, पुराण, बौध्द तथा जैन साहित्य एवं लोकायतों का साहित्य , धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र के ग्रंथ आज भी संसार में चर्चा के केन्द्र हैं ।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो नयी शिक्षा नीति निर्धारित की गई है वह भारतवर्ष के प्राचीन गौरव की न केवल पुर्नस्थापना करेगी वरन आधुनिकता के कलेवर में उसे परिवेष्ठित भी करेगी। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए इस नीति में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

1. हर विद्यार्थी के सर्वांग विकास का संकल्प ताकि वह समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकें।

2. हर व्यक्ति को अपनी रूची, योग्यता एवं सामार्थ्य के अनुरूप पाठ्य विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता है।

3. विभिन्न विषयों के मध्य किसी कठोर विभाजन की अपेक्षा लचीली व्यवस्था हो जो विद्यार्थी को सीमित दायरे से मुक्त रख सके।

4. शिक्षा एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित हो जो विभिन्न विषयों में समन्वय बैठा सकें।

5. शिक्षा द्वारा दक्षता का विकास सुनिश्चित किया जा सकें

6. शिक्षा के मूल्याकंन में व्यवहारिक योग्यता तथा दक्षता की भी परख समिल्लित होनी चाहिए।

7. शिक्षा में आधुनिक तकनीकी तथा नवाचार का उपयोग होना चाहिए ।

8. संस्थाओं की प्राद्यौगिकीय सुविधाओं तथा मशीनों का निरीक्षण होते रहना चाहिए।

9. शोध के लिए सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

स्कूल शिक्षाः- नई शिक्षा नीति को एक लोकसेवा के रूप में ही लागू किया जा रहा है तथा शिक्षा के पाठ्यक्रम में नागरिकों के अधिकार-कर्तव्य, दायित्व बोध,प्राचीन भारत की गौरवगाथा,

आधुनिक भारत की उपलब्धियां नैतिक मूल्य , कौशल विकास, राष्ट्र के प्रति दायित्व भावना,देश भक्ति आदि का समुचित समावेश किया गया है। इस नीति में 10+2 के स्थान पर समयावधि को पुनः निश्चित करते हुए 5+3+3+4 वर्ष कर दिया गया है ताकि छोटी कक्षाओं के छात्रों को आगे के पाठ्यक्रमों के लिए तैयार किया जा सके। आरंभिक कक्षाओं में स्थानीय बोली-भाषा के माध्यम से शिक्षा देते हुए अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के ज्ञान पर बल दिया गया है तथा भाषा के त्रिसूत्रीय प्रावधान को भी मान्यता दी गई है। देश के संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। इनके अलावा विदेशी भाषाओं के समृध्द साहित्य का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों को बोझिल करने की अपेक्षा अन्य क्रियाकलापों तथा खेलों के लिए भी पर्याप्त समय देना भी आवश्यक है।

स्कूलों के पाठ्यक्रमों मे भी खेलों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। खेल-मैदानों के स्थान तथा आवश्यक खेल सामग्री का प्रावधान किया गया है। विज्ञान, गणित तथा भाषा विषयों पर उत्तम पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। इस संदर्भ में एन.सी.ई.आर.टी. आदि की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं जिन्हें नई जानकारी के साथ अध्यतन किया जा सकता है।

‘‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’’ को ध्यान में रखकर छात्रों को आरंभिक कक्षाओं में अपनी मातृभाषा में सामग्री उपलब्ध कराना एक उत्साह जनक पहल है।

हमारे देश में विविधताओं की बहुलता है। आदिवासी समाज की परंपराएं, उत्सव-त्यौहार, सामाजिक मूल्य आदि से परिचित होना भी आवश्यक हैं लेकिन अंधविश्वासों तथा रूढियो से उन्हे अलग रखना चाहिए। उन सभी विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए जो उनके सामाजिक परिवेश, कृषि, कुटीर उद्योग, भूगोल, पर्यावरण,कृषि उपकरण,मोबाईल-कम्प्युटर आदि का ज्ञान भी आवश्यक है।

समाज व्यवहार को ध्यान में रखते हुए छात्रों को दैनिक जीवन की स्वस्थ आदतों के विषय में जागरूक करना चाहिए ताकि वे धूम्रपान, नशीली दवाओं, जुंआ, चोरी, हिंसा आदि से उन्हे बचाया जा सकें। इस प्रकार की पुस्तकों के प्रति छात्रों का आकर्षण बढाएं जो उन्हें चारित्रिक मूल्यों के प्रति सचेत कर सकें जैसे पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, हितोपदेश आदि।

शासन के नीतिगत निर्देशों के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन किये जा रहें हैं।

स्कूलों की स्थापना :- प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के भवन, पहुँच मार्ग, भवनों में फर्नीचर,शौचालय,प्रकाश व्यवस्था,स्वच्छ जल, खेल मैदान, पुस्तकालय, मनोरंजन कक्ष, गणवेश की उपलब्धता, मध्यान्हभोजन आदि की व्यवस्था तथा प्रबंधन के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं। राज्यों का विषय होने के कारण शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकारों के अधीन है। प्रायः राज्य सरकार को आर्थिक तंगी के कारण सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयो में उपर्युक्त सुविधाओं उपलबध रहती है लेकिन इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या अत्यंत सीमित है।

नई शिक्षा नीति के क्षेत्रों में त्वरित सुधारों की संभावना है लेकिन इस कार्य के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सम्मिलित प्रयास करने चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों के लिए उपयुक्त सुविधाओं का नितांत अभाव है। छात्रों के परीक्षा परिणामों में भी सुधार की आवश्यकता है, कहीं अंको के आधार पर तो कहीं ग्रेड प्रणाली का उपयोग मूल्यकंन के लिए किया जया रहा है।

उच्च शिक्षाः- उच्च शिक्षा की समस्याएं वित्तीय संकट के कारण अभी भी बनी हुई हैं। कोरोना महामारी के कारण भी पिछले 2 वर्षों से आर्थिक विकास में अधिक वृध्दि नही हुई है। राज्य सरकार ने इन सुविधाओं की घोषणा कर रही हैं उन्हें पूरा करना उनके लिए संभव नही हो पाता। हमारा समाज बहुलतावादी समाज होने के कारण राष्ट्रीय एकता संबंधी कार्यक्रमों में अधिक सहयोग नही दे पाता जबकि हमारे संविधान में राष्ट्र के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संकल्प लिया गया है इस दिशा में नागरिकों को राष्ट्रीय भावना के लिए प्रतिबध्द करना अत्यंत आवश्यक है। प्रायः छोटी-छोटी बातों पर विभिन्न समुदायों में हिंसक संघर्ष हमें अपने उद्देश्यों में सफल नही होने देता हमारी उच्च शिक्षा अनेक विसंगतियों से जूझ रही है जैसे :-

1. उच्च शिक्षा का शैक्षिक स्तर संतोषप्रद नही है।
2. हमारी शिक्षा व्यवस्था सैद्धांतिक पक्ष से अधिक प्रभावित है जहां कौशल विकास एवं दक्षता की उपेक्षा की जाती है ।

3. विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों एवं संकायों में समन्वय की कमी है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा-संस्थानों की संख्या बहुत कम हैं।
5. शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त स्वयत्यता प्राप्त नही है। तथा निर्णयों को कार्यान्वित करने में अधिक समय व्यतीत होता है।
6. अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में उच्च स्तरीय शोध की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
7. विश्वविद्यालयों में संबध संस्थाओं की संख्या बहुत अधिक है इस कारण वहां शिक्षण सुविधाओं की कमी बनी रहती है।
8. आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण प्रायः योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों की कमी बनी रहती है।
9. इन संस्थाओं में खेल के मैदान और खेल की सामग्री, पुस्तकालय आदि की सुविधा भी संतोषप्रद नही होती।
10. प्राध्यापकों के लिए अन्य संस्थानों के कार्यक्रमों में जैसे सेमिनार, सम्मेलन, शोधपत्रों का वाचन आदि का भी आयोजन नहीं हो पाता।
11. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विदेशों के विद्यार्थियों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है तथा विश्व के 100 विश्व विद्यालयों के साथ अनुबंध किये जा रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर उपाधियों के लिए प्रयास किये जा रहें है। नई शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 4 वर्षों की अवधि का पाठ्यक्रम निश्चित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के पश्चात कोई भी छात्र एक वर्ष में स्नात्कोतर उपाधि प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है यदि उसने शोध प्रबंध के साथ इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण किया है तो वह पी.एच.डी.उपाधि के लिए शोधार्थी बन सकता है। नई शिक्षा नीति में एम.फिल. उपाधि का समावेश नही किया गया है।

नई शिक्षा नीति में छात्रों की वित्तीय सहायता करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कौशल विकास एवं वोकेशनल शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। डीजिटल सुविधाओं के कारण आज ऑनलाईन शिक्षा की व्यवस्था अधिक कारगर सिध्द हो रही है। बड़े पैमाने पर कोचिंग व्यवसाय को भी एक झटका लगा

है आज हर विद्यार्थी ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है और उसे शिक्षण संबंधी जानकारी आसानी से बिना किसी शुल्क के प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वर्चुअल लेब्स, ई-लर्निंगप्लेटफॉर्म (दीक्षा एवं स्वयं प्रभा), ऑनलाईन वेल्युएशन, कन्टेन्ट क्रिएशन, डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की सुविधाओं के कारण नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सुगमता संभव है।

भारत सरकार अपने अभिनव प्रयासों में जिस तत्परता से संलग्न है उसे देखते हुए नई शिक्षा नीति देश के युवाओं के लिये विकास के नये अवसर खोल रही है। देश का विकास यहां के नागरिकों के सकारात्मक सहयोग पर आधारित है जिसे प्राप्त करने में भारत सरकार का ध्यान राजनैतिक बाधाओं को दूर करने पर केन्द्रित है।

डॉ. महावीर सिंह
पूर्व निदेशक, आकाशवाणी भोपाल
9329042672

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षकों की भूमिका

डॉ. कन्हैया त्रिपाठी

''मेरी माँ सबसे खूबसूरत महिला थीं, जिन्हें मैंने कभी देखा था। मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ का कर्जदार हूं। मैं जीवन में अपनी सारी सफलता का श्रेय उनसे मिली नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा को देता हूँ'' - **जॉर्ज वाशिंगटन**

सभ्यता की सांस्कृतिक यात्रा के पीछे शैक्षणिक उन्नयन की महती भूमिका है। इसी प्रकार यदि हम शोध और अनुसंधान की सुदृढ़ पृष्ठभूमि के साथ आज खड़े हैं, तो निःस्देह इसके पीछे शिक्षा का बड़ा योगदान है। इस वैभवशाली शैक्षणिक उन्नयन के पीछे शिक्षकों की तपश्चर्या है, उनका अवदान है। शिक्षक तो आजीवन सीखने और सिखाने का उद्यम करता है। भारत इस मामलों में बहुत ही गौरवशाली अतीत लिए हुए है और यहां तो समृद्ध गुरु-परम्परा रही है, जिसमें ऋषियों और महर्षियों के संकल्प, प्रतिबद्धता और प्रतिफल हमें मिलते हैं। भारत का धर्म, दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म विश्व के लिए प्रेरणा रहा है। इसीलिए उसे विश्व-गुरु के रूप में पूरी दुनिया स्वीकारती है। यह स्वीकार्यता इसलिए भी है कि भारत ने दुनिया की अनेक संस्कृतियों एवं सभ्यताओं को समझा और उसे सहअस्तित्व दिया। भारत ने सभी को गरिमामय सम्मान दिया और यह भी एहसास कराया कि हम 'वसुधैव कुटुंबकम' की वैचारिकी के साथ जीने वाले लोग लोग हैं और हम 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की कामना करते हैं। यह दृष्टि ही भारत को औरों से उसे भिन्न बनाती है और पृथ्वी के मनुष्यता के अंतस् में अपनी छवि बनाती है।

स्वदेशी लोग हमारे प्लानेट-ग्रह की जैविक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षक भी हैं। वे मानवता को सिखाते हैं कि कैसे सभी जीवितों के साथ सामंजस्य बिठाया जाए और वे लगभग 4000 भाषाएँ बोलते हैं, जो हमारे पर्यावरण को देखने, सोचने और समझने के कई तरीकों को दर्शाती हैं।1 हमारे शिक्षक तो स्वदेशी-देशज लोग हैं। विभिन्न ज्ञानानुशासन के विकास के साथ हमारे पढ़ने-लिखने और सीखने की पद्धति में आए बदलाव से ही हम विद्यालय-शाला या विश्वविद्यालय तक पहुँचे हैं। अनेक रोमांचकारी शोध और अनुसंधान भी हुए हैं। गुरुकुल तो हमारे 'इंडिजेनस नॉलेज' से निकली हुई ज्ञान की प्रक्रिया के परिष्कृत रूप प्रतीत होते हैं। सवाल यह है कि आखिर हमारे ज्ञान की श्रेष्ठ परम्परा प्रकृति के इतने करीब क्यों मिलती है? हमारा ओरिएंटेशन नेचुरल है इसका मतलब तो यही है। प्रसिद्ध शैक्षणिक चिंतक रोजर्स का मानना है कि- मनुष्य के

पास सीखने की प्राकृतिक क्षमता है।2 शायद इसीलिए शिक्षक सिखाने में ज्यादा कामयाबी हासिल कर पाते हैं। प्राकृतिक रूप से मनुष्य में सीखने, स्वीकारने, ग्रहण करने और अस्वीकार करने की क्षमता की वजह से ही मनुष्य ज्यादा तर्कशील जीव माना गया है। मनुष्य के शैक्षणिक क्षेत्र में उन्मुख होने की भी प्रक्रिया इसी से निकली है। अब तो हम ज्ञान की अनेक विधाओं का अनुसरण, अनुगमन, उससे उपार्जन और उसका उपयोग कर चुके हैं। निरन्तर करते भी जा रहे हैं और करेंगे भी, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता।

शिक्षा नीति : 2020

भारत ने उसी वैभव के प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का अनुमोदन किया है, जिससे भारत को अपने स्वत्व का बोध होता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मानद डिग्री समारोह में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उसमें उन्होंने कुछ खास संकेत किया, जो एक प्रकार से दुनिया से उनकी अपेक्षा भी है और सुझाव भी। उन्होंने इस अवसर पर कहा - 'हमारा साझा एजेंडा 21वीं सदी के लिए एक नये सामाजिक अनुबंध का प्रस्ताव करता है, जो मानवाधिकारों पर आधारित है।'1 'इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, आय सुरक्षा, आवास, अच्छा काम और शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच शामिल होनी चाहिए।'2 विश्वविद्यालयों के पास हमारे लिए आवश्यक कई समाधान हैं।... न केवल जलवायु वैज्ञानिक और फार्माकोलॉजिस्ट, बल्कि समाजशास्त्री, वकील, अर्थशास्त्री और हर विषय के विशेषज्ञ ऐसे विचारों पर शोध कर रहे हैं, जो आमलोगों के कल्याण के लिए सफलता का कारण बन सकते हैं।'3 गुटेरेस के इन संकेतों को भी गम्भीरता से दुनिया को लेना होगा क्योंकि वे इस वक्तव्य को कैम्ब्रिज जैसे बड़े प्रतिष्ठान में प्रस्तुत कर रहे थे। साथ ही एंटोनियो गुटेरेस ने कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी उजागर किया, जो न शैक्षणिक उन्नयन के लिए लाभकारी है और न ही मनुष्यता और प्रकृति के लिए। महासचिव ने कहा- लोगों और संस्थाओं के बीच विश्वास डगमगा रहा है। षड्यंत्र के सिद्धान्त और दुष्प्रचार सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। 4 यह एक विश्वव्यापी समझ से उपजी चिंता है, जो सभी देशों के लिए सतर्क होने का आग्रह करती है।

इससे भारत की वैश्विक चुनौती के आलोक में भी अपना ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। नये तरीके से कार्यसंस्कृति विकसित करने की भी आवश्यकता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि यह शिक्षा व्यवस्था और सतर्कता से ही सम्भव है।

भारत सरकार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर भारत के गौरवशाली अतीत के साथ नये भारत का निर्माण करने के लिए कोशिश कर रही है। शिक्षा नीति -2020 उसी पहल की एक परिवर्तनकारी सदिच्छाओं में शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : प्रधानमंत्री की परिकल्पनाएं एवं स्वप्न

नई शिक्षा नीति के लागू होने के एक वर्ष पूर्ण होने पर भारत के प्रधानमंत्री श्रीयुत् नरेन्द्र मोदी जी ने क्रांतिकारी एवं भविष्यमूलक समाधानों और संभावनाओं पर प्रकाश डाला, जो इस प्रकार है -

1. देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन, आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। इतने बड़े महापर्व के बीच 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नये भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी।

2. 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए।

3. नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के प्रोग्राम को अभी लाँच किया गया है, वह भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा, आल ड्राइवेन इकोनॉमी के रास्ते खोलेगा। शिक्षा में ये डिजिटल रिवोल्यूशन, पूरे देश में एक साथ आए, गाँव-शहर जब समान रूप से डिजिटल लर्निंग से जुड़ें, इसका भी खास ख्याल रखा गया है।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। जो ओपेननेस पॉलिसी के स्तर पर है, वही ओपेननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब स्टूडेंट्स कितना पढ़ें, कितने समय तक पढ़े, ये सिर्फ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज नहीं तय करेंगी। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टी इंट्री एण्ड एकझिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। आधुनिक टेक्नालाजी पर आधारित 'अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' सिस्टम से इस दिशा में स्टूडेंट्स के लिए रिवोल्यूशनरी चेंज आने वाला है।

5. 'आत्मनिर्भर भारत' का ये रास्ता स्किल डेवलपमेट और टेक्नालाजी से होकर जाता है, जिस पर एनईपी में विशेष ध्यान दिया गया है।

6. शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे- ''राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए।" बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में, मातृभाषा में शिक्षा का विचार NEP में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में 'मीडियम ऑफ इन्सट्रक्शन' के लिए स्थानीय भाषा भी एक विकल्प होगी।

7. क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे छात्र-छात्राओं को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब वर्ग को, गाँव-कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित-पिछड़े और आदिवासी भाई-बहनों को होगा। इन्हीं परिवारों से आने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा लैंग्वेज डिवाइड का सामना करना पड़ता था, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं परिवार के होनहार बच्चों को उठाना पड़ता था। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ्य और प्रतिभा के साथ न्याय होगा।5

भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने इसी व्याख्यान में शिक्षकों की भूमिका और उनकी निष्ठा के साथ उपस्थिति को रेखांकित किया। प्रायः यह देखा गया है कि विषय को संक्षेप में रखकर प्रधान मंत्री सिस्टम को आगे का कार्य करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन नरेन्द्र मोदी ने हर छोटे-छोटे पहलू को विस्तार से प्रकट किया, यह उनकी खासियत है। शिक्षकों के संदर्भ में उन्होंने कहा -

1. आप भी जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की पूरी पढ़ाई में, उसके जीवन मे बड़ी प्रेरणा उसके अध्यापक होते हैं। हमारे यहाँ तक कहा गया है -

गुरौ न प्राप्यते यत् तत्,

न अन्य अत्रापि लभ्यते।

अर्थात् जो गुरु से प्राप्त नहीं हो सकता, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। यानी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक मिलने के बाद दुर्लभ हो। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फार्मूलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर हमारे शिक्षक सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा हैं।

2. 'निष्ठा' 2.0 - ये प्रोग्राम भी इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए देश के शिक्षकों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलेगी और वे अपने सुझाव भी विभाग को दे पाएंगे। मेरा आप सभी शिक्षकों से, अकादमीशियंस से अनुरोध है कि इन प्रयासों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक योगदान दीजिए। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में इतना अनुभव रखते हैं, व्यापक अनुभव के धारक हैं, इसलिए जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास राष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाएंगे।

3. इस कालखंड में हम जिस भी भूमिका में हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने बड़े बदलावों के गवाह बन रहे हैं, इन बदलाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपके जीवन में ये स्वर्णिम अवसर आया है कि आप देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, भविष्य की रूपरेखा अपने हाथों से खींचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले समय में जैसे-जैसे नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अलग-अलग फीचर्स, हकीकत में बदलेंगे, हमारा देश एक नए युग का साक्षात्कार करेगा।

4. जैसे-जैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को एक आधुनिक और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते जाएंगे, देश आजादी के अमृत संकल्पों को हासिल करता जाएगा।6

इन विचारों और सुझावों को एक सुनहरे भविष्य को परिमार्जित करने का अनूठा उदाहरण माना जा सकता है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक तरीके से ब्लू प्रिंट रख दिया। विद्यार्थी और शिक्षक के साथ व्यवस्था, साथ ही स्वर्णिम भविष्य यह सब शिक्षा नीति के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन इन पहलुओं को जमीन पर उतारना तो शिक्षकों के हाथ में ही है। वे इसे कितना मनोयोग से अपने विद्यार्थियों के अंतःकरण में ले जाएंगे यह तो उनकी निष्ठा पर ही आश्रित है। 11 सूत्रीय बिंदुओं को देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के समस्त मनोभावों को इसमें रख दिया गया और सपने भी दिखाए गए। सपने साकार करने के लिए सवाल यही है कि क्या तंत्र में विद्यमान लोग तैयार हैं या दिखावा करके हमारे सर्वोच्च नेतृत्व को झांसा देने की कोशिश करेंगे? इनके लिए कुलपति, विश्वविद्यालय प्रशासन और सबसे अहम शिक्षक ही माने जाएंगे क्योकि सीखने, सिखाने के गुर भी इनके पास हैं और शिक्षा व्यवस्था में लगे जंग को साफ करने का तरीका भी इन्हें ही आता है। शिक्षा को आगे ले जाने के लिए क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी शिक्षक, कुलपति और प्रशासन की ही बनती है।

एनईपी हेतु शिक्षकों की भूमिका

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की योजना है। एनईपी- 2020 इस लक्ष्य के लिए लाई गई। सरकार ने सदैव यह सोचा कि यदि शिक्षा के माध्यम से हम भारत का स्वत्व लौटा सकें, तभी भारत अपनी गरिमा के साथ दुनिया के समक्ष पूर्व में विश्वगुरु की खोई हुई छवि को पुनः प्राप्त कर पाएगा। हमारे युवा और आने वाली पीढ़ियां भारतीय बौद्धिकता और भ्रातृबोध के माध्यम से नये भारत का निर्माण कर सकेंगे। इस निर्माण की प्रक्रिया में शामिल शिक्षक और उनकी भूमिका इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरुदेव का शांति निकेतन हो या गांधी की वर्धा शिक्षा योजना- नई बुनियादी तालीम - दोनों शिक्षकों पर ही आश्रित रहीं, किन्तु दोनों के सतत् विकास की कहानी अलग-अलग हो गई। वस्तुतः शिक्षक ही तो शिक्षा के संपूर्ण उत्पाद के उत्तरदायी हैं। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर के बारे में जगमोहन सिंह राजपूत ने लिखा है- 'गुरुदेव हर अवसर पर किताबी शिक्षा के प्रति अपनी दूरी को अवश्य प्रकट करते थे। वे प्रकृति से सीधे सीखने की क्षमता को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। अध्यापकों के प्रयास बच्चों को जीवन की वास्तविकता और अपने आसपास के पर्यावरण से परिचित कराने की दिशा में ही केन्द्रित होने चाहिए। हमारी शिक्षा कुछ ऐसी है जैसे पेड़ की जड़ों से सैकड़ों गज दूर वर्षा हो और उसमें से कुछ बूंदें ही बड़ी मुश्किल से जड़ों तक; यानी हमें अपना जीवन संवारने के लिए मिल सकें। हमारे सामने यक्षप्रश्न शिक्षा और जीवन के बीच समरसता- हारमनी- स्थापित करने का है।'7

नई शिक्षा-नीति में इस समरसता और बंधुता को स्थापित करने का कार्य तो शिक्षक ही करेंगे। श्री राजपूत ने लिखा है - रवींन्द्र नाथ ठाकुर के अनुसार, प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। वे कला से प्रारंभ करने की बात करते थे , गांधी 'क्राफ्ट' की बात करते थे। दोनों के बुनियादी द्वैध के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में दोनों को महत्व मिला। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रोदय की बात करती है। शिक्षक राष्ट्र उत्थान में तभी सहयोगी हो सकेंगे, यदि वह स्वतः अपने कार्य-संस्कृति में नैतिक बोध को प्रज्ज्वलित करें। वे अपनी कीमत को समझें और अपना कार्य ईमानदारी से करें। आज इसी कार्यसंस्कृति का अभाव है। शिक्षक पढ़ने से कतराते हैं। पुस्तकों से विमुख होने वाला शिक्षक - वास्तव में क्या वह शिक्षक है ? अनेक विश्वविद्यालय और स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के भीतर शैक्षणिक दायित्व को छोड़कर बाबूगीरी की ओर रुझान चिंताजनक है। यदि शिक्षक पढ़ने-लिखने-सीखने-सिखाने को छोड़कर दूसरे दायित्व को ज्यादा महत्व देता है तो वह शिक्षक कदापि नहीं हो सकता। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के शिक्षकों को अपना यदि आदर्श हम नहीं बनाते तो हमारा भारतबोध अधूरा होगा। यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में शिक्षक की, गुरु-

शिष्य की लंबी परंपरा को आज के शिक्षकों की पीढ़ी ने चिंतन-मनन के स्तर पर भी बहुत आत्मसात् नहीं किया और एक नए तरीके की शिक्षकीय छवि को गढ़ रखा है। इससे बाजार और लालच ने शिक्षकों को शिक्षक होने ही नहीं दिया है। ईमानदारी, निष्ठा, त्याग और समर्पण से राष्ट्र ही नहीं तैयार होता वरन एक विद्यार्थी भी तैयार होता है। एक अच्छा विद्यार्थी तैयार करना शिक्षक का कौशल है। आज शिक्षकों के भीतर कौशल तैयार करने का जो प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, वह भी कौशलयुक्त नहीं है। वे एक तंत्र से बंधों हुए हैं। तंत्र के अनुसार अपनी पाठ्यचर्या का निष्पादन कर रहे हैं। जब अच्छे शिक्षकों का अभाव हो तो उनकी भूमिका रेखांकित करना भी कठिन कार्य है। इसलिए सबसे अहम् बात यह है कि शिक्षक में पहले आत्मबोध हो कि वह क्या है? उसे क्या करना चाहिए और उससे वर्तमान क्या चाहता है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के आने से शिक्षकों के भीतर नए क्रमिक नवोन्मेषी परिवर्तन की आकांक्षा भी आवश्यक है। यथा -

1. शिक्षकों में नवोन्मेषी विचारशील पाठ्यचर्या की प्रतिष्ठा
2. अन्तरविद्यावर्ती विषयों की समृद्धता
3. दायित्वबोध एवं उसके प्रति निष्ठावान होकर कर्त्तव्य निर्वहन
4. चरित्रनिर्माण के लिए भारतीय अस्मिताबोध
5. नये ज्ञानानुशासनों के साथ साझेदारी हेतु समृद्ध तैयारी
6. राष्ट्रबोध के साथ राष्ट्रहित के लिए कार्य
7. अधुनातन सूचना तकनीकी, नवोन्मेषी प्रौद्योगकी की समझ और उसे प्रयोग में लाने का सामर्थ्य
8. शोध एवं अनुसंधान में रुचि के साथ उसकी पर्याप्त, सोद्देश्यपूर्ण तथ्य की प्राप्ति के लिए कार्यसंस्कृति की समझ, और
9. विद्यार्थियों के भीतर शिक्षक के प्रति विश्वास को स्थापित करना।

विडंबना यही है कि शिक्षकों के भीतर दुनिया में जो नव्य ज्ञानानुशासन में अभिवृद्धि और प्रकाशन आ रहे हैं, उससे वे दूर हैं। जो उन नए अध्ययन और अनुसंधान से परिचित हो पा रहे हैं, वे

संसाधनों के अभाव में उसे विद्यार्थियों तक नहीं पहुँचा पाते। ऐसे में सरकार की इच्छाशक्ति को और गतिशील होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के आने के बाद शिक्षा जगत में बहुत से नये बदलावों की प्रत्याशा है। हमारे इस पीढ़ी के शिक्षक निश्चित रूप से अन्तरानुशासनिक विषयों को छूने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस शिक्षा नीति में यह अनिवार्य है कि अन्तरानुशासनिक विषयों और विशेषज्ञों के माध्यम से हम शिक्षा में नवोन्मेषी परिवर्तन कर सकें और सरकार की शिक्षकों से अपेक्षा भी यही है।

निवर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने यूनेस्को महानिदेशक के साथ एक बैठक में यह कहा था कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) का लक्ष्य 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर प्राप्त करना है, और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत अतिरिक्त साढ़े तीन करोड़ छात्रों को उच्च शिक्षा की तह तक ले जाना है। ...

एनईपी-2020 की सिफारिशों एसडीजी लक्ष्य-4, ''सभी के लिए शिक्षा'' के अनुसार हैं। उन्होंने कहा कि एनईपी में सिफारिश की गई है, सरकार जल्द ही पर्यावरण शिक्षा पर अधिक जोर देने के साथ स्कूल की पाठ्य पुस्तकें लाएगी।''8 यदि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करना है और गतिशील समाज विनिर्माण करना है तो शिक्षकों को उसी ऊर्जा के साथ अपने दायित्व को निभाना होगा। यह देश के शिक्षाविदों, कुलपतियों और निदेशकों के साथ प्रत्येक फैकल्टी मेम्बर्स के लिए चुनौती है। यह चुनौती उन स्कूल शिक्षकों के लिए भी है जो आदिवासी क्षेत्र में नाना प्रकार के संघर्ष के साथ नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं।

एनईपी-2020 को प्रतिस्पर्धा में शामिल करने की आवश्यकता

विश्व में शिक्षा की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। यह स्पर्धा भारत के लिए इसलिए भी चुनौती के रूप में लेने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति से संचालित विश्वविद्यालय कोई वैश्विक कीर्तिमान बनाने और रैंकिंग में भी श्रेष्ठ स्थान पाने में किस स्तर पर हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे शैक्षणिक उन्नयन की यह जो कोशिश है, इसको यदि सरकार और 'अकादमिया' के लोग गम्भीरता से नहीं लेंगे तो यह एक बड़ा सच है कि भारत दुनिया के प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हो सकेगा।

यूनेस्को प्रमुख ऑड्री अजूले ने कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय दशक की ही तरह, अन्तरराष्ट्रीय दिवस, विश्व की भाषाई विविधता को एक साझा धरोहर के रूप में सहेजने के प्रयास किये जाने की

चुनौती पेश करते हैं..... ''जब कोई भाषा दम तोड़ती है तो दुनिया को देखने, महसूस करने और सोचने का तरीका गायब हो जाता है, और तमाम सांस्कृतिक विविधता इस रूप में खत्म हो जाती है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती।"9 एनईपी-2020 की ओर से यह आश्वस्त किया जा सकता है कि इस योजना में भाषा के प्रति विशेष प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। यह वैश्विक स्तर पर यूनेस्को की मुहिम में शामिल होते भारत की पहल के रूप में लिया जायेगा, यह सबसे अच्छी बात है। लेकिन यह किसी रैंकिंग सुधार की दिशा में बढ़ता हुआ कदम नहीं माना जाएगा। उसे तो शोध और अनुसंधान की गुणवत्ता, पेटेंट, श्रेष्ठ प्रकाशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मौलिक एवं नवोन्मेषी अध्ययन-अध्यापन से पाया जा सकता है, जिसे अध्यापक और उनकी इच्छा शक्ति से ही हासिल करना संभव है।

भारत सरकार द्वारा भी यह कोशिश करने की आवश्यकता है कि धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला और अनेक अन्तरानुशासनिक विषयों को श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए योग्य शिक्षकों, नेतृत्वकर्ताओं और लब्धप्रतिष्ठित नोबल लॉरेट्स को शिक्षा संस्थानों का हिस्सा बनाएं, जिससे हमारे विद्यार्थी योग्य प्रेरणापुंज से दीक्षित हो सकें। यूनेस्को वर्ष 2022 में चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन थीम को लेकर नये तरीके से शैक्षणिक उन्नयन की पहल कर रहा है। यूनेस्को के कांसेप्ट नोट में कहा गया- 'भविष्य को बदलने के लिए एक तत्काल पुनर्संतुलन या एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों, प्रकृति के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के साथ, जो हमारे जीवन में व्याप्त है, समानता, समावेश और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए गंभीर चिंताओं को उठाते हुए सफलता के अवसरों की खोज की आवश्यकता है।'10 इसमें यह भी कहा गया है- 'शिक्षकों को सशक्त बनाना, वित्त पोषण को मजबूत करना और जीवन भर सीखने के अवसर प्रदान करना, एक नया सामाजिक अनुबंध बनाने की शर्त हैं। लेकिन शिक्षा को परिवर्तन के केन्द्र में ले जाने और इसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्थक बनाने, एक साझा प्रयास के रूप में शिक्षा के सार्वजनिक कार्यों को मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आवश्यक है। यह सरकारों, नागरिक समाज, शिक्षकों, छात्रों और युवाओं को शामिल करते हुए एक व्यापक आन्दोलन का आह्वान करता है, ताकि हमारी सामूहिक बुद्धि को जुटाया जा सके और हमारे भविष्य को एक साथ फिर से जोड़ा जा सके। साहस, रचनात्मकता, देखभाल और प्रतिरोध के कार्यों पर निर्माण किया जा सके, जो प्रत्येक में आशा के बीच बोते हैं।'11 NEP-2020 को भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए सच्चे संकल्पबद्ध प्रबंधन और नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसमें सबकी अपनी-अपनी भूमिकाएं हैं और सबको

अपने-अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। पुर्तगाली शिक्षाशास्त्री एंटोनियो का मानना था- 'नई शिक्षा को एक कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें अन्य कार्यों के साथ सहजीवन शामिल है।'12 यह जीवन और प्रकृति के साथ निःसंदेह सह-अस्तित्व को समझते हुए आगे बढ़ने का समय है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में मनुष्यता को बचाने के दायित्व को भी शिक्षकों से अलग नहीं देखा या किया जा सकता। इसलिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की डोर मनुष्य केन्द्रित हो और उसको सबकी गरिमा के साथ बांधकर रखने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत एक नए भारत निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील है। भारत के शिक्षकों की परंपरा तो ऋषि परंपरा रही है। आज के संदर्भ को समझते हुए हमारे शिक्षक यदि प्रतिबद्ध होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मे संकल्पित भारतबोध को आत्मसात् करके यदि राष्ट्र निर्माण में संलग्न होंगे तो भारत निःसंदेह विश्वगुरु हो सकेगा, लेकिन इसके लिए संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ना होगा। भारत के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जिस प्रकार का राष्ट्र निर्मित करने का संकल्प दुहराया है, उसे भी गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अवदान के लिए आगे बढ़ें और उनकी इस कार्यसंस्कृति में त्याग का भाव हो और दृढ़ इच्छाशक्ति और असीम ऊर्जा हो तभी हम एक श्रेष्ठ भारत बना सकेंगे क्योंकि हमारी सारी तरक्की की बुनियाद शिक्षा के अतिरिक्त किसी तत्व और पर नहीं टिकी है और इस शिक्षा के संपूर्ण प्रतिफल तभी प्राप्त होंगे जब हमारे शिक्षक श्रेष्ठ होंगे।

डॉ. कन्हैया त्रिपाठी
भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति
सचिवालय के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी

संदर्भः

1. Message from Ms Audrey Azoulay, Dirctor-General of UNESCO, on the occasion of the International Day of the World's Indigenous Peoples, 9 August, 2020
https:/unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374017_eng.locale=en
2. फ्रेड जिमरिंग, थिंकर्स ऑफ एजुकेशन, यूनेस्को, पेरिस (फ्रांस), 1994, पृष्ठ-416

3. एंटोनियो गुटेरेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मानद डिग्री समारोह मे दिया गया अभिभाषण, 03 नवंबर 2021 https://www.un.org/sg/en/node/260483
4. वही
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की पहली वर्षगाँठ के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ, दिनांकः 29 जुलाई, 2021 https://www.pib.gov.in/Press Release Detail.aspxx?PRID=1740411
6. वही
7. जगमोहन सिंह राजपूत, रवीन्द्रनाथ का शिक्षा दर्शन, जनसत्ता, रविवासरीय, 10 फरवरी 2019
8. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की यूनेस्को महानिदेशक के साथ बैठक का अंश
9. मातृभाषा दिवसः समावेशी भावना के जश्न का अवसर, 21 फरवरी 2021 को यूनेस्को प्रमुख ऑड्री अजूले का वक्तव्य https://news.un.org./hi/story/2021/02/1038732
10. https://en.unsco.org/commemorations/educationday
11. वही
12. एंटोनियो नवोआ, एंटोनियो सेरजीयो, थिंकर्स ऑफ एजकेशन, यूनेस्को, पेरिस (फ्रांस), 1994, पृष्ठ 506

उच्च शिक्षा की दशा-दिशा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति : समीक्षा एवं संश्लेषण

डॉ.संतोष कुमार बघेल

प्राचीन काल से वर्तमान समय तक ज्ञान मुनष्य को मनुष्य बने रहने का उत्तम मार्ग प्रदर्शित करता रहा है। शिक्षा मनुष्य जीवन का असीम आधार है जो अंधेरे में सदैव रोशनी की तरह हमें प्रज्वलित करता है। इसीलिए महात्मा फूले ने कहा था- ''विद्या बिना मति नहीं, मति बिना नीति नहीं, नीति बिना गति नहीं।'' शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति का मूलाधार है। शिक्षा के परिणाम स्वरूप, स्वालंबन और आत्मोद्धार से क्रमश: बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता के मूल्य प्राप्ति होनी चाहिए। शिक्षा को यदि परिवर्तन के द्योतक के रूप में देखें, तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। शिक्षा में सर्वांगीण का निहितार्थ होना चाहिए।

उच्च शिक्षा समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा ने समाज को हमेशा से नई दिशा देने का कार्य किया है। यह समाज के नींव को मजबूती प्रदान करने में अहम् भूमिका निभाता है। इसलिए इसमें गुणवत्ता, वैचारिकी का संपूर्ण समावेश होना चाहिए। साथ ही इसे रोजगारन्मुख बनाने की भी आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति का उचित क्रियान्वयन उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि मूलभूत आवश्यकताओं को सुदृढ़ और मजबूत बनाये जाने के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाये।

सरकार ने उच्च शिक्षा की ओर वंचित वर्ग से लेकर हर तबके के लोगों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की योजनाओं को समय-समय पर लागू किया है। किंतु आज भी समाज के कई वर्ग व अंतिम जन अलग-अलग कारणों से इस लाभ को प्राप्त करने में वंचित भी हो रहे हैं। शासन-प्रशासन द्वारा चलायी जा रही तमाम योजनाओं को सुचारू रूप से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुँचाने के लिए उचित प्रबंधन किया जाए, तो स्वाभाविक गति से लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। 21वीं सदी में उच्च शिक्षा घर-घर पहुँच सके, ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास होना

चाहिए। इसके लिए जिन चुनौतियों का आज हम सामना कर रहे हैं, उसे चिन्हित कर न सिर्फ उपाय बनाये जाने की जरूरत है बल्कि उन उपायों को सही तरीके से संचालित करने की प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रमांक 9.2 में गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक परिस्थितिकी तंत्र, कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल, विषयों का कठोर विभाजन, सीमित पहुँच, सीमित शिक्षक, गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता की कमी, अप्रभावी विनियम प्रणाली आदि वर्णित अधिकांश समस्याएँ लंबे समय से विद्यमान हैं। किन्तु, जिस गति से इसमें सुधार के लिए कार्य किया जा रहा है, यदि यही गति रही तो उच्च शिक्षा जमीनी स्तर पर अपने प्रभावी परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकेगी। यह कठिनाई का उपक्रम हो सकता है। इस दिशा में उस तरीके से प्रयास नहीं हो पा रहा है, जिस प्रकार से होना चाहिए। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाकार क्रियांवित किए जाने की आवश्यकता है।

नई शिक्षा नीति में गुणवत्ता लाने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की जो भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है, उस पर भी विस्तार से कार्य करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा की दिशा में आज जो समस्यायें विद्यमान हैं, उसे दूर करने के लिए व्यापक सोच-समझ अथवा चिंतन-मनन जरूरी है। इसके लिए हमें विद्यार्थियों से विभिन्न समस्याओं पर ठीक उसी प्रकार चर्चा करने की आवश्यकता है, जिस प्रकार नई शिक्षा नीति को लाने के पूर्व की गई थी। शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए ठोस कदम उठाना होगा। इसके लिए इनोवेटिव शिक्षण अर्थात् तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्कता है। विद्यार्थियों के कौशल के अनुसार उसी दिशा में आगे बढ़ाने की योजनायें होनी चाहिए।

सरकार ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए संस्थागत पुनगर्ठन में शैक्षणिक संस्थानों को बहु-विषयक संस्थान के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया है। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने की बात भी कही गयी है। किन्तु कैसे? इस पर विस्तार से दिशा-निर्देश देने और कार्य करने की आवश्यकता है। यदि संस्थागत पुनगर्ठन संस्थान रोजगार देने वाली संस्था बन पाती है, तो ऐसे संस्थानों को बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन स्वायत्ता की आड़ में सार्वजनिक और निजी संस्थानों में शिक्षा के मानक व गुणवत्ता को न्यूनतम करना तथा प्राधिकृत स्तर पर मनमानी

और अनेक प्रकार की विसंगतियों व पक्षपात आदि की आशंका भी बनी रहेगी। इसलिए इन बातों पर भी ध्यान रखना होगा कि विद्या के केंद्र, किसी प्रकार के भेद, पक्षपात व असमानता के स्थल में तब्दिल न हों।

उच्च शिक्षा की दिशा में नियामक प्रणाली के लिए अनेक संस्थानों के निर्माण की बात भी शिक्षा नीति में निहित है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अधिक नियामक संस्थानों की वजह से विद्यार्थियों की समस्यायें और भी बढ़ जाती है और उन्हें कई जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए संख्या बढ़ाने की अपेक्षा समस्याओं का निवारण करना प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे प्रयास होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया आसान हो सके और समस्याओं का आसानी से निदान। कई बार लंबी प्रक्रिया के कारण अनुसंधान कार्यों में कई बाधायें पैदा हो जाती हैं। प्रभावी शिक्षा हेतु शोधवृत्ति एवं छात्रवृत्ति की अपेक्षा की जाती है। हलांकि इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया आदि में सुगमता की कमी है जिसे सहज व प्रक्रिया सम्पन्न बनाया जा सकता है। संस्थानों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा एक ऐसे नियामक प्रणाली अथवा संस्था की आवश्यकता है जहाँ प्रक्रिया जटिल न होकर, सरल हो और लोगों तक आसानी से पहुँच सके।

नई शिक्षा नीति ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए पारदर्शी तंत्र विकसित करने की बात कही है। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए एक शिक्षा, एक नीति और एक भाषा पर जोर देने की पहल करने की सख्त आवश्यकता है, जिसकी शुरूआत पाठ्यक्रम से की जानी चाहिए। आज स्थानीय स्कूल, महाद्यिालय और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता नहीं है। राज्य, केन्द्र और स्वायत्त संस्थानों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता नहीं होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में असमानता का भावबोध पैदा होता है और वहां सफलता प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही शिक्षा के स्तर में विभिन्नता, कई बार हीनता को भी पैदा करता है।

शैक्षणिक संस्थानों को रोजगार देने वाले पाठ्यक्रम के साथ-साथ नैतिकपरक और मूल्यपरक पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज के लिए नैतिकता भी आवश्यक है। कौशल विकास हेतु तकनीकी एवं व्यापारिक प्रशासन

(टेक्नोलॉजी व बिजनेस एडमिनिस्ट्रैशन) जैसे पाठ्यक्रम का समावेश भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से उन कंपनियों से लागातार संपर्क बनाए रखना चाहिए जो व्यासायिक शिक्षा के बाद उपाधिधारक विद्यार्थियों को रोजगार दे सके। संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विद्यार्थी दक्ष बनें। उनमें वह सभी प्रवीणता रहें जो किसी नियोक्ता अथवा कंपनी को आवश्यक रूप से अपेक्षित रहती हैं। इस शिक्षा नीति में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की दिशा में और अधिक चिंतन कर क्रियांवित किया जाये, तो वह ज्यादा सार्थक हो सकता है।

उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए जो दिशा-निर्देश दिये गये हैं, उसमें सबसे अधिक बल स्वतंत्र स्वशासी निकायों को बढ़ावा देने पर है। इससे भेदभाव और बढ़ेगी। इस स्थिति में से निपटने के लिए इस दिशा में और सोचने की आवश्यकता है। विकसित देशों की बात की जाये तो वहां एक देश, एक भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि विभिन्नता में एकता का चरितार्थ भारत ने सिद्ध किया है। फिर भी हमें भेदभाव को खत्म करने के लिए इस तर्ज पर सोचना चाहिए। भारत जैसे अविकसित देश में आज भी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित है। शिक्षा की विभाजन रेखा पर चिंतन राष्ट्र की उन्नति के लिए जरूरी है। वंचित तथा सबसे अंतिम व्यक्ति की दशा व सीखने के स्तर पर जाकर शिक्षा के नए सोपान में अंतिमजन की सहज सहभागिता के बारे में सोचना भी आवश्यक कदम है।

उच्च शिक्षा में नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान हमेशा से ही भविष्य का पथ प्रर्दशन करती रही है और आगे भी करती रहेगी। किसी भी देश का विकास वहाँ के नवीन अनुसंधानों के कंधों पर टिकी होती है। हमेशा से ही गुणवत्तायुक्त अनुसंधान समृद्ध सभ्यताओं में हो या आधुनिक सभ्यता में हो, लाभकारी सिद्ध होता है। गुणवत्तायुक्त अनुसंधान के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सहजता और आसानी से उपलब्ध कराने पर भी जोर देना चाहिए। अन्यथा नवीन अनुसंधानों के संदर्भ में जितनी भी नीतियाँ बना ली जाये, कारगार साबित नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में निश्चित तौर पर अनुसंधान के सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन संस्थान के माध्यम से तेजी से इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों जैसे- तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी और विक्रमशीला संस्थानों की शिक्षा प्रणाली पर पुन: चिंतन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में धार्मिक पढ़ाई, धर्मग्रंथों का अध्ययन आदि को शामिल किए जाने की पुरजोर वकालत की जा रही है। यह एक अच्छी पहल है, किंतु आज शिक्षा पद्धति में टक्नोलाजी, प्रोजेक्टर्स, इंटरनेट व अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट का अहम् स्थान है। इसलिए प्राचीन ज्ञान और धर्म की जानकारी से ज्यादा तकनीकी ज्ञान की महत्ता है। पौराणिक विषयों को भी तकनीक की मदद से सरल बनाकर विद्यार्थियों को आकर्षित किया जा सकता है। विज्ञान ने जीवन के हर पहलू की छानबीन की है। इंटरनेट के जरिए आम आदमी को भी सभी तरह के विषयों पर असीमित जानकारी मिल रही है। आज इंसान जो भी चाहे सीख सकता है। आज हमारे पास किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त के लिए तकनीक की सुविधा है। इन सुविधाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकता है। अब हमारे समाज में प्रोफेशनलिज्म का महत्व है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में कौशल विकास के साथ वोकेशनल शिक्षा भी अहम् मानी जा रही है। इसमें सबका साथ, सबका विकास चरितार्थ होता प्रतीत हो रहा है।

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकार को नियमित तौर प्रदान किए जाने वाले शिक्षण की समीक्षा शुरू करना चाहिए और जो पढ़ाया जाये उस पर भी छात्रों से फीडबैक लेकर सुधार करना चाहिए, जिससे कि पढ़ाई अधिक व्यावहारिक और विद्यार्थी केंद्रित बन सके। यदि शिक्षा, स्वास्थ और सुरक्षा, तीनों विभागों को पूर्णत: सार्वजनिक कर दिया जाये, तो समानता का बोध होगा। भारतीय शिक्षण प्रणाली बड़ी संख्या में स्नातक विद्यार्थी तैयार कर रही है, जिन्हें रोजगार तक नहीं मिल पा रहा है। इन विद्यार्थियों के पास डिग्री तो होती है, किंतु संचार के सही तरीके की कमी होती है। ये मामूली प्रश्नों को भी हल करने में असमर्थ होते हैं। देश की शिक्षा की पड़ताल मीडिया के माध्यम से हमने कई बार देखा है, जो निराशाजनक है।

नई शिक्षा नीति में समग्र और बहु-विषयक के संदर्भ जो नीति बनायी गयी है, वह भी विचारणीय है। बहुविषयक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिन्दु क्रमांक–11.3 और 11.7 में कहा गया है कि- ‘‘एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के सभी

क्षमताओं-बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक तथा नैतिक- को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत विद्या, कला, नृत्य, नाट्यकला, शिक्षा, गणित, साख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या और अन्य को बहु-विषयक, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मजबूत किया जायेगा। जिन नीतियों की चर्चा की गयी है, वह जमीनी स्तर पर जितनी जल्दी पहुँचेगा, उतना ही लाभकारी सिद्ध होगा, किन्तु यह कब तक सार्थक हो पायेगा, यह कह पाना कठिन है। इन बातों को व्यापक स्तर व धरातल पर सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कागजी कार्यवाही से ज्यादा व्यवहारिक दिशा में कदम बढ़ाना होगा।

उच्च शिक्षा में सर्वोत्तम वातावरण के लिये इस नीति के बिन्दु क्रमांक–12.1, 12.2 ,12.3, 12.4 और 12.5 में बुनियादी ढाँचों और संसाधनों जैसे बेहतरीन पुस्तकालय, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएं, प्रौद्योगिकी, खेल/मनोरंजन के स्थान, छात्रों के संवाद हेतु स्थान और भोजन के लिए स्थान आदि जैसी समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। पहला, उच्च शिक्षा के व्यापक ढाँचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठयक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्ता देनी होगी। दूसरा, प्रत्येक संस्थान अपनी वृहद संस्थागत विकास योजना में शैक्षणिक योजनाओं को पाठयक्रम सुधार से लेकर कक्षा-कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान-प्रदान को एकीकृत करे, यह तय करना होगा। तीसरा, सामाजिक- आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्च शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुँचाने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता देने की जरूरत होगी। चौथा, ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। जो दिशा-निर्देश दिये गये हैं और शिक्षा के जिन माध्यमों का वर्णन किया गया है, वह वातावरण प्रासंगिक प्रतीत होता है। किंतु सर्वोत्तम वातावरण बनाने के लिए रास्ते में बाधक बने समस्याओं को धरातल स्तर पर रेखांकित कर दूर करने की आवश्यकता है।

जिससे एक स्वस्थ व उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण के माध्यम से उच्च मानवीय मूल्य और नैतिक जिम्मेदारियों का परिवेष तैयार कर सकें।

स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के माध्यम से उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर की ओर ले जाने में नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। किंतु इसे आगे बढ़ाने के लिए जो संरचना बनायी गयी है, उसमें कमियाँ दिखाई पड़ती है। जैसे केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उच्च शिक्षण संस्थानों को जो स्वायत्तता प्रदान करती है, उसमें एकरूपता नहीं दिखाई पड़ती है। उच्च शिक्षा में नवाचारों के माध्यम से जो सुविधाएं अत्यंत पिछड़े इलाकों में देने की बात कही गयी है, उस दिशा में सुनियोजित तरीके से अमल किया जाये, तो निश्चित ही उच्च शिक्षा को नयी दिशा मिलेगी और विश्वगुरु बनने की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति में अध्यापक के शिक्षण प्रणाली से लेकर भर्ती प्रक्रिया और उनके प्रशिक्षण देने तक एकरूपता का निर्धारण करना जरूरी है। इस नीति में अध्यापकों के लिए सिर्फ शैक्षणिक कार्य निर्धारण करने की आवश्यकता है। साथ ही अध्यापक को भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय के अनुसार नवाचार से जुड़े ज्ञान-विज्ञान से अपने ज्ञान का विस्तार कर विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाये।

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का वास्तविक चित्रण इस तरह देखने को मिल रहा हैं कि उस पर कई सवालिया निशान उठने लगे हैं। शिक्षा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला विषय बन गया है। चाहे वह बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र का टॉपर घोटाला हो या जेएनयू की शिक्षा व्यवस्था, सबने भारत की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देश में शिक्षा जगत में हो रहे पतन से पूरा समाज स्तब्ध है। "महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने हम्माल (पोर्टर) के पांच पदों के लिए विज्ञापन दिया था। विज्ञापन में साफ कहा गया था कि पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिर्फ चौथी पास है और आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। प्रत्याशी को मूलभूत भाषाई और गणितीय योग्यता दर्शाने के लिए एक सामान्य सी लिखित परीक्षा देनी है। पद का वेतनमान 13 से 14 हजार प्रतिमाह के बीच है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को 2424 आवेदन मिले। कुल आवेदकों में 5 एमफिल, 9 पीजी डिप्लोमा, 109 डिप्लोमा, 253 पीजी डिग्री धारी, 984 ग्रेजुएट, 605 हायर सेकेंडरी पास, 282 दसवीं बोर्ड पास और 177 इससे नीचे की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले थे,

लेकिन कोई भी सिर्फ चौथी पास नहीं है।" **(दैनिक भास्कर, बिलासपुर, 27/06/16, पृ.सं.- 19)** उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की यदि यह स्थिति होगी तो फिर शिक्षा पर पुन: विचार करना अनिवार्य हो जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। लेकिन बदलाव पुन: 2020 में लंबे समय के बाद किया गया। भारत सरकार लोगों की गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन लाने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसका उद्देश्य समावेशी, सहभागिता पूर्ण और समग्र दृष्टिकोण से शिक्षा नीति तैयार कर क्रियांवित करना है। भारत को आवश्यक कौशल तथा ज्ञान प्रदान करके ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं उद्योग जगत में श्रमशक्ति की कमी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है ।

डॉ.संतोष कुमार बघेल
सहायक प्राध्यापक
आई.टी.एस. महाविद्यालय, गरियाबंद
बिलासपुर (छ.ग.)
मो.न.- 9479273685

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार के पाठ्यक्रम की आधुनिक भारतीय दृष्टि

डॉ.रेणु सिंह

सारांश :

इस आलेख में नई शिक्षा नीति का परिचय देते हुए पत्रकारिता और जनसंचार के पाठ्य कम्र का परिचय देने का प्रयास किया गया है| साथ में पश्चमी और भारतीय जनसंचार के बीच का अंतर बताकर नई शिक्षानीति के अनुसार पत्रकारिता के विकास के बारे में प्रस्ताव रखा गया है | पत्रकारिता की शुरूआत की स्थिति की जानकारी भी प्रस्तुत की गई क्योंकि पत्रकारिता के सिद्धांत एवं मॉडल उस समय के समाज को देखकर हीं बनाए जाते हैं। मीडिया और समाज का अटूट संबंध हैं इसलिए इस शोध आलेख द्वारा यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि भारतीय समाज पश्चिमी समाज से भिन्न है इसलिए यहाँ पढ़ाएँ जाने वाले पत्रकारिता एवं जनसंचार के पाठ्यक्रम को भारतीय दृष्टिकोण से निर्मित किया जाना चाहिए।

प्रस्तावना-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को अध्ययन अध्यापन में सम्मिलित करने पर बल देती है। भारत की नई युवा पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अपने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गौरव से परिचित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल साक्षरता पर बल नहीं देता अपितु प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमता एवं उनके अंदर निहित तार्किक एवं समस्या समाधान संबंधी क्षमताओं के विकास पर भी महत्व देता है। भारत के प्राचीन एवं सनातन ज्ञान परंपरा केवल देश के गौरव गाथा का भान नहीं कराता अपितु भारतीय संस्कृति में व्याप्त मानवीय एवं नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा हमें देता है। प्राचीन समय में भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत पुरानी एवं समृद्ध रही है, परंतु आज हम अपनी पारंपरिक ज्ञान एवं शिक्षा व्यवस्था को लगभग भूल गए हैं। भारत की

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर आधारित है। पाठ्यक्रमों में निहित अवधारणा एवं सिद्धांत मुख्यत: पश्चिमी देशों की देन है। प्रस्तुत शोध पत्र में जनसंचार विषय के पाठ्यक्रमके पश्चिमी एवं भारतीय दृष्टि में तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा और समझने का प्रयास किया जाएगा कि जनसंचार विषय के पाठ्यक्रम भारतीय संदर्भों में किस प्रकार अलग एवं भिन्न होंगे।

जनसंचार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 -

जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होते हैं। उदाहरण – समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा इत्यादि।तथा संचार से तात्पर्य है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अथवा किसी एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के सम्प्रेषण से सूचना, जानकारी, ज्ञान या मनोभाव का आदान प्रदान करना संचार है। जनसंचार विषय का आगमन पश्चिम से हुआ है। जनसंचार के सिद्धांत भी ज़्यादातर पश्चिम देशों द्वारा बनाए गए हैं। जनसंचार माध्यम एक देश या समाज का प्रतिबिम्ब होता है, इसलिए इसकी संरचना एवं कार्यशैली उस देश या समाज की कार्यशैली पर निर्भर करेगी। अत: भिन्न भिन्न समाज में कार्य कर रहे जनसंचार माध्यमों के अलग मॉडल या सिद्धांत हो सकते हैं। जनसंचार पाठ्यक्रम में नित्य नए शोध करने की आवश्यकता है। जनसंचार की प्रासंगिकता इस बात पर निहित है कि वैज्ञानिक तकनीकों के विकास के साथ यह खुद को अद्यतन करते रहते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जहाँ देश की संस्कृति साहित्य एवं समाज को अहमियत देने की बात की है। कोई भी देश अपने साहित्य एवं संस्कृति को बिना देखे प्रगति की राह पर नहीं चल सकता है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास बहुत हीं समृद्ध रहा है और इसे अपने पाठ्यक्रम और अकादमिक शोध का हिस्सा बनाना आवश्यक है। यह अब सर्वमान्य है कि भारतीय खान पान, रहन सहन एवं आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक उपचार की पद्धतियाँ सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक हैं। इसलिए पूरे विश्व के समुचित एवं सतत विकास के लिए मानव जाति को भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समझना एवं अपनाना होगा। कोरोना की भयानक महामारी ने हम सभी को भारतीय जीवन शैली, आयुर्वेदिक औषधी की महत्ता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनसंचार समाज का

प्रतिबिम्ब है और यह समाज में हो रहे बदलाव -चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक से प्रभावित एवं परिवर्तित होता रहता है।इस शोध पत्र द्वारा यह समझने का प्रयाश किया जाएगा कि जब भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ पश्चिम के अपेक्षा बहुत अलग रही हैं तब जनसंचार के मोडेल एवं सिद्धांत भारतीय दृष्टि क्यों देखे एवं समझे नहीं गए।भारत में जहाँ मीडिया शिक्षण एवं शोध यहाँ के समाज एवं संस्कृति के अनुसार होने चाहिए परंतु पश्चिम के मीडिया पाठ्यक्रम को बहुत हद तक अपना लिया गया है। मीडिया के सिद्धांत एक बार पुनर्विचार की अपेक्षा रखते है |

जनसंचार का महत्व एवं समाज में इसकी उपयोगिता :

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मास मीडिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय समाज में समाचार पत्रों का आगमन सुधार एवं मिशन की पत्रकारिता के रूप में आई थी। हिक्की द्वारा शुरू किया गया प्रथम अख़बार भी अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था के ख़िलाफ़ आंदोलनकारी सवार रखा हुआ था। राममोहन राय जैसे समाज सुधारक ने समाचार पत्र को सती प्रथा जैसे भीषण कुप्रथा एवं अन्यायपूर्ण व्यवस्था से अवगत कराया। महात्मा गांधी पत्रकारिता को सेवा भाव से करने पर बल देते थे। वही बाबा साहेब अंबेडकर समाज में व्याप्त असमानताओं एवं छुआछूत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पत्रकारिता को अपने संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयोग किया था। स्वतंत्रता के बाद भी पत्रकारिता ने अपने महत्व को साबित किया है। पत्रकारिता ने सरकार एवं समाज के बीच एक पुल का काम किया है। जनसंचार के द्वारा सरकार के नीति नियम एवं कार्यों के बारे में पूरी जानकारी जनता को मिलती है। समाज एवं जनता की समस्याओं एवं तकलीफ़ों के समाधान भी पत्रकारिता के कार्यों में निहित है। कोरोना महामारी से उभरने में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार ने महत्वपूर्ण योगदान दियाहै। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों -प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब सभी ने लॉकडाउन के मुश्किल समय में सभी को एक दूसरे से जोड़े रखा तथा कोरोना के विषय में अद्यतन सूचना देता रहा।

कोरोना ने डिजिटल की उपयोगिता और व्यवहार को कई गुना बढ़ा दिया है। आज स्कूल में पढ़ने वाले प्राथमिक कक्षा के बच्चे हों या विश्वविद्यालय के छात्र या शोधार्थी – सभी डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए डिजिटल पत्रकारिता का

उपभोग भी बढ़ा है। आज ओनलाइन समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए आज डिजिटल मीडिया के सामाजिक अर्थशास्त्र को समझना बहुत आवश्यक है।

जनसंचार पाठ्यक्रम और पश्चिमी दृष्टि –

विल्बर श्रैम संचार अध्ययन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। विल्बर श्रैम ने संचार शोधार्थियों के प्रथम समूह के मार्गदर्शक के रूप में उभरे थे। श्रैम ने आइओवा (**Iowa**) विश्वविद्यालय में संचार के डोकटोरल कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रैम ने 1947 में इलिनियोस (**Illinois**) विश्वविद्यालय में इंस्टिट्यूट ओफ़ कोम्यूनिकेसन रिसर्च की स्थापना की। श्रैम की प्रभावशाली पुस्तक *मास मीडिया एवं नेशनल डेवलपमेंट*ने किसी देश के विकास में संचार के महत्व को समझाया था।जनसंचार अध्ययन की शुरुआत आधुनिकीकरण सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। डेनियल लर्नर ने मिस्र, ईरान, ज़ोर्डन, लेबनान तुर्की जैसे देशों में शोध करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर आए किडेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक *दि पासिंग ओफ ट्रेडिशनल सॉसायटी: मॉडर्ननाईज़िंग दि मिडल ईस्ट* में यह बात कही कि कोई देश या समाज पश्चिमी तकनीक का प्रयोग कर एक देश या समाज को ग़रीबी से निकालकर प्रगतिशील देश बनाता है। लर्नर के अनुसार रेडियो, टेलीविजन, पत्रिकाएँ,समाचार पत्र इत्यादि एक देश को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकते हैं। डेनियल लर्नर ने विल्बर श्रैम एवं एवर्ट रोजर्स के साथ विकास संचार के अध्ययन-अध्यापन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एवर्ट रोजर्स ने अपनी पुस्तक *डिफ़्यूसन ओफ़ इनोवेसन* का प्रयाश किया था परंतु रोजर्स की पुस्तक एवं उनके मॉडल में उल्लेखित फिस्सडी (**laggard**) की विकासशील देशों में बहुत आलोचना हुई। विकास संचार की अवधारणा के ऊपर विकासशील देशों ने अपने दृष्टिकोण पर काम किया और उसपर अपना पक्ष रखा।

पश्चिमी देशों में जनसंचार अपने शुरुआती दौर से हीं प्रॉपगैंडा, पेनी प्रेस तथा पीत पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। प्रॉपगैंडा का इतिहास औपचारिक जनसंचार शिक्षण से बहुत पुराना है। पश्चिमी देशों में संदेशों का प्रॉपगैंडा के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। दोनों विश्व युद्ध के समय सभी देशों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों के मत एवं विश्वास को प्राप्त करने के लिए प्रॉपगैंडा का भरपूर प्रयोग किया। मास मीडिया प्रयोग कर ये देश लोगों को खबरों, विज्ञापन,

सिनेमा इत्यादि के द्वारा प्रॉपगैंडा फैलाने का काम करते थे। इसी समय पश्चिम देशों में पेनी प्रेस तथा पीत पत्रकारिता अपने चरम पर था। पीत पत्रकारिता अपने विवादास्पद, चमकीले, एवं बढ़ा चढ़ा के की जाने वाली पत्रकारिता गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन एवं अमेरिका औद्योगिक क्रांति के रास्ते में भी अग्रणी थे। औद्योगिक क्रांति होने के कारण इन देशों के समाजपूँजीवादी एवं श्रमिक वर्ग में बँटे हुए थे। इन देशों के मीडिया संस्थान ज़्यादातर पूँजीवादी वर्ग के अधीन हुआ करते थे । पूँजीवादी वर्ग श्रमिकों को बाज़ार के रूप में देखते थे तथा मीडिया का प्रयोग अपने उद्योगों से निकले उत्पाद को बेचने के लिए करते थे। मास मीडिया खानपान एवं पहनावे के उसी संस्कृति को बढ़ावा देता था जिसे पूँजीपतियों का समर्थन प्राप्त होता था। पश्चिमी देशों में मास मीडिया का प्रयोग एक तरफ़ा सूचना देकर सूचना प्राप्तकर्ता को प्रभावित करना था। आधुनिकीकरण के दौड़ में सूचना प्राप्तकर्ता को निष्क्रिय,समरूप एवं सजातीय समूह माना जाता था जो मीडिया के संदेशों से पुरी तरह प्रभावित होते थे। उनकी अपनी कोई समझ नहीं थी तथा उनके निर्णय मीडिया द्वारा दिए गए संदेशों से निर्मित होते थे। परंतु जल्द हीं संचारविद् यह समझ गए कि मीडिया इतना भी शक्तिशाली एवं सार्वभौमिक नहीं था। मीडिया के संदेशों को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए ओपिनियन लीडर का प्रयोग आवश्यक है। इसके साथ हीं पाठक एवं दर्शकों के फ़ीड्बैक को महत्व देना आवश्यक है क्योंकि उनके किसी मुद्दे पर विचार या ज्ञान भी उतने हीं महत्वपूर्ण हैं जितने कि सूचना प्रेषक समूह के होते हैं।

जनसंचार पाठ्यक्रम और आधुनिक भारतीय दृष्टि –

जनसंचार का उद्भव एवं विकास वहाँ के समाज के विकास एवं परिवर्तनों से जुड़ा होता है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश औद्योगीकरण की नीति पर अपना विकास कर रहे थे तथा वे दूसरे विकासशील देशों को भी इसी विकास नीति को अनुसरण करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डेनियल लर्नर, एवर्ट रोजर्स जैसे समाजशास्त्री एवं संचारकों को आर्थिक सहयोग कर आधुनिकीकरण सिद्धांत के प्रचार प्रसार पर बल देने को प्रेरित कर रहे थे। भारत एवं विकासशील देशों के दृष्टिकोण से संचार क्षेत्र में प्रथम मज़बूत हस्तक्षेप न्यूको (**New World Information and Communication Order**) के रूप में दिखता है जब सभी गुटनिरपेक्ष देश एकजुट होकर सूचना प्रवाह के असंतुलन पर आवाज़ उठाते हैं। इसके साथ हीं एक कमीशन का गठन किया गया

जो विश्व के इस सूचना प्रवाह असंतुलन को बेहतर करने के उपाय सुझा सके। मैकब्राइड कमीशन ने यह सुझाया कि सभी विकासशील देश अगर सूचनाओं के असंतुलन को कम करना चाहते है तो ज़्यादा से ज़्यादा मास मीडिया संस्थान-रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, समाचार एजेंसी इत्यादि की। इसके साथ हीं सूचना के स्वामित्व, सूचना प्रवाह पर विकसित देशों का नियंत्रण इत्यादि मुद्दों पर चर्चा की गई। जब इन मुद्दों को जनसंचार के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तभी छात्र विकास के निर्भरता के सिद्धांत, सूचना प्रवाह के वर्चस्व जैसे मुद्दे सूचनाओं के स्वामित्व का सही मायनों में समझ पाएँगें।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जनसंचार माध्यमों का प्रयोग समाज के बीच जनचेतना एवं समाज सुधार के प्रयास किए गए है। स्वतंत्रता के प्रति स्वतंत्रता सेनानियों ने जनमत निर्माण किया। भारतवासी अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया और सामाजिक सुधार आंदोलन में भूमिका निभाई। अगर स्वतंत्रता से पूर्व के जनसंचार के कार्यों की तुलना करें तो यह पाया जाता है कि जिस दौर में जनसंचार को पश्चिमी देशों में मास मीडिया को प्रोपगैंडा का साधन माना जाता था उस समय भारत में जनसंचार जनजागृति एवं जनमत निर्माण के साधन थे। अत: संचार के मास सोसाइटी सिद्धांत पश्चिम के लिए सच हैं परंतु भारत में स्थिति अलग थी। सूचना निर्माता (**Sender**) यहाँ पूँजीपति वर्ग नहीं थे अपितु स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे जो ब्रिटिश शासन के दमन के शिकार थे या समाज सुधारक थे जो समाज की कुरीतियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में पहले सूचना निर्माता बुद्धिजीवी वर्ग एवं उच्च जातियों से आते थे परंतु जल्द पिछड़ी जाति के नायकों ने भी समाचार पत्रों द्वारा अपनी आवाज़ देशवासियों और सरकार तक पहुँचाई।

अत: दर्शक सिद्धांत (**Audience Theory**) के अनुसार जहाँ पश्चिमी देशों में सूचना प्राप्तकर्ता (**Receiver**) मूक एवं निष्क्रिय माना जाता था वहीं उसी समय भारत में पाठकों को कभी मूर्ख या निष्क्रिय समझ कर उनके लिए संदेश नहीं बनाए गए। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय समाचार पत्रों ने संदेशवाहक का काम किया। महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानी के समाचार पत्रों में लिखे लेख कई भाषाओं में दूसरे समाचार पत्रों में छपते थे जिससे आंदोलन को दिशा मिलती थी। इस तरह अगर देखें तो भारतीय समाचार पत्रों ने भारतवासियों को अपने

अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के लिए सचेत एवं सशक्त करने का कार्य किया। पश्चिम में जहाँ आधिपत्य, वर्चस्व वाद एवं उद्योगपतियों से प्रभावित पत्रकारिता की जा रही थी, वहीं भारत में आंदोलनकारी, समाज सुधारक एवं सेवा भाव से ओतप्रोत पत्रकारिता की जा रही थी।

नई सूचना तकनीक एवं मीडिया पाठ्यक्रम-

यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को बता रहे कि झूठ एवं बढ़ा-चढ़ा के पेश की जाने वाली चमकीले एवं सनसनीख़ेज़ खबरों से किसी का ध्यान कुछ समय के लिए आकृष्ट तो किया जा सकता है परंतु अगर उन्हें पूरी तरह परिवर्तित एवं सत्य की राह पर चलने को मजबूर करना हो तो उसका उदाहरण स्वतंत्रता से पूर्व की भारतीय पत्रकारिता देखा जा सकता है। महात्मा गांधी की पत्रकारिता सेवा भाव से ओत प्रोत थी। आज डिजिटल मीडिया में फ़ेक न्यूज़ की समस्या एवं उपयोगकर्ता के बीच मीडिया साक्षरता की समस्या पर विचार करना आवश्यक है। परंतु भारतीय डिजिटल उपयोगकर्ताओं को अगर सही तरीक़े से मीडिया साक्षर किया जाए तो भारतीय पाठक एवं दर्शक संयम एवं सूझ बुझ से डिजिटल मीडिया का प्रयोग कर सकेंगे। आज डिजिटल उपयोगकरता सूचनाओं के वाइरल होने, पेड न्यूज़, सूचना स्वामित्व इत्यादि के संचारशास्त्र को समझते हैं। डिजिटल मीडिया ने संचार की गति को और अधिक बढ़ा दिया है।

अब संदेशों का निर्माण, उनकी व्याख्या या प्रतिपुष्टि (फ़ीडबैक) त्वरित गति से होती है। अब अगर किसी शब्द या संदेश का अर्थ न्यू मीडिया उपयोगकर्ता गलत समझता है, तो उसे सुधारने का अवसर संदेश निर्माता को नहीं मिल पाता है। इंटरनेट के आगमन ने संचार के प्रेषक, सूचना प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि इत्यादि सभी आवधारणाओ को बदल दिया है। आज संचार की आवधारणाओ में गति का भी महत्वपूर्ण भूमिका है जो सूचनाओं के वाइरल होने, ज़्यादा जल्दी लोगों के लाइक और कॉमेंट्स लाने में बहुत योगदान करते हैं।

पुराने जनमाध्यम जैसे- प्रिंट, रेडियो, टीवी इत्यादि के गेट किपिंग सिद्धांत हो, एजेंडा सेटिंग या फ्रेमिंग सिद्धांत हों, ये सभी डिजिटल मीडिया के युग में पुन: विचार की अपेक्षा रखते हैं। पुराने जनमाध्यम जनमत निर्माण में बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाते आए हैं तथा डिजिटल मीडिया पर भी यह बात लागू होती है। डिजिटल मीडिया एक मुद्दे पर लोगों की समझ बना भी सकता है

तथा बिगाड़ भी सकता है। आज डिजिटल मीडिया एक प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है, जिसके प्रयोग एवं कार्य पद्धति को समझना एवं उस पर निरंतर शोध करना समय की आवश्यकता है। आज डिजिटल मीडिया एक बच्चे से लेकर बड़े उद्योगपति, सामाजिक चिंतक, विद्वान, छोटे व्यापारी, मज़दूर, किसान इन सभी के जीवन से जुड़ चुका है। जब पुरानी मीडिया सूचनाओं का संप्रेषण, नियंत्रण या प्रायोजित प्रवाह करती थी, तब वह मीडिया घराना या मीडिया कर्मी उसके लिए ज़िम्मेदार होता था, परंतु आज डिजिटल मीडिया ने सूचनाओं को प्रवाहित करने की शक्ति हर व्यक्ति को दे दी है । अगर एक व्यक्ति बिना सूचना की सत्यता परखे या डिजिटल मंच के त्वरित एवं प्रभावशाली क्षमता को न समझते हुए किसी सूचना को प्रवाहित करता है, तो उसके घातक परिणाम पूरे समाज को झेलने पड़ेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम मीडिया साक्षर बने तथा डिजिटल मीडिया के विभिन्न आयामों को समझें।

डिजिटल मीडिया का सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। डिजिटल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो हमारे जीवन शैली एवं संवाद शैली को प्रभावित कर रहा है। डिजिटल मीडिया कई मायनों में अब गेट किपिंग के सिद्धांत से आगे बढ़ कर गेट वॉचिंग के सिद्धांत पर काम रहा है। डिजिटल मीडिया ने भारतीय समाज एवं संस्कृति को अपनी अभिसरण (कन्वर्जेन्स) एवं अंतरक्रियाशीलता (इंटरैटिविटी) जैसे विशेषताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। सोशल मीडिया ने एक परिवार के अनेक सदस्य जो विभिन्न शहरों में एकल रहते है उन्हें आभासी रूप से संयुक्त होने का बोध कराया है, तो वहीं डिजिटल मीडिया ने एक घर में साथ रह रहे परिवार के सदस्यों को अलग अलग डिजिटल मंच (वेब सिरीज़, सिनेमा, क्रिकेट इत्यादि) प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया है। इस तरह से देखें तो डिजिटल मीडिया जहाँ भारतीय संस्कृति में पारिवारिक एकीकरण या अभिसरण को बढ़ावा देता है वहीं अपसरण (डाईवरज़ेंस) की संकल्पना को भी प्रवाहित करता है। डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में नित्य नई अवधारणाएँ जुड़ती जा रही हैं, इसलिए इस अनुशासन में उत्कृष्ट शोध एवं नवाचार की आवश्यकता है।

मीडिया पाठ्यक्रम एवं सांस्कृतिक संचार:

मीडिया के संदेश सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा देते आएँ हैं। पश्चिमी देशों के खान पान एवं पहनावे को भारत में बड़े हीं आकर्षक तरीक़े से विज्ञापन, सिनेमा, टीवी सीरीयल या वेब

सिरीज़ में पेश किया जाता रहा है ताकि भारत के युवा उस जीवन शैली को अपनाएँ तथा बड़े उद्योगों को अपने बाज़ार को फैलाने का अवसर प्राप्त हो। थीडोर अडोर्नो एवं मैक्स होर्कहाईमर ने मीडिया को सांस्कृतिक उद्योग को बढ़ावा देने की बात की थी क्योंकि उनका मानना था कि मीडिया द्वारा लोकप्रिय किए गए गाने या फ़िल्में एक तरीक़े के फ़ोर्मुला पर आधारित होते हैं जो आम दर्शक के माँग को देखकर निर्मित किया जाते हैं। यह लोकप्रिय संस्कृति कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के फ़ायदे को देखकर प्रचलित किए जाते हैं। भारत को अगर अपने सांस्कृतिक धरोहर को सँभालना एवं संजोना है तो उसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के हमले से बचना होगा। मीडिया एवं जनसंचार के माध्यम को भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार पर बल देना होगा और अपनी अस्मिता को बचाना होगा। जनसंचार के विद्यार्थियों को मीडिया के प्रभाव एवं सांस्कृतिक दख़ल अंदाजी की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि वे भविष्य में भी इनसे बचने के उपाय निकाल सकें।

मीडिया पाठ्यक्रम एवं विकास हेतु संचार (C4D)

भारत का समाज एवं उसकी समस्याएँ पश्चिमी देशों की समस्याओं से भिन्न है इसलिए भारतीय मीडिया पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विकास हेतु संचार **(C4D)** के विषय भी देश की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाए जाने चाहिए। भारत की जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, गरीबी, बेरोज़गारी इत्यादि समस्याओं पर विचार करते हुए पाठ्यक्रम निर्माण किए जाने चाहिए। भारत के राजनीतिक संचार में ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कई बार मतदान एवं जनमत निर्माण के समय इन मुद्दों ने सरकार का बनाया या गिराया है। मीडिया के छात्रों को यह जानकारी होनी चाहिए कि देश या समाज के विकास हेतु संचार का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। संचार एक समाज के सहभागी विकास एवं सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इसलिए यह मीडिया पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विषय है।

मीडिया पाठ्यक्रम एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण:

मीडिया पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक संकल्पनाओं पर आधारित नहीं होता है अपितु प्रायोगिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रायोगिक प्रशिक्षण एंड मनोरंजन युक्त शिक्षा पर बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ई-सामग्री निर्माण पर बल दिया है तथा

डिजिटल रिपोज़िटरी बनाने की बात कही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन आधारित यानी लर्निंग गेम्स, सिमुलेशन, ऑग्मेंटेड वास्तविकता या आभासीय वास्तविकता इत्यादि तकनीक का प्रयोग कर किसी विषय को समझाने के लिए ई- सामग्री का निर्माण करने की योजना प्रस्तावित की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने आभासी प्रयोगशाला (वर्चुअल लैब्स) एवं मीडिया प्रयोगशाला तैयार करने की बात की है। आभासी प्रयोगशाला एवं मीडिया प्रयोगशाला का प्रयोग विद्यार्थियों को एनिमेशन व ग्राफिक्स, चित्र संपादन, संवाद संपादन, वीडियो संपादन,कला और पेंटिंग, दत्त प्रबंधन, पॉडकास्टिंग, वेब डिजाइनिंग, फ़ाइल कंव्हरसेशन इत्यादि कार्य कुशलता से सीखने के लिए किया जाएगा।

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन –

जनसंचार के क्षेत्र में नित्य नई तकनीक का विकास हो रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक खुद को इस क्षेत्र से संबंधित शोध एवं तकनीक से उन्नत करता रहे। इस अद्यतन क्षेत्र में मात्र शिक्षक हीं ज्ञान का स्रोत नहीं होते, बल्कि विद्यार्थी भी तकनीक के अनेक गुणों से शिक्षक से ज़्यादा परिचित होते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित संगोष्ठी एवं कार्यशाला में शिक्षकों को नियमित रूप से सहभागिता करनी चाहिए तथा संबंधित आलेख प्रकाशित करने चाहिए।

उत्कृष्ट शोध एवं अनुसंधान:-

जनसंचार विषय में नित्य नए शोध की आवश्यकता है क्योंकि यह विधा तकनीक के नए अनुसंधानों के अनुसार परिवर्तित एवं अद्यतन होता रहता है। यह आवश्यक है कि जनसंचार का कौन सा माध्यम अपने पाठक/ दर्शक/उपयोगकर्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है। पश्चिम में औद्योगिकीकरण के समय जब उद्योगों में काम करने युवा वर्ग अपने गावँ छोड़कर शहर में अकेले रहते थे, तब मास मीडिया के माध्यम उनके घर आकर उन्हें देश दुनिया की खबरें देते थे। ऐसा माना जाता था क इन युवाओं के लिए समाचार पत्र एवं रेडियो उनके पड़ोसियों से ज़्यादा भरोसेमंद थे।आज डिजिटल मीडिया हमारे युवा पीढ़ी को भी अकेले क्रिकेट मैच, वेब सिरीज़, डिजिटल गेम इत्यादि देखने या खेलने को प्रेरित करती रहती है जिससे यह साफ़ है कि अगर युवा अकेला है तो

उसे प्रभावित करना आसान होगा। भारतीय परंपरा में एक परिवार आज भी साथ बैठकर सिनेमा, खबरें या क्रिकेट देखने में विश्वास करता है। यह शोध का विषय है कि कोरोना के उपरांत डिजिटल मीडिया ने हमारे पारिवारिक संबंधों में कितनी शारीरिक दूरी पैदा की है।

निष्कर्ष –

जनसंचार के माध्यमों के प्रयोग के शुरुआती दौर की पत्रकारिता को अगर देखें तो पश्चिमी देशों एवं भारतीय पत्रकारिता में एक विशेष अंतर देखा जा सकता है – पश्चिमी देशों में जहाँ वर्चस्व एवं आधिपत्य की पत्रकारिता थी वहीं भारत में नैतिक मूल्यों, सुधार एवं आंदोलनकारी पत्रकारिता की जा रही थी। संचार माध्यमों ने भारतीय समाज, संस्कृति एवं भाषा पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। जनसंचार विषय के पठन-पाठन में भारत की संस्कृति के साथ भारत की समस्याओं को ध्यान देने की भी आवश्यकता है। भारत की जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, गरीबी, बेरोज़गारी इत्यादि समस्याओं को भी दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। जनसंचार एवं पत्रकारिता द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाना, भारतीय भाषाओं में मीडिया का अध्ययन-अध्यापन करना, सूचना संचार तकनीकी की शब्दवाली को भारतीय भाषा केंद्रित करना, भारत में निर्मित व विकसित मीडिया तकनीकी का प्रयोग व प्रचार, मीडिया के उपकरणों का भारतीय भाषाओं में नामकरण आदि बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए मीडिया विषय का अध्ययन अध्यापन करना समय की माँग है।

आज इंटरनेट अश्लील चित्र एवं अभद्र चलचित्रों का केंद्र बन गया है। युवा वर्ग मुख्यत: छोटे बच्चे भी डिजिटल मीडिया के उपयोगकर्ता समूह में सम्मिलित होते हैं, इसलिए इस प्रकार की कामुक एवं अभद्र ई-सामग्री घातक सिद्ध होती है। आज जो वीडियो खेल भी तैयार किए जाते हैं उनमें भी अश्लीलता पाई जाती है, जिसे छोटे बच्चे सीधे प्रभावित होते हैं। अत: डिजिटल संसार जहाँ एक तरफ़ सूचना सशक्तिकरण का प्रतिरूप बनकर उभरा है, वहीं दूसरी तरफ़ हमारी भावी पीढ़ी में मानवीय मूल्यों एवं नैतिकता की स्थापना में चुनौती पेश कर रहा है। अत: यह आवश्यक है मीडिया विद्यार्थियों को साइबर क़ानून की जानकारी हो, वे नई सूचना तकनीक के चुनौतियों का सामना कर सकें तथा भारत की संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा कर सकें। आज की यह माँग है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिखाए पथ का अनुसरण कर जनसंचार एवं अन्य विषयों के

पाठ्यक्रम में भारतीय दृष्टिकोण से परिवर्तन कर लें ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी को पश्चिम की अंधी दौड़ से बचा सके एवं उन्हें भारत के उत्कृष्ट संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित करा सकें।

डॉ. रेणु सिंह
सहायक प्रोफ़ेसर, जनसंचार विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

संदर्भ-

- **Blumer, H. (1939). 'The Mass, the Public and Public Opinion' in A.M. Lee (ed.),** ***New Outlines of the Principles of Sociology*****. New York: Pretence Hall.**
- **McQuail, Denis (2005).** ***Mass Communication's Theory*****. 5th Edition, New Delhi: Vistaar Publications.**
- **Melkote, S. R. & Steeves, H.L. (2001)** ***Communication for Development in the Third World*****. 2nd Edition, New Delhi: Sage Publications.**
- **Yellow Journalism: The "Fake News" of the 19th Century;** ***The Public Domain Review.*** **Retrieved from: https://publicdomainreview.org/collection/yellow-journalism-the-fake-news-of-the-19th-century**
- **Walter Lippmann and John Dewey. Retrieved from: https://www.infoamerica.org/teoria_articulos/lippmann_dewey.htm**
- **Wikipedia, Walter Lippmann. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann**
- **Hypodermic Needle Theory. Retrieved from: http://www.mediaknite.org/hypodermic-needle-theory/**
- **Wikipedia, Committee on Public Information. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Committee_on_Public_Information**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और मीडिया की भूमिका

डॉ. विनय भूषण

सारांश:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव समय और समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है और इसमें तकनीक का हर स्तर पर उपयोग के महत्व को स्वीकार करने के साथ-साथ मीडिया की भूमिका भी परिलक्षित होती है। शिक्षा को सर्वसुलभ, रोजगारोन्मुख और सरल बनाने में परंपागत मीडिया के साथ ही इंटरनेट आधारित न्यू मीडिया के उपयोग को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। इस शिक्षा नीति को सफल बनाने में मीडिया की भूमिका और उसके विविध आयामों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है।

मानव के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा हमारे मानसिक एवं शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है और इससे एक सशक्त और संपन्न समाज और राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारा भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इन 74 वर्षों में हमने विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए देश को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हमारी पहचान वैश्विक स्तर पर स्थापित हो चुकी है। आज हम कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के सबसे बड़े निर्यातक हैं, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के संचालक हैं और अनेक मामलों में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। लेकिन इस दौरान हमारी शिक्षा व्यवस्था की कुछ कमियां भी उजागर हुई हैं, जिनमें स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की अधिक संख्या, परीक्षा का अधिक दबाव, शिक्षा और रोजगार के बीच सामंजस्य की कमी, बढ़ती बेरोजगारी आदि शामिल हैं। बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों ने इसे और बड़ा रूप दे दिया है। समय की जरूरतों में लगातार बदलाव होता रहता है और समय सापेक्ष होकर ही हम अपने राष्ट्र को विकास के मार्ग पर अग्रसर बनाए रख सकते हैं।

संचार माध्यमों के विकास के साथ-साथ शिक्षा के स्वरूप एवं उसकी उपयोगिता में भी बदलाव आया है। आजादी के बाद भारत में दो शिक्षा नीति बनायी गई थी जो क्रमश: 1968 एवं 1986 में लागू की गई थी। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर ही अभी तक की शिक्षा प्रणाली कार्य कर रही है। जिसमें शिक्षा के लिए 10+2+3 की संरचना को कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन इस नीति के लागू होने के 35 वर्षों में जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो या सूचना एवं तकनीक। 1986 में जहां कम्प्युटर ने दस्तक दी थी और इसके आगमन को स्वीकार किया गया था, वहीं आज यह पूरी व्यवस्था को संचालित करने की स्थिति में है। 1991 में हमारे देश के नीति निर्माताओं ने हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया और हमनें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया। इसके कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वह है तकनीक की बढ़ती भूमिका। अब मार्शल मैकलुहान की वैश्विक ग्राम की संकल्पना फलीभूत हो रही है, सूचना की सीमितता अब समस्या नहीं रही है बल्कि असंख्य सूचनाएं उपलब्ध हैं और सूचना एवं ज्ञान का स्रोत केवल पुस्तकों में सीमित नहीं रह गया है। हमारा समाज अब 'सूचना समाज' बनने की राह पर अग्रसर है जहां सूचना पर आधारित रोजगार की संख्या सबसे अधिक है चाहे वह इंजीनियर हो, शिक्षक हो या कोई तकनीकी विशेषज्ञ। अब 'सूचना ही शक्ति है' को न केवल हमने अपनाया है बल्कि यह फलीभूत भी हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश सेवा क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन केवल सेवा क्षेत्र के विकास से ही हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते बल्कि हमें उत्पादन को भी बढ़ावा देना होगा ताकि हम सेवा के निर्यात के साथ-साथ उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने के बाद निर्यातक बन सकें। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और हम सामाजिक-आर्थिक विकास को भी सुनिश्चत कर सकते हैं।

इन्हीं बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को भारत सरकार ने गहन चिंतन-मनन के बाद लागू कर दिया है। इस नीति में वर्तमान और भविष्य की राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रारंभिक स्तर से लेकर परास्नातक स्तर तक शिक्षा के स्वरूप में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मूल उद्देश्य ही क्षमता विकास को

प्राथमिकता देना, भाषाई समस्या का समाधान, कम्यूटर शिक्षा को बढ़ाना और शिक्षा में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग आदि हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत स्कूलों में वर्तमान 10+2 की शिक्षा प्रणाली के बदले 5+3+3+4 की प्रणाली को स्वीकार किया गया है। इसमें तीन साल की अवस्था में ही बच्चे को आंगनबाड़ी या प्री-स्कूल या बालवाटिका में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा, जहां वह खेल-खेल में सीखेगा और बिना परीक्षा के कक्षा 2 तक की पढ़ाई पूरी कर लेगा। इसके बाद वह कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में ही करेगा जिससे उसकी सोचने-समझने की क्षमता बिना कोई भाषाई समस्या के विकसित हो सके। 3 साल के मिडिल स्टेज में यानी कक्षा 6 से 8 तक के स्टेज में बच्चों को गणित, विज्ञान एवं समाज विज्ञान के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। विद्यार्थियों की कल्पना शीलता और संकल्पबोध को विकसित करने के साथ ही इस दौरान एक और भाषा को सीखने को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थी को कोई एक विदेशी भाषा सीखने के साथ ही विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। अब छात्र बिना किसी संकाय में बंधे अपने अनुसार विषय का चयन कर सकता है और यहां पर सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को भी लागू किया गया है। परीक्षा प्रणाली को समेकित करने पर भी जोर है, जिसमें छात्र को स्वमूल्यांकन, सहपाठी छात्रों का मूल्यांकन एवं शिक्षकों का मूल्यांकन शामिल हैं। इस स्तर पर विद्यार्थियों के लिए साहित्य के साथ-साथ साहित्येत्तर पाठों का उपयोग करना आवश्यक बनाया गया है।

18 वर्ष की अवस्था में एक विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश लेगा और यहां भी वह बिना किसी बंधन के विषय चयन कर सकता है और अपनी इच्छानुसार एक वर्ष से चार वर्ष की पढ़ाई पूरी कर प्रत्येक वर्ष क्रमश: सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातक(रिसर्च) की डिग्री हासिल कर सकता है। इस स्तर पर सबसे बड़ी सुविधा पढ़ाई को बीच में छोड़कर फिर से प्रवेश की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से लगभग 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 45 हजार से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल और 21 करोड़ से भी अधिक विद्यार्थियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। इस नीति के द्वारा 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत बच्चों का प्रवेश सुनिश्चत करना तथा उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत के नामांकन का लक्ष्य

रखा गया है। इसके लिए आवश्यक धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के वर्तमान खर्च को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा को तकनीक से जोड़ना इस नीति का हिस्सा है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा में अलग-अलग रूपों में इसे अपनाया जाएगा, चाहे वह खेल-खेल में पढ़ाई के स्तर पर हो या कक्षा 6 से कम्प्यूटर ज्ञान और व्यावसायिक कौशल का विकास। 11 वर्ष की उम्र में बच्चे को कम्प्यूर और अन्य व्यावसायिक कौशल सीखाने के लिए कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास रूम और अन्य प्रकार के लैब को विद्यालयों में स्थापित किया जाएगा। जिस कम्प्यूटर कोडिंग को आज एक विद्यार्थी अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सीखता है, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लागू होने के बाद बच्चा कक्षा 6 से 8 के दौरान सीख सीखेगा और बिजली के उपकरणों की कार्यप्रणाली और उसे ठीक करने के सामान्य गूर भी इन्हीं कक्षाओं में सीखाया जाएगा। इससे बच्चे हूनरमंद बनेंगे और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसी तरह आगे की शिक्षा में भी बिना किसी विषय बाधा के वह अपने कौशल का विकास कर सकता है।

सूचना, संचार एवं तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग इस नीति की विशेषता है। उच्च शिक्षा में इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। वर्चुअल क्लास रूम से लेकर, ऑनलाइन शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। कोई छात्र अपनी इच्छानुसार 'स्वयं' या 'मूक' प्लैटफार्म पर उपलब्ध विषय को पढ़कर और उसकी परीक्षा पास कर उसे अपने स्नातक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करा सकता है। अब आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान के किसी ऑनलाइन उपलब्ध विषय की पढ़ाई अपने गृह जिले के कॉलेज में पढ़ते हुए भी कर सकते हैं। इससे गुणवत्ता की समस्या और शिक्षकों की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित होती है। चाहे वह भाषा का ज्ञान हो या किसी उत्पाद के निर्माण की प्रविधि हरेक स्तर पर मीडिया की भूमिका सीधे तौर पर सामने आ रही है। रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से पहले भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उसे मुख्यधारा की शिक्षा से अलग माना जाता था। अब मीडिया न केवल सूचना का स्रोत है बल्कि यह शिक्षा, ज्ञान और तकनीक को आम जनता तक सबसे सस्ते और सरल ढ़ंग से

पहुंचाने का भी जरिया है। भाषा को सीखने का ये सबसे कारगर माध्यम है। बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों ने गैर-हिंदी प्रदेशों या विदेशों में जिस प्रकार हिंदी का विस्तार किया है, वह सर्वविदित है। आज लगभग 1000 से अधिक टेलीविजन चैनल अपना प्रसारण कर रहे हैं और इनकी पहुंच देश के कुल 30 करोड़ घरों में से 21 करोड़ घरों तक है। ये सूचना के साथ मनोरंजन को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। देश की जरूरतों एवं भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए इन्हें अपनी प्रसारण सामग्री में अगर जरूरी हो तो बदलाव करना चाहिए। इन टेलीविजन चैनलों को मनोरंजन के साथ-साथ उपयोगी सूचना और तकनीकी ज्ञान का भी प्रसारण करना चाहिए।

डिजिटल इंडिया की जिस परिकल्पना को साकार रूप दिया गया है, उसमें मीडिया का एक नया एवं प्रभावी स्वरूप हमारे सामने उभरकर आया है, और वह है न्यू मीडिया अर्थात इंटरनेट पर आधारित मीडिया। इसने परंपरागत मीडिया की सीमाओं को न सिर्फ तोड़ा है बल्कि सभी को अपने में समाहित भी कर लिया है और अनेक नए माध्यमों को भी हमसे अवगत कराया है। चाहे वह सोशल मीडिया हो या ओटीटी या विभिन्न ऐप आधारित मीडिया। आज लगभग देश की आधी आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है और यहां के स्मार्ट फोन उपभोक्ताओं की संख्या 70 करोड़ से भी अधिक है। भारत के स्मार्ट फोन उपभोक्ता विश्व में फोन पर सबसे अधिक समय खर्च करते हैं। मोबाइल के 4जी तकनीक की सफलता के बाद देश 5जी को अपनाने को तैयार है। इन बदली हुई परिस्थितियों में न्यू मीडिया एक कारगर और सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।

न्यू मीडिया का व्यापक विस्तार शिक्षा के प्रभावी एवं सफल प्रसार को सुनिश्चित कर सकता है। फेसबुक हो या व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम- सभी ने एक ऐसे सूचना जाल का निर्माण किया है जो ज्ञान के फैलाव में कारगर भूमिका निभा सकता है। यूट्यूब ने तो किसी को भी प्रसारक बनने का सपना पूरा करके दिखाया है। अब चाहे खान सर की क्लास हो या सीईसी का यूट्यूब चैनल, सब कुछ आपकी सुविधा और समय के अनुसार उपलब्ध है। यहां मार्शल मैक्लुहान की 'माध्यम हीं संदेश है' का सिध्दांत हमें बताता है कि अब इस माध्यम में सूचना का कोई भी उत्पादक बन सकता है। अब कोई भी शिक्षक, प्रोफेसर या वैज्ञानिक अपने ज्ञान या कौशल को सीधे लोगों तक पहुंचा सकता है और साथ ही उसके फीडबैक के आधार पर उसकी जिज्ञासा या समस्या का समाधान भी कर सकता है। ऐप आधारित शिक्षा अब देश में प्रचलित हो गई है और इसका सबसे

अच्छा उदाहरण बायजू जैसे ऐप हैं, जिसने आभासी क्लास रूम को प्रचलन में ला दिया है। कोरोना काल में इस तरह के ऐप आधारित शिक्षा को और बढ़ावा मिला है। जिस ऑनलाइन क्लास से लोग कभी अवगत नहीं थे, वे अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय इसे अपना चुका है और पठन-पाठन से लेकर मूल्यांकन तक ऑनलाइन किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान इसकी सीमाएं और कमियां भी हमारे सामने उभर कर आयी हैं, जैसे- डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल डिवाइड आदि। यह इस बात को रेखांकित करता है कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था का यह स्थान नहीं ले सकता लेकिन सहयोगी की भूमिका अवश्य निभा सकता है, जैसा अन्य विकसित देशों में हो रहा है। भारत सरकार और उसकी नीतियां इसी दिशा में कार्य कर रही हैं। न्यू मीडिया हमारे देश के हूनरमंद और शिक्षित लोगों के लिए ऐसा अवसर उपलब्ध करा रहा है जिससे वे खुद सफल बनने के साथ-साथ देश को भी विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को कारगर और सफल बनाने में न्यू मीडिया हर तरह से अपनी भूमिका निभा सकती है, चाहे वह सूचना का निर्माण हो, संग्रहण हो, वितरण हो या फिर उसके प्रभाव का अध्ययन। कृत्रिम बुद्धि ने इसे और शक्तिशाली बना दिया है। मशीन आधारित अनुवाद लगातार बेहतर होती जा रही है, जिसका उपयोग भारत की बहुभाषिक समाज को शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए किया जा सकता है। लेकिन सीमित दायरे में ही मशीनी अनुवाद काम कर रहा है।भारतीय बहुभाषिक स्थिति में मशीनी अनुवाद 75 प्रतिशत ही सही हो रहा है। इसके आधार पर देखा जाय तो पूरी तरह यंत्र के साथ काम करने के लिए और थोड़े समय इन्तजार करना जरूरी है। इस पर लगातार अनुसंधान कार्य चल रहा है। समय और दूरी की समस्या को इसने आभासी रूप से समाप्त करने की संभावना है। भाषाई ज्ञान, कम्प्यूटर ज्ञान, व्यावसायिक कौशल और तार्किक क्षमता के विकास में न्यू मीडिया का सहयोग देश को सीमित संसाधनों में भी आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

निष्कर्ष :

देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 हमारी भावी पीढ़ी को न केवल सक्षम और सुदृढ़ बनाएगी बल्कि इससे देश का भी

विकास सुनिश्चत होगा और हमारी परंपरागत मीडिया और न्यू मीडिया इसमें हरेक स्तर पर अपना योगदान सुनिश्चत करेगी। इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और हम सेवा के साथ-साथ उत्पादन के क्षेत्र में भी सक्षम बन पाएंगे। जो हमें विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान सुनिश्चत करने में मददगार होगा।

डॉ. विनय भूषण
सहायक प्रोफेसर
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, रांची
मो. 9407687282

संदर्भ-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) 2020
2. India's National Education Policy 2020: An Overview- Rusen Kumar, Dr. Rana Singh (Notion Press) 2020
3. The Medium is the Massage: The Inventory of Effects- Marshall McLuhan (Gingko Press) 2001
4. Understanding Media: The Extensions of Man- Marshall McLuhan (The MIT Press) 1994
5. Knowledge and Power: The Information Theory of Capitalism and How it is Revolutionizing Our World - George Gilder (Regency Gateway) 2013
6. इंडिया कनेक्टेड: न्यू मीडिया के प्रभावों की समीक्षा- सं.- सुनेत्रा सेन नारायण, शालिनी नारायणन। अनु.- प्रवीण गौतम (सेज पब्लिकेशन्स इंडिया (2018)
7. सोशल मीडिया की सम्भावनाएँ- संचिता सिंह (बुक ट्री पब्लिशिंग हाऊस) 2016

मीडिया उद्योग की मौजूदा स्थिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष चुनौतियाँ

श्रीमती सपना चमड़िया

प्रस्तावना :

यथास्थिति में परिवर्तन शिक्षा की खोज की धूरी होती है। समय काल के साथ परिवर्तन के उद्देश्य सुनिश्चित किए जाते हैं। मसलन 1968 में जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई तो उसे देश की प्रगति और सुरक्षा के नारे के साथ तैयार किया गया था। ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने के बाद भारत में शिक्षा का व्यवस्थित ढांचा खड़ा करने के पहले प्रयास के रुप में 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखा जाता है। यद्यपि इससे पहले 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और उसके बाद 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, लेकिन नीति निर्माताओं ने यह पाया कि नए बनते देश में प्रगति, सुरक्षा के लिए वह विज्ञान अपना प्रभाव बनाए हुए था जो कि पश्चिम के देशों में विकसित हो रहा था। इस यथास्थिति को देखते हुए विज्ञान और स्थानीय सामाजिक- संस्कृति और नैतिक मूल्यों का एक मिश्रित शिक्षा का ढांचा जरूरी लगा। जब 1986 में दूसरी नई शिक्षा नीति तैयार की गई तो 1968 की नीतियों के उद्देश्यों को हासिल करने में पीछे छूट जाने के कारणों का मूल्यांकन किया गया। 1986 की शिक्षा नीति की भूमिका में बताया गया है कि "1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्यक्रम में परिणत नहीं हो सके क्योंकि क्रियान्वयन की पक्की योजना नहीं बनी, न ही दायित्व निर्धारित किए गए और न ही वित्तीय व संगठन संबंधी व्यवस्थाएं हो सकी । नतीजा यह है कि विभिन्न वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने, उसका स्तर सुधारने और विस्तार करने और आर्थिक साधन जुटाने जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए और आज उन कमियों ने एक ब़ड़े अंबार का रुप धारण कर लिया है। इन समस्याओं का हल निकालना वक्त की पहली जरूरत है ।"[1]

1986 की शिक्षा नीति में 1968 की शिक्षा नीति से ज्यादा स्पष्टता दिखाते हुए अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समावेशी बनाने पर जोर दिया गया। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित दस्तावेजों में यह उल्लेख मिलता है कि "

आजादी के बाद के दशकों में हमने (नई शिक्षा नीति को तैयार करने वाले) बड़े पैमाने पर सबके लिए शिक्षा की पहुंच बनाने में व्यस्त रहे हैं और दुर्भाग्य से शिक्षा की गुणवत्ता पर हमने ध्यान नहीं दिया । पिछली दो नीतियों (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं 1986) का कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है । 1986 के अधूरे एजेंडे को उचित रुप में इस नीति (2020 की नई शिक्षा नीति) में शामिल किया गया है।"[2] नये दस्तावेज में यह जोड़ा गया है कि "हालांकि कुछ पहलुओं में तरक्की के बावजूद शिक्षा प्रणाली में आज नीरसता , उबाऊपन और बोरियत बनी हुई है। जिसमें हमारी प्राचीन परंपराओं के बिल्कुल उलट, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमता के लिए विकसित नहीं किया जाता है।"[3]

यह तो मूल्यांकन का एक पक्ष है लेकिन दूसरा पक्ष इसके साथ आधुनिकता और तकनीकी विकास के मद्देनजर और ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है । 2020 की नीति के दस्तावेज के अनुसार - "1986 की नीति इंटरनेट क्रांति के ठीक पहले तैयार की गई थी जो तकनीक की क्षमता को पहचानते हुए पिछले कुछ दशकों के आमूल परिवर्तन का अंदाजा नहीं लगा पाया । तब से हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तकनीक को अपनाने के साथ गवर्नेंस और शिक्षा में योजना और प्रबंधन में इसके उपयोग को लेकर काफी धीमे रहे है जो कि काफी घातक रहा है। "[4]

मीडिया की भूमिका का इतिहास:

संचार व संप्रेषण के लिए माध्यमों की आवश्यकता शिक्षा की खोज की कड़ी का ही हिस्सा है। यथास्थिति में परिवर्तन के लिए शिक्षा के उद्देश्यों के विस्तार और उसकी गति में माध्यम एक महत्वपूर्ण सहायक माना जाता रहा है। रेनेसां/पुनर्जागरण सन् 1453 ई. के आसपास यूरोप में व उससे बाहर एक देश से दूसरे देशों में फैलने लगा लेकिन कल्पना करें कि अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक रेनेसां/पुनर्जागरण की विचारधारा को जन-समुदाय तक फ्रांस की क्रांति के लिए उपलब्ध कराना क्या संभव होता यदि बहुजनों के लिए माध्यमों का विस्तार नहीं होता ? उसने स्वाधीनता , समानता और भाई-चारे के नारे को उस जनसाधारण के समक्ष ला दिया जो कि असमानता और पराधीनता को नियति मानकर बैठी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध से ठीक पहले समानता तथा कल्याणकारी विचारों का भारत में सामान्यत: उसी तरह विस्तार हुआ जैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद सन् 1848 ई. तक यूरोप में उसका विस्तार हुआ था। दरअसल द्वितीय महायुद्ध के बाद यह तस्वीर साफ हो गई

कि यथास्थिति में तेज गति से परिवर्तन के लिए जन संचार के माध्यमों पर निर्भरता आवश्यक है। भारत सरकार में आईसीएस अधिकारी जगदीश चन्द्र माथुर ने 1975 में 'बहुजन-सम्प्रेषण के माध्यम'[5] जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दी में अमेरिका की खोज के उपरान्त 200-300 सालों की अवधि में मानव में नए विचारों और नए क्षितिज का उदय हुआ और वहां बहुजन में नए विचारों के संचार के साधनों की उपलब्धि के कारण मुश्किल से 10-15 वर्ष की अवधि में महान परिवर्तन घटित हुए। गति और विस्तार का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि 1798 ई. में लोहे के प्रेस का आविष्कार हुआ, जिसमें एक लिवर के द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां छापने की सुविधा हो सकी। इस तरह के प्रेस उन्नीसवीं सदी के शुरु में अमेरिका में भी व्यवहृत (इस्तेमाल) होने लगे। उन्नीसवीं सदी के अंत तक बिजली द्वारा संचालित प्रेस का उपयोग होने लगा और 'न्यूयार्क टाइम्स' का 12 पेज का संस्करण एक घण्टे में 96,000 प्रतियों की गति से छपने लगा। माथुर के अनुसार आधुनिक तकनीक आधारित मास मीडिया के महत्व को दुनिया के साथ भारत के लिए इस तरह से स्पष्ट करते हैं। "ये ही इस क्रांति के वाहन हैं। इसीलिए, मैं मानता हूं कि यद्यपि इससे पूर्व मानव-समाज ने बहुत-से हेरफेर देखे हैं, तथापि कभी भी उस पर इतनी तीव्रगति से वातावरण और विचारधारा को परिवर्तित करने वाले साधनों का प्रहार नहीं हुआ। विशेषतः, ये प्रभाव लक्षित हुए पिछड़े अथवा संक्रांतिकालीन समाजों में, जैसे भारतवर्ष में। प्राचीनकाल में भारतवर्ष में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। लेकिन, इससे पहले कभी मास मीडिया या बहुजन-माध्यमों की त्वरित गति और उनके सीमाहीन विस्तार का असर नहीं पड़ा था। इसलिए, हमारी नई पीढ़ी परवर्ती पीढ़ी से इतनी भिन्न है कि यकीन नहीं होता कि दोनों एक ही समाज के अंग हैं।" [6]

आधुनिक शिक्षा और समाज में उसके विस्तार का अंतर्विरोध :

1453 ई. के आसपास रेनेसां/पुनर्जागरण को आधुनिक शिक्षा को समझने के लिए एक आधार के रुप में रखकर आधुनिक शिक्षा और समाज में उसके विस्तार के उद्देश्यों के बीच अंतर्विरोध के प्रश्न पर गौर करें तो आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में पहले यह दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है कि उसने स्वतंत्रता , समानता और भाई-चारे के विचारों की नींव पर जमी परतों को साफ किया। जाहिर है कि समाज का विकास और विस्तार भिन्न-भिन्न स्तरों पर असमानता के आधार पर हुआ

है। इसीलिए, स्वतंत्रता और समानता परिवर्तन के उद्देश्य के रूप में सामने आते हैँ। लेकिन द्वंद यह है कि समानता का यह विचार सबसे पहले उन वर्गों तक ही पहुंचता है जो कि समाज में विभिन्न स्तरों पर संपन्न है लेकिन उन्हें आधुनिक शिक्षा समानता के लिए प्रेरित करती है। जगदीश चन्द माथुर यह रेखांकित करते हैं कि 16 वीं शताब्दी के प्रारंभ में सबसे पहले नवचेतना, शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर में गौरव तथा वैज्ञानिक ढंग से विचार-विश्लेषण और अभिव्यक्ति करने की प्रवृति भारतवर्ष के मध्य और उच्च वर्ग के लोगों में फैली। इस तरह आधुनिक शिक्षा के लिए बनने वाली नीतियाँ और समाज में उसके विस्तार का अंतर्विरोध एक लंबे काल खंड के रूप में उपस्थित होता है।

प्रश्न यह है कि;

1. भारत में आधुनिक शिक्षा के तीव्र गति से विकास और विस्तार के उद्देश्यों के अंतर्विरोध को जन संचार के माध्यम किस हद तक कम करने में सहायक हो सके हैं ?

2. भारत के जन संचार के माध्यम आधुनिक शिक्षा की नीतियों के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होने के बजाय स्वयं अंतर्विरोध के शिकार हो गए है ?

भारत में शिक्षा की मौजूदा स्थिति:

भारत की संसद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए देश के शिक्षा मंत्री ने भारतीय समाज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यवहारिक उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया है " कोई भी बच्चा उसके जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण शिक्षा और आगे बढने के अवसर न खोए। यह (नीति) सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष बल देने का प्रस्ताव करती है। उच्च शिक्षा में विशेष रूप से उच्च शिक्षा के अवसरों, आर्थिक अवसरों, उच्च शिक्षा अध्ययन लागत की जानकारी की कमी ,वित्तीय बाधाओं, प्रवेश प्रक्रियाओं, भौगोलिक और भाषा बाधाओं और उपयुक्त छात्र सहायता तंत्र की कमी को दूर करना, आकांक्षी जिलों में अधिक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा स्थापित करते हुए पहुंच को बढ़ाना, वंचित समूहों/लड़कियों / दिव्यांगों आदि के लिए छात्र वृति /अध्येतावृति का प्रावधान करना है। "[7]

इसके साथ ही देश के शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा की जो तस्वीर प्रस्तुत की है। उसे देखकर उद्देश्यों के सामने खड़ी चुनौती के पहाड़ की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने देश में सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या कुल 624 बताई और उनमें नामांकित छात्रों की संख्या मात्र 6013009 (साठ लाख तेरह हजार नौ मात्र) बताई है। निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या 20141763 (दो करोड़ एक लाख एकतालीस हजार तिरसठ हैं। निजी संस्थानों में सबसे कम संख्या अनुसूचित जन जाति वर्ग के छात्रों की है जो कि मात्र 2727058 (सताईस लाख सताईस हजार अठ्ठावन) है।[8] बिहार में महाविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए योग्य एक लाख नागरिकों पर महज सात महाविद्यालय है। देश भर में 78.6 प्रतिशत महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अंतर्गत हैं । केवल 4 प्रतिशत महाविद्यालय ही ऐसे है जिसमें 3000 (तीन हजार) से ज्यादा छात्र नामांकित है और 16.6 प्रतिशत महाविद्यालय में 100 (एक सौ मात्र) से भी नामांकन हुए है । यह स्थिति 2019-20 के सर्वे (एआईएसएचई) में पाई गई।[9] इस सर्वेक्षण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधार पृष्ठभूमि समझ सकते हैं।

इस तरह शिक्षा के लिए संस्थागत ढांचे के विकास की दिशा व स्थिति , भारतीय समाज के सामाजिक-आर्थिक अंतर्विरोध और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के बीच एक संतुलन कायम करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती केरूप में सामने आती है। यदि ब्रिटिश कालीन भारत के बाद भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास विस्तार का मूल्यांकन करें तो इसके लिए तथ्यात्मक आधार 2019-20 (एआईएसएचई) के सर्वेक्षण के परिणाम मुहैया करा देते हैं।

अंतर्विरोध के प्रश्न :

राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई शिक्षा की नीतियों में 2020 तक के परिवर्तन का घोषित लक्ष्य भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित मूल्यों से बंधा है। यानी संविधान मशाल की तरह समाज का आधुनिकीकरण करने के लिए दिशा सुनिश्चित करने का दस्तावेज हैं। यह बात जितनी शिक्षा संबंधित नीतियों के साथ लागू होती है उतनी ही यह बात जन संचार माध्यमों के विकास और विस्तार के साथ भी लागू होती है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19 (क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और इसी अधिकार के तहत जन संचार माध्यमों के विकास और विस्तार के लिए आधार भूमि तैयार होती है। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि

नवचेतना, शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर में गौरव तथा वैज्ञानिक ढंग से विचार-विश्लेषण और अभिव्यक्ति करने की प्रवृति भारतवर्ष के मध्य और उच्च वर्ग के लोगों में फैली। वैसी ही स्थिति संचार के विकास के संदर्भ में भी देखी गई। प्रो. जे वी विलानिलम अपनी पुस्तक भारत में संचार और जन संचार में उल्लेख करते हैं कि "औधोगिक क्रांति के उत्तरकाल में विश्व के देशों में अन्तर्वैयक्तिक संचार आधार बना। विश्व के विभिन्न देशों के संभ्रांतों के मध्य संपर्क का प्रमुख आधार आर्थिक , तकनीक का आदान प्रदान था। इन देशों में संचार के प्रवाह के लिए उच्च स्तर की तकनीक विकसित की गई थी जिससे निम्न वर्ग को सहज ही संचार के द्वारा संभ्रांत वर्गों के हितों के लिए प्रभावित किया जा सके, ताकि उनकी प्राथमिकताएं जस की तस बनी रहे।"[10]

भारत जैसे देश में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के बाद नया भारत बनाने के लिए मुख्यत: दो तरह की स्थितियां सामने थी। पहली तो भारतीय समाज के बड़े हिस्से को आधुनिक शिक्षा से वंचना के हालात से बाहर निकालना और उन्हें शिक्षित करना था जो कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़ेपन के शिकार थे। दूसरा इस संवैधानिक जिम्मेदारी को तेज गति से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण सहायक के तौर पर जन संचार का ढांचा विकसित करना। सरकार ने इस ढांचे को आकाशवाणी के रूप में विकसित किया जिसका नारा बना - **बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।**[11] 1927 में दो निजी कंपनियों द्वारा बम्वई और कलकता में रेडियों के जरिये प्रसारण सेवा के साथ भारत में प्रसारण की शुरुआत मानी जाती है। इसे 1957 से आकाशवाणी के रुप में एक मात्र राष्ट्रीय लोक प्रसारक के रुप में जाना जाता है। लेकिन आकाशवाणी के अलावा समाचार पत्रों के बड़े हिस्से पर नियंत्रण तरह तरह के आधुनिक उद्योगों को संचालित करने वाली निजी कंपनियों का रहा है। 25 फरवरी 1964 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष पी. सी. महालनोबिस के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जिसने अपने अध्धयन में उद्योगों व समाचार पत्रों के संबंधों को भी शामिल किया। आयोग की 221 पृष्ठों की इस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 51 से 53 में मीडिया और उद्योगपतियों के हितों के रिश्तों के बारे में यह बताया गया है कि "आर्थिक सत्ता न सिर्फ उत्पादन, निवेश, खरीद-बिक्री और मूल्यों पर नियंत्रण, बल्कि जनसंचार के तमाम माध्यमों के मार्फत भी काम करती है। जन संचार के माध्यमों में भी अखबार सबसे महत्वपूर्ण है और सामुदायिक (उद्योगपतियों

के) हितों को साधने के लिए ये ताकतवर माध्यम साबित होते हैं। इसीलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इस देश में अखबारों के कारोबार और बड़े उद्योगों के बीच एक गहरा अंतर्संबंध है।"[12]

निसंदेह जन संचार का सामाजिक -आर्थिक परिवर्तन के साथ विकास का गहरा संबंध हैं। भारत जैसे देशों में जन संचार माध्यमों की भूमिका को भारत में हरित क्रांति के दौर में देखा गया है। लेकिन इनमें खासतौर से लोक प्रसारक रेडियो की भूमिका रही है क्योंकि भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादक व श्रमिक आधुनिक शिक्षण संस्थानों से वंचित रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान की कमी को दूर करने के लिए *अधिक अन्न उपजाओं आंदोलन* चलाया गया था और उस समय से रेडियो के ग्रामीण कार्यक्रमों में कृषि कार्यक्रमों को स्थान दिए जाने की शुरुआत हुई थी।[13]

तकनीक के तेजी से विकास के साथ जन संचार का महत्व इस रूप में बढ़ा है कि आधुनिक जीवन की इसके बिना कल्पना भी संभव नहीं लगती है। लेकिन जन संचार के पूरे ढांचे का विकास और विस्तार एक तरफ है तो दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा से भारतीय समाज को समृद्ध करने की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जन संचार एक उद्योग के रुप में तेजी से विकसित हुआ है और इसके अपने विकास और विस्तार के पैमाने निर्धारित किए जाते हैं। एक तरह से संवैधानिक अधिकारों का अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने की प्रवृति का मध्य वर्ग व संपन्न वर्गों में तेजी से विकास हुआ है। जिस तरह से किसी भी वस्तु के विनिर्माण के लिए यह निश्चित होता है कि उसका कौन उपभोक्ता है। इसी तरह जन संचार को उद्योग के रूप में विकसित करने के उद्देश्य में उसके उपभोक्ताओं की आर्थिक व सामाजिक,सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि जन संचार नागरिकों के लिए नहीं वरन अपने पाठक, श्रोता व दर्शक उपभोक्ताओं के लिए विकसित और विस्तारित हुए हैं। लोक प्रसारकों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। आकाशवाणी ने पहली बार 1 नवंबर 1967 को व्यवसायी विज्ञापन देना शुरु किया था और आज उसकी पहुंच देश के 99 प्रतिशत लोगों तक हैं। लेकिन दसवीं पंचवर्षीय परियोजना तक देश की आबादी के 60 प्रतिशत हिस्से तक एफ एम चैनल को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और देश भर में 381 एफ एम चैनल महज 35 निजी कंपनियों के नियंत्रण में है।[14] 144893 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भारत में समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय(आरएनआई) में पंजीकृत है और 926 अनुमति प्राप्त उपग्रह टेलीविजन चैनल है। दूरदर्शन चैनल

केवल 36 हैं जिनमें मात्र दो समाचार और 34 गैर समाचार चैनल है। इंटरनेट वेबसाईटों की संख्या का तो भारत सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जैसाकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति के समक्ष स्वीकार किया है।[15] भारतीय उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने यह अनुमान लगाया है कि देश में मीडिया का कारोबार 2021 में 1,73 खरब रुपये तक पहुंच सकता है।[16] इसके 2030 तक बढ़कर 100 अरब अमेरिकी डालर पर पहुंचने का अनुमान है।[17]

इस तरह मीडिया उद्योग तेजी से बढ़ने वाला एक क्षेत्र है और उसका अधिकतर हिस्सा निजी क्षेत्रों के हाथों में हैं।[18] उनके विकास और विस्तार के अपने पैमाने हैं जिन्हें हम रीडरशिप , टीआरपी के रूप में जानते हैं। सोशल मीडिया अंतर व्यैक्तिक सीमित स्तर पर सामुदायिक संचार के माध्यम के रूप में सामने आया है लेकिन इस क्षेत्र को भी उद्योग के रूप में विकसित करने की प्रवृति स्पष्ट है। दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा से समाज में विभिन्न स्तरों पर वंचित हिस्से के बीच शिक्षा नीतियों के उद्देश्यों को पूरा करने की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यदि हम भारत में प्रथम एवं द्वितीय प्रेस आयोग के अध्ययनों व अनुशंसाओं पर गौर करें तो भारत में शिक्षा के विकास और विस्तार में जन संचार माध्यमों के महत्व को स्वीकार किया गया है लेकिन मीडिया के केवल लाभ प्राप्त करने वाले उद्योग के रूप में इसके विस्तार की आलोचना की है। दुनिया के स्तर पर भी मैकब्राइट कमीशन ने विभिन्न स्तरों पर वंचित रहने वाले समूहों के विकास के जन संचार के समस्त ढांचे पर विचार करने के कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे । इस तरह मीडिया उद्योग की मौजूदा स्थिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बीच का अंतर्विरोध कम करने की बड़ी चुनौती बनी हुई है ।

संदर्भ :

1. नई शिक्षा नीति 1986, भारत सरकार
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार
3. वही
4.वही
5. बहुजन-सम्प्रेषण के माध्यम,जगदीश चन्द्र माथुर, आईसीएस अधिकारी , प्रकाशन - बिहार राष्ट्रभाषा परिषद , 1975
6. वही
7.लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3597 दिनांक 20 दिसंबर 2021

8. वही
9. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा का सर्वेक्षण रिपोर्ट (एआईएसएचई) 2020
10. भारत में संचार और जन संचार, प्रो. जे वी विलानिलम, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
11. आकाशवाणी बेवसाईट (https://mib.gov.in/hi)
12. भारत में राष्ट्रीय आमदनी और उसके वितरण के अध्ययन के लिए 25 फरवरी 1964 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष पी. सी. महालनोबिस के नेतृत्व में गठित समिति की रिपोर्ट
13.कृषि पत्रकारिता का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष , राम कृष्ण पाराशर, नकुल पाराशर , हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय , दिल्ली विश्वविद्यालय
14. रेडियो प्रसारण का निजीकरण , जन मीडिया 115, मासिक शोध पत्रिका, नई दिल्ली
15. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी भारत की संसद की स्थायी समिति का सताईसवां प्रतिवेदन, 1 दिसंबर 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत
16. बिजनेस स्टैंडर्ड , 7 जुलाई 2020, फिक्की की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित समाचार
17. फिक्की की प्रेस विज्ञप्ति (https://ficci.in/pressrelease-page.asp?nid=4137)
18. भारत में प्रेस , जी एस भार्गव , राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) 2009

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं मीडिया साक्षरता

सुधीर के रिन्टन
प्रो. (डॉ) फकीर मोहन नाहाक

किसी भी समाज में शिक्षा, संचार और सूचना प्रवाह का अध्ययन कर उसकी वस्तुस्थिति का आंकलन किया जा सकता है. भारतीय समाज विश्वास और व्यवहार के मजबूत स्तंभों पर खड़ा एक ऐसा तंत्र रहा है जिसकी मुख्यधारा में 'ज्ञान', 'दर्शन' और 'विज्ञान' तीनों का समन्वय रहा है. इनका संचार क्रम सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों व उनकी स्वीकार्यता के अनुरूप स्थापित किया गया था. तेजी से बदलते सामाजिक संदर्भों और मूल्यों के इस दौर में शिक्षा, शिक्षण और शिक्षण माध्यमों का न सिर्फ स्वरुप बदला है बल्कि तकनीकी और सूचना विस्फोट ने सूचनाओं को परिमार्जित, परिस्कृत और वर्गीकृत कर 'ज्ञान' में समाहित करने की नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है. जिनके प्रभाव स्वरुप बहुविषयक अधिगम समीचीन आवश्यकता बन चुके हैं. इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में 'समस्या-समाधान' तार्किक एवं रचनात्मक सोच पर बल दिया गया है.[1] विभिन्न शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि डिजिटल दौर में विद्यार्थियों की सोच पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है और शिक्षा में मिडिया साक्षरता सामाजिक सरोकारों की तार्किक समझ विकसित करने के प्रभावी कारक होते हैं.[2]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि समकालीन वैश्विक परिस्थितियों में जो कुछ भी उन्हें सिखाया जाय विद्यार्थी उसे तो सीखें ही साथ ही साथ उनके अन्दर सतत सीखने की भावना को भी विकसित किया जाए. समस्या–समाधान की प्रवृत्ति, रचनात्मक सोच और तार्किकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वो तीन मूल स्तंभ हैं जो शिक्षा की मूल भावना के अधिगम हैं.(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, n.d.) ऐसी शिक्षा व्यक्ति को संयत बनाती है. इसी संयत व्यक्तिव से शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है. भारतीय ज्ञान परंपरा में भी इस संदर्भ में कहा गया है कि

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः।
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः।।6.36।। [4]

अर्थात्, जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्मसाक्षात्कार कठिन कार्य है. परन्तु, जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव तारे की तरह अटल है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता के साथ-साथ रोजगार के लिए सक्षम बनाने पर बल प्रदान करती है. स्लोवाक गणराज्य के प्रोफेसर स्लोव्मीर गालिक लिखते हैं कि सूचनाएँ शिक्षा का आधार होती हैं[5] जिन्हें सिर्फ एक पदार्थ की तरह न लेकर उन्हें वैज्ञानिक स्मृति की एक इकाई की तरह लिया जाना चाहिए जो ज्ञान, नैतिक मूल्यों और रचनात्मकता का निर्माण करती हैं[5]. सूचना एवं सूचना-प्रवाह के आधुनिक स्वरूपों और तकनीकों से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में उद्धृत शिक्षा के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है. सूचना एवं सूचना-प्रवाह को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक तकनीकी एवं भाषा होते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहाँ एक ओर शिक्षार्थियों में तकनीकी दक्षता पर जोर देती है तो दूसरी तरफ भाषा के चयन पर भी काफी स्पष्ट है. बेहतर संचार के लिए स्वीकार्य सहज भाषा के प्रयोग को लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्वदा एक स्पष्ट मत रहा है. सूचना प्रवाह के प्रथम भारतीय ग्रंथों के रूप में वेदों के रचनाकाल पर मतैक्य हो न हो, लेकिन यह सर्वमान्य सत्य अवश्य है कि वेदों का पांडुलिपिकरण उनके प्रादुर्भाव के बहुत बाद ही किया जा सका होगा. अर्थात, वेद प्रारंभिक रूप में मौखिक परंपरा (श्रुति और स्मृति) के द्वारा ही आम जनमानस के बीच पहुंचते रहे होंगे. गुरुकुल पद्धति में ज्ञान का यह मौखिक संचारक्रम विभिन्न देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप स्थानीय बोलियों और भाषाओं की शब्दावली, वर्णविन्यास और लोकोत्तियों के समुच्चय से संचालित और नियंत्रित रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्थानिक भाषाओं को महत्त्व दिए जाने के मूल में संचार के लिए मातृभाषा के इन्हीं गुणों की स्वीकार्यता है. ये गुण ही संचार की सफलता के सूत्र भी हैं. यह सही है कि संचार क्रम की सफलता का आंकलन उसकी प्रभावशीलता और स्पष्ट संचारक्रम से ही किया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी अकाट्य सत्य है कि सफलतम संचार मातृभाषा में होने वाले संचार होते हैं, जिन्हें भाषा-व्याकरण की दुरूह जटिलताओं से न गुजारा गया हो, बल्कि श्रुति और स्मृति की प्रक्रिया में स्वतः समाविष्ट हुए हों. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने

भी मातृभाषा में शिक्षा को माँ के दूध की तरह बताया है, साथ ही उन्होंने सोचने की शक्ति और कल्पनाशीलता के विकास पर भी जोर दिया है[6]].

मानव मूल्यों की मुख्य प्रवृत्तियां जो शिक्षा और ज्ञान के प्रमुख आधार हैं और आधुनिक वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्यों की ओर लेकर आगे बढ़ती हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के ये तत्व ही सहअस्तित्व की समझ, समावेशी शिक्षा और सामाजिक मूल्यों व भारतीय परंपरा को समाहित रखते हुए आकंक्षात्मक लक्ष्य की ओर लेकर जाएंगी. श्रीमद्भागवत गीता के सोलहवें अध्याय में इन मानवीय गुणों[4] को लेकर कहा गया है कि

अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्।।16.1।।

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्।।16.2।।

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।।16.3।।

तात्पर्य यह कि निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध-विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ-विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, इर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति इत्यादि दिव्य गुण हैं. जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं. इन सभी गुणों को विकसित करना शिक्षा प्रणाली का उत्तरदायित्व होता है. अद्यतन वातावरण में सीखना-सिखाना सिर्फ कक्षाओं में ही नहीं होता है. सूचना तकनीकी के बढ़ते प्रभाव और शिक्षार्थियों को उपलब्ध सूचना-समुद्र में से ग्राह्य, आवश्यक और प्रभावी सूचना की समझ विकसित करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए. इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में 'द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा), डिजिटल पुस्तकालय, पियर टयूटरिंग जैसी अवधारणा को स्थान दिया गया है. साथ ही यह

प्रावधान है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्ष ण परिषद् अधिगम प्रक्रिया में उक्त गुणों को विकसित करने की क्षमता को शामिल करे

मीडिया साक्षरता शिक्षार्थियों में न सिर्फ मानवीय मूल्यों को विकसित करने में सक्षम होगी.[7]] बल्कि उन्हें सूचना-संजाल से सटीक और आवश्यक सूचनाओं के चयन करने में सहायक सिद्ध होगी[8]]. मीडिया साक्षरता का उद्देश्य सिर्फ मीडिया की शिक्षा देना नहीं होता है, बल्कि यह व्यावहारिक, सांस्कृतिक, तार्किकता के साथ-साथ विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के अंतर्कथन के साथ समझने और रचनात्मकता के साथ व्यवहार में लाने की क्षमता विकसित करता है जो शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है[9]. बी. इ पिन्कटन, इ डब्लू ऑस्टिन, वाई चेन और एम कोहेन ने 'इंटरप्रेटेशन प्रोसेस मॉडल' का उपयोग करते हुए किशोरों पर किये एक अध्ययन में पाया कि वो सभी किशोरवय के प्रतिभागी जिन्हें मीडिया साक्षरता प्रदान की गयी थी वे भ्रामक तथ्यों और 'पियर प्रेशर' दोनों को बेहतर तरीके से समझ सकते थे.[10]] सामान्यतया ये पाया गया है कि इन्टरनेट की उपलब्धता से उत्पन्न सूचना-विस्फोट ने शिक्षार्थियों को अन्यान्य सूचनाओं से ढँक रखा है, ऐसे में सही-गलत के चयन की समझ, तथ्यों को परखने का कौशल, एजेंडा आधारित सूचना प्रवाह से खुद को अप्रभावित रख सकने की समझ का विकास करना अति आवश्यक है. इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास मीडिया साक्षरता के द्वारा संभव है[11]. जॉन पेजेंते कनाडा के सन्दर्भ में, मीडिया साक्षरता के प्रमुख बिन्दुओं में लिखते हैं कि मीडिया साक्षरता किसी भी प्रकार के भ्रामक संचार के क्रम को तोड़ता है और तथ्यपरकता को दृढ़ करता है. इससे हमें सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक सन्दर्भ में संसाधनों का मूल्यांकन करना सरल हो जाता है.[12]] ईरान के शिराज प्रान्त में किये गए एक अध्ययन में भी यह पाया गया कि मीडिया साक्षरता किशोरों के व्यवहार और समझ को विकसित करने के लिए आवश्यक है.[13]] यही कारण है कि विश्व के प्रत्येक भाग में मीडिया साक्षरता अन्यान्य स्वरूपों में पाठ्यक्रमों एवं अधिगम प्रणाली का हिस्सा बन रही है. मार्निंग कंसल्ट और पोलिटिको द्वारा अमरीकी राज्य फ्लोरिडा में किये गए हालिया सर्वे (4-6 दिसंबर – 2021) में 70 प्रतिशत से अधिक लोगों ने स्कूलों में सोशल मीडिया साक्षरता को स्कूल पाठ्यक्रमों में जोड़े जाने को अच्छा कदम बताया है.[14]].यूनेस्को द्वारा भी इस दिशा में काफी

प्रयास किये जा रहे हैं I यूनेस्को ने मीडिया एवं सूचना साक्षरता के लिए 'ग्लोबल एलायंस फॉर पार्टनरशिप्स ऑन मीडिया एंड इंफार्मेशन लिटरेसी' एवं 'इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नेटवर्क ऑन मीडिया एंड इंफार्मेशन लिटरेसी एंड इंटर-कल्चरल डायलाग' जैसे संगठनों का गठन किया है. जिनका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में मीडिया साक्षरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं यथा पाठ्यक्रम निर्माण, अधिगम प्रणाली का विकास एवं मीडिया साक्षरता से जुड़े अन्य कार्यक्रमों का क्षमता-निर्माण करना है.[15]]

भारतीय परिवेश में सीखने-सिखाने की सम्पूर्ण अवधारणा शिक्षा प्रणाली एवं सामाजिक वातावरण (पीयर-लर्निंग) के समुच्चय से नियंत्रित होती है. इस क्रम में शिक्षार्थी केवल अधिगम प्रणाली से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है बल्कि उसका वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है. सामाजिक सन्दर्भों में लोक माध्यमों एवं लोक-सन्दर्भों के महत्त्व को नाकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मीडिया के बढ़ते प्रभावों और शिक्षार्थियों में मिडिया (जन-माध्यमों) के नव-प्रयोगों और उनके तकनीकी आवश्यकताओं की वजह से समाज का एक बड़ा वर्ग उसके प्रयोगों और प्रभावों को लेकर सशंकित और असमर्थ है. स्वभावतः, अधिगम प्रणाली की भूमिका बढ़ जाती है जिससे शिक्षार्थी को नवप्रयोगों और उसके प्रभाव से परिचित कराया जा सके, जो उनकी तार्किक क्षमता एवं समझ में विकास कर उन्हें अद्यतन मीडिया वातावरण के लिए तैयार करे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार के वातावरण निर्माण के लिए एक सुअवसर प्रदान करती है, जिसके माध्यम से मीडिया साक्षरता अधिगम प्रणाली का हिस्सा बन सके. यह भी सत्य है कि मिडिया साक्षरता से शिक्षार्थियों में उन गुणों का विकास किया जा सकता है जिसकी आकांक्षा इस शिक्षा नीति में की गयी है।

श्री.सुधीर के. रिन्टन
महराजा अग्रसेन महाविद्यालय . दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
sudhirkrinten@mac.du.ac.in
प्रो. (डॉ) फ़कीर मोहन नाहाक
विभागाध्यक्ष
यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ़ मीडिया स्टडीज, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी

संदर्भ सूची :

[1] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इको. पोलिटिकल वीकली., वॉल्यूम 55 नंबर 31

[2] जी. गिरार्डेलो, एम. फैंटिन, और आर.एस. परेरा, "चिल्ड्रन एंड मीडिया: थ्री कंटेम्पररी पोलिमिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस,"

[Crianças e mídias: Três polêmicas e desafios contemporâneos],” Cad. CEDES, vol. 41, no. 113, pp. 33–43, 2021, doi: 10.1590/cc231532.

[3] “राष्ट्रीय शिक्षा नीशि 2020.”

[4] पी.एस. ब्रेसनन, भगवद गीता . 2018.

[5] एस. गालिक, "इन्फ्ल्युएंस ऑफ़ साइबर स्पेस ऑन चेंजेज इन कंटेम्पररी एजुकेशन," कम्युनिकेशन टुडे, व -8 अंक-1, 2017 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85023174709&partnerID=40&md5=dc659787f3111e55ee3c37b6147a70e9.

[6] राजपूत. जगमोहन सिंह, “रविन्द्रनाथ का शिक्षा दर्शन,” जनसत्ता, 2019. https://www.jansatta.com/sunday-column/jansatta-sunday-special-editorial-column-on-education-by-jagmohan-singh-rajpoot/908165/.

[7] एन. व्राबेक, पी. पोलिवकोवा, और एम. मोरावसिकोवा,"द रोल ऑफ़ मीडिया लिटरेसी डेवलपमेंट ऐज अ पार्ट ऑफ़ रिलीजियस एजुकेशन कर्रिकुलम,"यूरोपियन जर्नल ऑफ़ साइंस एंड थियोलोजी.,व 9,अंक 5, 2013.

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84886425406&partnerID=40&md5=c73df6504bf22c3253ae772a4ded201a.

[8] बी. एस. डी अब्रू, पी. मिहैलीडिस, ए. वाई. एल. ली, जे. मेल्की, और जे. मैकडॉगल, इंटरनेशनल हैन्डबुक ऑफ़ मीडिया लिटरेसी एजुकेशन. टेलर एंड फ्रांसिस,2017.

[9] एन बी किर्रिलोवा, "मास मीडिया एजुकेशन ऐज द फैक्टर ऑफ़ टीचिंग मास मीडिया कल्चर ऑफ़ इंडिविजुअल," मिडिल ईस्ट जर्नल ऑफ़ साइं. रिस., व- 17, अंक- 7, 908–913, 2013, 10.5829/idosi.mejsr.2013.17.07.12266.

[10] बी. ई. पिंकलेटन, ई. डब्ल्यू. ऑस्टिन, एम. कोहेन, वाई.-सी. चेन, और ई. फिट्जगेराल्ड, "इफेक्ट ऑफ़ ए पियर लेड मीडिया लिटरेसी कर्रिकुलम ऑन एडोल्सेंट्स, नॉलेज एंड एटीत्युद टुवर्ड्स सेक्सुअल बिहेवियर एंड मीडिया पोर्टरयेयल ऑफ़ सेक्स," हेल्थ कम्युनिकेशन.,व- 23 नं- 5 : 10.1080/10410230802342135.

[11] एल. सेकरासिह, के. वॉल्श मैकडरमोट, डी. ओ'मैली, सी. ओल्सन, और ई. शारेर, " टू गाइड ऑर टू बी द सेज: चिल्ड्रेन्स रेस्पांस टू वैरेंइंग फैसिलिटेटर प्रोम्प्ट्स फालोइंग अ मीडिया लिटरेसी एजुकेशन कर्रिकुलम इन द यूनाइटेड स्टेट्स," जे. चिल्ड्. मीडिय, व. 10, अंक 3, 2016 : 10.1080/17482798.2016.1157503.

[12] जे जे पेंजेंते, " द सेकंड स्प्रिंग : मीडिया एजुकेशन इन कनाडाज सेकेंडरी स्कूल्स," इ एम आई, एडू. मीडिया इनटरनेश्नल., व. 26, अंक- 4, 199–203, 1989,: 10.1080/0952398890260404.

[13] एन. गेराई, एम. एच. कावेह, डी. शोजाईज़ादेह, और एच. आर. तबताबाई, "इम्पैक्ट ऑफ़ मीडिया लिटरेसी एजुकेशन ओं नॉलेज एंड बिहेवियर इंटेंशन ऑफ़ एडोल्सेंट्स इन डीलिंग विथ मीडिया मेसेज अकार्डिंग तो स्टेजेज ऑफ़ चेंज., "जे. एडवा. मीडि. एजु. प्रोफे. व -3 अंक-1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25587549%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4291508.

[14] "नेशनल ट्रेकिंग पोल #2112027 दिसंबर 04-06, 2021," 2021.

[15] डी. चु., "ए पेडागोजी ऑफ़ इन्क्वायरी: टुवर्ड्स स्टूडेंट सेंटरड मीडिया एजुकेशन," न्यू होरिजन्स एजुकेशन., व. 58, अंक 3, 2010, : https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79952804939&partnerID=40&md5=69e479516d50f5e3c93e070c39e0e19a.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 को सशक्त आधार प्रदान करता चौथा स्तंभ

डॉ. अमिता

शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत का सदैव उच्च स्थान रहा है। भारत को 'विश्वगुरु' के रूप में मिली पहचान एक कालजयी गौरव के रूप में इतिहास में विद्यमान है। भारत वह देश है जो चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे मनीषियों की जन्म और कर्मभूमि रही। इनके कारण इस देश की विश्वगुरु के रूप में कालजयी पहचान स्थापित हुई। इस कालजयी इतिहास को वास्तविकता में चरितार्थ करने में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की अभूतपूर्व भूमिका रही है। ऐसे विश्वविद्यालयों से निकलने वाले बुद्धिजीवियों की मेधा से भयभीत विदेशी आक्रमणकारियों ने इन विद्या-केन्द्रों को तहस-नहस कर डाला। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो वहां की वैचारिकी को खत्म कर दो और विचार पैदा करने वाले केन्द्र समाप्त होते ही देश की नींव स्वतः ध्वस्त हो जायेगी। उस दौर में जब शिक्षा को संचालित करने के लिए कोई नियामक अंग नहीं बनाये जाते थे तब भी जिस तरीके का अनुशासन, नियम और शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच के आचरण का पालन किया जाता था, वह अनुकरणीय है।

समय, परिस्थिति और मांग के अनुसार शिक्षा नीति और पद्धति दोनों में बदलाव भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्राचीन शिक्षा पद्धति के रूप में गुरुकुल शिक्षा एक प्रभावी पद्धति के तौर पर प्रचलित रही। ज्ञात हो कि 1850 तक भारत में शिक्षा के लिए गुरुकुल प्रथा ही प्रचलित थी, परन्तु मैकाले द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के संक्रमण के कारण भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अंत हुआ और भारत में गुरुकुल के स्थान पर कान्वेंट और पब्लिक स्कूल खोलेगये। स्वाधीन भारत में सरकार की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनकर आयी। समय में हुए बदलाव के मद्देनजर 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनी, जिसे 1992 में संशोधित भी किया गया। इसके बाद लंबे समय तक शिक्षा नीति में किसी तरह के बदलाव की कोई जरूरत नहीं समझी गयी क्योंकि इस देश में शिक्षा को आज तक वह प्राथमिकता तथा महत्व ही नहीं मिल पाया, जो मिलना चाहिए। किंतु 29 जुलाई 2020 को जब पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर आयी, तो लोगों के मन में शिक्षा को लेकर फिर से एक नई सोच और उम्मीद पनपने लगी। बदलाव की नीतियों के साथ शिक्षा को एक नये सिरे से समाज में पेश करने की कोशिश की गयी।

शिक्षा से समाज को जोड़ने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मीडिया का ही प्रभाव है कि बच्चों तक सीमित रहने वाली शिक्षा प्रौढ़ों तक भी पहुंचने लगी। बचपन के वे दिन मुझे आज भी याद है, जब दूरदर्शन पर शिक्षा केंद्रित विज्ञापन आता था, जिसके बोल थे- ''कहे समय का इकतारा, अक्षर-अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहे समय का इकतारा'' और अंत में लाईन दीखती थी- 'एक कदम शिक्षा की ओर।' एक अन्य विज्ञापन के बोल थे- 'पढ़ना-लिखना सीखो, ऐ मेहनत करने वालों। क, ख, ग, घ को पहचानो .....।' ऐसे विज्ञापन इतने प्रभावी थेकि अनपढ़ के मन में भी शिक्षा की अलख जगा देते थे। प्रभाव यह हुआ कि जो बच्चे स्कूल जाने और पढ़ने से भागते थे वे भी स्कूल जाने की इच्छा व्यक्त करने लगे थे। आलम यह था कि प्रौढ़ लोग भी शिक्षा से जुड़ने लगे। इस विकास क्रम में मीडिया अथवा मीडिया उद्योगों की प्रभावी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। मीडिया उद्योगों ने शिक्षा के महत्व को जिस प्रकार से रेखांकित कर प्रस्तुत किया, वह सार्थक रहा। मीडिया को देश के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। इस चौथे स्तंभ की आमजन पर पकड़ तभी मजबूत बनी रह सकती है, जब देश में शिक्षा का सही तरीके से प्रचार-प्रसार हो और लोग शिक्षित बन सकें क्योंकि शिक्षा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सबसे अहम भूमिका निभा सकती है।

कोरोना काल में जब शिक्षा पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, तब मीडिया के माध्यम से ही हम शिक्षण कार्यों से जुड़े रहने में सफल हो सके। यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनकर हमारे सामने आयी तो इसके बारे में मीडिया उद्योगों ने अपने विभिन्न माध्यमों से लगातार चर्चा का सिलसिला शुरू किया था। ऐसा पहली बार हुआ था, जब शिक्षा नीति पर इस तरीके से बहस हो रही थी। लाखों लोग इस चर्चा का हिस्सा बने। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं से लोगों को अवगत कराने का काम मीडिया अथवा मीडिया उद्योग द्वारा ही किया गया था। नई शिक्षा नीति क्या है? इसे लोगों को समझाने में मीडिया की ही सबसे अहम भूमिका रही। शिक्षा नीति-2020 के मसौदे के सारांश को विभिन्न भाषाओं में ऑडियो बुक के रूप में लोगों तक मीडिया उद्योगों द्वारा पहुंचाने का कार्य भी किया गया। देश के लगभग सभी प्रमुख निजी और सरकारी समाचार चैनलों पर श्रृंखला प्रसारित कर लोगों को इससे लगातार जोड़ने की कोशिश की गयी, जो मीडिया उद्योग की सराहनीय भूमिका रही।

आज मीडिया जनमत निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। वर्तमान समय में जनता द्वारा मीडिया का बहुत ही सबसे अधिक अनुसरण किया जाता है। लोगों का जीवन

मीडिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मीडिया की भूमिका नयी शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। नई शिक्षा नीति को लेकर जनमत प्रायः एकमत रूप में सामने आया है। सिद्धान्तों के अनुसार मीडिया के माध्यम से आम सहमति का वातावरण बनाया जा सकता है। त्रिभाषा सूत्र की ही बात करें तो पहले यह भी विवाद का एक प्रमुख कारण रहा। ऐसा माना जा रहा है कि त्रिभाषा सूत्र गरीबों अथवा निम्न वर्ग के लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होगा क्योंकि जो अमीर हैं, वे तो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित करेंगे और बड़े-बड़े प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाएंगे, जिसके कारण उनका शैक्षणिक स्तर भी उन्नत होगा। समाज में अंग्रेजी उच्चता का मानक बन चुकी है। वहीं मातृभाषा, क्षेय भाषा और हिंदी में पढ़ने-बोलने वाले विद्यार्थियों का स्तर समाज में निम्न आंका जाता है, परन्तु यह पूरी तौर पर सत्य नहीं है। केवल भाषा कभी ज्ञान का पैमाना नहीं हो सकती है और इस भ्रम को दूर करने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। मीडिया उद्योग विभिन्न माध्यमों से लोगों को यह विश्वास दिला सकेगा कि अपनी भाषा में जल्दी और आसानी से किसी भी ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग कितने कामयाब और ज्ञानी होते हैं, इसे सोदाहरण प्रस्तुत कर लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए आश्वस्त कराया जा सकता है। दुनिया में इस समय 7000 मातृभाषाएं या स्वभाषाएं या बोलियां हैं। इनमें कई की कोई लिपि नहीं है, व्याकरण नहीं है, पुस्तकें नहीं हैं, अखबार नहीं हैं लेकिन फिर भी वे जीवित हैं और प्रचलित हैं। भारत में फिलहाल मातृभाषा में अध्ययन सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। शिक्षकों को भी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने में मुश्किलें आ सकती हैं। किंतु मीडिया उद्योग के सहयोग से इस समस्या का समाधान भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मीडिया के माध्यम से अनुवाद प्रस्तुत कर लोगों तक शिक्षण सामग्री पहुंचाई जा सकती है। अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि किसी भी भाषा में उपलब्ध शिक्षण सामग्री को तकनीक का प्रयोग कर संप्रेषित करते हुए सहज-सरल तौर पर विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा कराया जा सकता है। इन तकनीकों से शिक्षक-विद्यार्थी दोनों लाभान्वित हो सकेंगे और अध्ययन-अध्यापन को सुचारु रूप से संचालित कर पाना संभव हो सकेगा।

यह शिक्षा नीति 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा पर आधारित है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के साथ-साथ वंचित वर्गों और उनसे जुड़े स्थानों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के गठन की भी उम्मीद जगाती है। साथ ही शैक्षिक ज्ञान और प्रशिक्षण से मिलने वालेआर्थिक उपार्जन पर भी भी ध्यान केंद्रित करती है। शिक्षा नीति का यह उद्देश्य भी

मीडिया की सहायता के बिना संभव होना कठिन प्रतीत होता है। मीडिया एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाकर लक्ष्य प्राप्तकर्ता (टारगेट रिसीवर) तक शिक्षा को उचित तरीके से पहुँचाया जा सकता है। मीडिया की पहुँच का ही प्रभाव है कि लोग पर्वत-पहाड़, जंगल अथवा अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसकी कुछ समय पूर्व में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सीखने की अक्षमता या कम क्षमता वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समान पहुँच और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के प्रयास भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, जिसमें जनभागीदारी बढ़ाने के लिए मीडिया उद्योग लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ समुचित अवसर भी उपलब्ध करा सकता है। अंग्रेजी दैनिक 'द इकोनोमिक टाईम्स' के अंक - 20 अगस्त 2020 में एनसीईआरटी का एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। इस सर्वेक्षण में नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय और सीबीएसई स्कूलों से जुड़े 34000 विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और प्राचार्यों को शामिल किया गया था। इस सर्वे के अनुसार 27 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे उपकरण उपलब्ध ही नहीं थे। वहीं 28 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास बिजली की उपलब्धता की दिक्कत थी। इसके अलावा तकनीक की अज्ञानता को भी शिक्षा प्रयासों के प्रभावी न होने तथा शिक्षा से दूर रहने का एक प्रमुख कारण बताया गया। इस तरह देश का बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित रहा। किंतु मीडिया उद्योग चाहे तो ऐसा होने से रोक सकता है। मीडिया लोगों तक शिक्षा भी पहुँचा सकता है और उन्हें तकनीकी ज्ञान से अवगत भी करा सकता है। रेडियो के माध्यम से ही निरक्षर और दूर-दराज के क्षेत्रों तक मीडिया उद्योगों ने विभिन्न जानकारियों, सरकारी योजनाओं आदि को जिस तरीके से पहुँचाने का कार्य किया है, वह स्मरणीय है। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी मीडिया उद्योग द्वारा पहल की जा सकती है।

इस शिक्षा नीति में 'जेंडर गैप' को कम करने की दिशा में भी सराहनीय पहल की गई है। संकल्प है कि देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' की स्थापना की जाएगी। यह भी अपने-आप में एक अनूठी पहल है। इसके लिए भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से हम लोगों की इस अवधारणा को परिवर्तित या समाप्त करने में सफल हो सकते हैं कि लड़कियां, लड़कों से कमजोर होती हैं अथवा इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है या इन्हें पुरूषों से बराबरी का अधिकार नहीं है। आज भी भारत में जेंडर गैप का आंकड़ा चौंकाने वाला है। मुट्ठी भर लड़कियां ही

आत्मनिर्भर बन पाती हैं या नौकरी कर पाती हैं। बाकी लड़कियां तो बस दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाती हैं। इसके साथ ट्रांसजेंडर के प्रति तो हमारा समाज आज भी असंवेदनशील है। उन्हें आज भी सामान्य इंसान का दर्जा ही नहीं मिल पाता। वे समाज की मुख्य धारा से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, खबरपालिका सभी जगहों से नदारद हैं। आज भी उन्हें स्कूलों, कॉलेजों में दाखिला आसानी से नहीं मिल पाता, नौकरी नहीं मिल पाती। उनके लिए न तो वेटिंग रूम की पर्याप्त व्यवस्था होती है और न ही प्रसाधन तक की। इस स्थिति में मीडिया लड़कियों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर के बीच में भी जागरूकता फैलाने का काम कर सकता है। उन्हें शिक्षा के महत्व के साथ-साथ, शिक्षा के फायदे से भी अवगत करा सकता है। ट्रांसजेंडर को भी इंसानी दर्जा दिलाने में मदद कर उन्हें लड़के और लड़कियों के बराबर समाज में हक दिलाया जा सकता है।

शिक्षा नीति- 2020 में रटने से अधिक नियमित और रचनात्मक कौशल पर जोर दिए जाने की संस्तुति की गई है। इसके लिए विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में रोचक और प्रेरणादायक वीडियो और वृत्तचित्र बनाकर शिक्षा को इनोवेटिव तरीके से प्रस्तुत कर ज्यादा-से-ज्यादा ग्राह्य बनाया जा सकता है। रटने की परंपरा को समाप्त करने में भी मीडिया उद्योगों की उल्लेखनीय भूमिका हो सकती है। इस नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर प्रमुख जोर दिया गया है। कौशल विकास से जुड़ी बातों और पाठ्यक्रमों को यदि सही दिशा में लागू किया जाये तो वह भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में बेहद सार्थक साबित हो सकता है। कौशल विकास और रोजगार सृजन के अवसर भी मीडिया उद्योगों के माध्यम से सृजित किये जा सकते हैं। साथ ही व्यवसायिक शिक्षा को भी मीडिया उद्योगों से सहायता मिल सकती है। नई शिक्षा नीति में समाहित कौशल विकास, व्यवसायिक शिक्षा को सफल बनाने के लिए मीडिया का विभिन्न स्तरों पर उपयोग किया जाना सार्थक कदम सिद्ध हो सकता है और यह मीडिया उद्योग तथा शिक्षा संस्थानों के परस्पर सहयोग से ही संभव है।

शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसमे ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर विश्ोष ध्यान दिया गया है। साथ ही न्यायसंगत प्रौद्योगिकी के प्रयोग को भी रेखांकित किया गया है। यह शिक्षा को एक नये रूप में पेश करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम है। जरूरत इस बात की है कि हम 'शिक्षक केंद्रित अध्यापन व्यवस्था' से 'छात्र केंद्रित व्यवस्था' की तरफ जाएं, जो अनुभव आधारित हो तथा छात्रों की कल्पना को साकार करने में सक्षम हो

क्योंकि कौशल विकास के लिए विद्यार्थियों के कौशल को समझकर उसी दिशा में प्रशिक्षित करना उचित होगा। इसके लिए सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल अध्ययन-अध्यापन में नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को फायदा होगा। सामान्य और ऑनलाइन क्लास तथा तकनीक के मिश्रित रूप पर केंद्रित करने वाली शिक्षा देना सबसे उपयोगी, सार्थक और लाभदायक होगा। यह रणनीति शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा देने में मददगार और कारगर सिद्ध होगी। ऊँची सोच, नतीजा आधारित और मिश्रित अध्ययन जैसे नए तरीके अपनाने से अध्यापन ज्यादा प्रभावी होगा। अध्ययन के अनुभव को बेहतर बनाने और दूसरी भाषा के विद्यार्थियों की समस्याओं का उनकी भाषा के अनुरूप समाधान करने के लिए पठन-पाठन व्यवस्था को छात्र केंद्रित बनाया जाना अति आवश्यक है। इसे बेहतर बनाने के लिए वीडियो, फिल्म क्लिप, टीवी क्लिप, एनिमेशन, एलएमएस, मूडल, ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था तथा अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी और शिक्षा को जोड़ने के लिए 'ओपन सोर्स टूलकिट' का प्रयोग हो सकता है, जिसमें मीडिया उद्योग का सहयोग महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ऑनलाइन संसाधनों और रिमोट लर्निंग टूल का इस्तेमाल ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि वे उत्साही, इनोवेटिव और प्रयोगधर्मी बनें और अध्यापन में तकनीक का उचित इस्तेमाल करने में सक्षम हों। तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास अहम कड़ी होगी, जिसमें भी मीडिया उद्योगों द्वारा मदद पहुंचायी जा सकती है। इसके अलावा मीडिया ही वह माध्यम है, जिसके जरिये 'लोकल से ग्लोबल' तक बहुत ही सहजता से जुड़ा जा सकता है, जो मीडिया उद्योगों की सार्थक भूमिका के प्रयोग बिना संभव ही नहीं हो सकता।

शिक्षा के संदर्भ में डॉ. अल्टेकर का कहना था कि वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में हमारा मार्ग आलोकित करती है। किंतु भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निम्न तबके और दूर-दराज के क्षेत्रों में बसे लोग इससे वंचित होने को मजबूर हो रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर होने के कारण लोग अपना भरण-पोषण तो कर लेंगे, लेकिन और अच्छे जीवन की सुविधाएं प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल होगा। तकनीक के बढ़ते प्रभाव और उपयोग ने भी बहुजनों को शिक्षा के अवसरों से वंचित करने की पृष्ठभूमि तैयार की है, क्योंकि उन लोगों तक न तो तकनीक की पहुँच है और न तकनीक

जागरूकता तथा साक्षरता। तमाम योजनाओं के बावजूद असमानता, भेदभाव, बाजारवाद भारतीय शिक्षा में मुख्य तत्व के रूप में विद्यमान हैं। इसे दूर करने में और असमानता को जड़ से मिटाने में भी सरकारी प्रयासों के साथ ही मीडिया उद्योग की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। मीडिया उद्योग द्वारा की गई पहल नई शिक्षा नीति में विद्यमान सकारात्मक पक्ष को लोगों तक पहुंचाने और उसे धरातल पर क्रियान्वित कराने में अहम तो होगी ही, साथ ही इसके प्रति लोगों के मन में विद्यमान नकारात्मक अवधारणा को दूर करने में भी सार्थक साबित होगी।

डॉ. अमिता
सहायक प्रोफ़ेसर
पत्रकारिता और जनसंचार विभाग
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

संदर्भ सूची-

1. मिश्र, स्वतंत्र (2015), शिक्षा भरा पूरा अकाल, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली।
2. द इकोनोमिक टाईम्स, 20 अगस्त 2020।
3. नई शिक्षा नीति प्रारूप।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020: कौशल-शिक्षा और वर्धा योजना

डॉ. भुवन कुमार झा

भूमिका - भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में जगह दी गयी है, अर्थात केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही इस से सम्बंधित कानून बना सकते हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात समय-समय पर केंद्र ने शिक्षा के भविष्य की दिशा तय करने हेतु नीतियों का निर्माण किया है। इसी क्रम या कड़ी में वर्तमान नीति तीसरी बड़ी शिक्षा-नीति है, और इक्कीसवीं सदी की पहली। हमारे समय में शिक्षा का प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो चुका है। साक्षरता, ज्ञान और चरित्र-निर्माण में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु शिक्षा और शिक्षण को ही केंद्र में देखा जा रहा है। राष्ट्र के विकास के सन्दर्भ में भी देखें तो शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था में सुधार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति)- 2020 का विश्लेषण आवश्यक है। इस नीति में बहुभाषावाद, कौशल-शिक्षा, जीवन-कौशल, समाज-शास्त्र, डिजिटल ज्ञान, प्राच्य-विद्या इत्यादि अनेक विषयों पर काफी जोर है। प्रस्तुत लेख इस नीति में समाज विज्ञान के सन्दर्भों को रेखांकित करने के पश्चात कौशल-शिक्षा से सम्बंधित तर्कों का अध्ययन प्रस्तुत करेगा। अध्ययन की इस प्रक्रिया में परवर्ती औपनिवेशिक भारत में गांधीजी के मार्गनिर्देशन में बुनियादी शिक्षा की जिस योजना की रुपरेखा तय हुई, जिसे वर्धा योजना (1937-1938) भी कहते हैं, के साथ एक तुलनात्मक विश्लेषण भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में जिस प्रकार कुछ जगहों पर कौशल शिक्षा पर काफी जोर है, उससे यह तुलनात्मक अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है। दोनों दस्तावेजों के कालक्रम में लम्बी दूरी है, भारत के विकास में भी बड़ा अंतर आ गया है, फिर भी इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताएँ बनी रहती हैं। यह भारत के पारम्परिक कौशल विद्या के महत्त्व की पहचान भी है।

ऐतिहासिक दृष्टि संपन्नता और भारतीय ज्ञान परम्परा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में एक ओर तो सामजिक व्यवस्था और समाज में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता पर बल दिया गया है, तो दूसरी ओर इतिहास की धरोहरों को उल्लिखित कर ज्ञान-संसार में भारत की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया है:

> 'भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्त्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरुरत है बल्कि व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए।'[3]

इस आलेख में प्राचीन भारत के उन विश्वविद्यालयों और शिक्षण परंपरा का उल्लेख है जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम था और जिनसे प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है। इसी शिक्षा व्यवस्था ने समय समय पर ऐसे विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रामाणिक और मौलिक ज्ञान दिया। यह बात स्पष्ट की गयी है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की परंपरा, जिसमें ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को सबसे महत्वपूर्ण मानवीय लक्ष्य समझा जाता था, को ध्यान में रखकर इस नीति को तैयार किया गया है। इसी व्यवस्था में आत्म-ज्ञान और मुक्ति को शिक्षा के अंतिम उद्देश्य के रूप में देखा जाता था।

सामाजिक विज्ञान का वृहत्तर संदर्भ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में निहित शिक्षा के हर स्तर के रुपरेखा को देखें तो स्पष्ट है कि समाज विज्ञान और मानविकी से संबंधित विषयों पर काफी महत्वपूर्ण चिंतन है। सामाजिक शास्त्र के विषयों का अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इस मायने में अलग होता है कि इसमें स्थानीय और राष्ट्रीय मामलों के प्रति ज्यादा रुझान होता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात सामाजिक विज्ञान में

[3] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ.5

शामिल होने वाले विषय-सामग्री पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ होती रही हैं। राष्ट्र-निर्माण और सामजिक विकास के संदर्भ में इन विषय-वस्तुओं की गुणात्मक भूमिका रही है। बीसवीं शताब्दी में जहाँ एक तरफ सामजिक विज्ञान की परिधि में अभूतपूर्व विस्तार हुआ तो दूसरी ओर शिक्षण-कला में आमूलचूल परिवर्तन आया। लेकिन जो बात ज्यादा महत्त्व की है वह यह कि विषयवस्तु को देश और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर परिवर्तित किया गया। इस अध्ययन-सामग्री में बदलाव की दिशा कुछ हद तक शिक्षा से सम्बन्धी नीतियाँ तय कर देती हैं। इन्हीं नीतियों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF) तैयार किया जाता है जो पाठ्य-पुस्तकों के स्वरुप को लेकर दिशा-निर्देश जारी करते हैं।

चिंतन के स्तर पर सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण को महत्व दिया गया है। जहाँ शिक्षा से हासिल होने वाले ज्ञान की चर्चा है, उनमें कई ऐसे विषयों को रेखांकित किया गया है जो सीधे तौर पर सामाजिक विज्ञान की परिधि में हैं, जैसे- समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान विकसित करना तथा अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परम्पराओं से ज्ञान को अर्जित कर राष्ट्रीय गौरव का उत्थान करना।[4] मूल उद्देश्य अच्छे इंसान और नागरिक का निर्माण है: 'जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति और नैतिक मूल्य आधार हों'। शिक्षा व्यवस्था ऐसे उत्पादक लोगों का समूह निर्मित करे जो एक समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर योगदान दे सके।[5]

कौशल-शिक्षा और उद्यम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में कौशल शिक्षा और उद्यम पर प्रबल जोर दिया गया है। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमता का विकास, इसकी स्वीकृति, बुनियादी साक्षरता को प्राथमिकता;

[4] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.5

[5] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.6

जीवन कौशल और सामूहिक कार्य पर जोर; भारतीयता की जड़ों और गौरव से बँधना; सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना; इसकी परिकल्पना में भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता देना, आदि शामिल हैं। छात्रों में मौलिक दायित्वो, संवैधानिक मूल्यों और देश के प्रति जुड़ाव पर बल है।[6] इस नीति की एक विशेषता यह है कि इसमें कौशल संवर्द्धन की दृष्टि से बुनियादी कला, शिल्प, खेल, बहुल भाषाएँ, संस्कृति के मूल्य का ज्ञान इत्यादि को विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के अभिन्न अंग माने गए हैं। अर्थात, यदि शिक्षा को गुणकारी बनाना है, या फिर समाजोपयोगी रखना है तो यह जरुरी होगा कि व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण को समुचित जगह मिले: 'शिक्षा से चरित्र-निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए।'[7] यदि इस नीति के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा करें तो इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान; नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, बहु-भाषिकता और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन; जीवन-कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग और सामूहिक कार्य; व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच अलगाव न हो; रचनात्मकता और तार्किक सोच पर जोर; भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, आदि शामिल हैं।[8] राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावना है कि सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को मुहैया करवाना एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में होगा।[9]

प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में, जो कि आठ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए होगा, बहुआयामी, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित, और खोज-आधारित शिक्षा को जगह दी गयी है। यह निर्देश है कि इस स्तर के लिए पाठ्यक्रम में विशेष ध्यान उन प्रथाओं का रक्खा जाएगा जो भारत में शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास हेतु एक समृद्ध परंपरा है, और 'वे स्थानीय परम्पराओं में विकसित हुई हैं, जिनमें कला, कहानियाँ, कविता,

---

[6] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.8

[7] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.4

[8] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.6-7

[9] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.11

गीत, और बहुत कुछ शामिल हैं।'[10] निम्न आय वर्ग के तबकों का एक बड़ा हिस्सा बिलकुल प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा और ज्ञान-कौशल में पिछड़ जाता है। इस समस्या से निबटने के लिए यह योजना है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए तीन महीनों के हिसाब से एक स्कूल तैयारी मॉड्यूल निर्मित किया जाएगा। इस मॉड्यूल में निश्चित गतिविधियों और वर्कबुक में अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द,रंग, आकार, संख्या आदि को शामिल किया जाएगा।[11]

इस नीति में प्रारम्भिक बाल्यावस्था, यानि 3 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए आधारभूत स्तर (फाउंडेशन स्टेज) को उन्नत करने की बात है। यह विद्यार्थी की शिक्षा में नींव या आधार का काम करेगा। इस स्तर पर बहु-स्तरीय खेल और गतिविधि-आधारित अध्ययन की वकालत है। विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु इस बात पर जोर है कि शिक्षा प्रणाली को वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर अग्रसर होना है:

> 'शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानत्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और इक्कीसवीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक ख़ज़ाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है।... पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक स्तर में एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशल और मूल्यों को आत्मसात किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम ढाँचा और संपर्क तंत्र विकसित किया जाएगा।'[12]

इस विशेष संदर्भ में एन.सी.ई.आर.टी अपेक्षित कौशल की पहचान कर आरंभिक बाल्यावस्था और स्कूल शिक्षा हेतु पाठ्यचर्चा ढाँचे में उचित परिवर्तन करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवाचारी खोज, चर्चा और विशेलषण आधारित अधिगम पर जोर है। गहन और प्रायोगिक सीख

---

[10] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.9-10

[11] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.12

[12] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.17

को प्राथमिकता मिले जिससे समस्या समाधान जैसे कौशल को विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रयोगधर्मी शिक्षा के केंद्र में होगा स्वयं करके सीखना। अनुभव-आधारित अधिगम पर विशेष जोर होगा।[13]

बुनियादी शिक्षा पर गांधीजी के मौलिक विचार

गांधीजी ने समय-समय पर शिक्षा की रुपरेखा को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने जॉन रस्किन की पुस्तक *अन्टू दिस लास्ट* के प्रभाव को स्वीकार किया जिसमें श्रम पर आधारित जीवन के महत्व को रेखांकित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के फ़ीनिक्स सेटेलमेंट और टॉलस्टॉय फार्म हो या फिर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम या वर्धा में सेवाग्राम, सामूहिक जीवन में शारीरिक श्रम के महत्त्व को बार-बार रेखांकित किया गया। धीरे-धीरे उन्होंने महसूस किया कि भारत में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में कौशल विद्या को अनिवार्य बनाने से दो अच्छे परिणाम होंगे— प्रथम, श्रम के प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा, और दूसरा, बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में बड़ा फायदा होगा। इसीलिए जब 1937 में साथ प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें गठित हुई, तो शिक्षा का प्रश्न और शिक्षा की नीति पुनः प्रासंगिक हो गए। 31 जुलाई 1937 को उन्होंने *हरिजन* में लिखा कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं है, और कुछ हद तक इसे शिक्षा की शुरुआत भी नहीं माननी चाहिए। यह तो सिर्फ पुरुष और स्त्री को शिक्षित करने के कई तरीकों में से एक है।[14] 17 अक्टूबर 1937 को *हरिजनबन्धु* में 'स्वावलम्बी शिक्षा' पर एक लेख में उन्होंने जोर दिया कि जब सात प्रांतों में कांग्रेसी सरकार बन गयी हैं तो रचनात्मक कार्यों पर जोर होना चाहिए:

> 'मेरा पेश किया हुआ शिक्षाक्रम भी रचनात्मक कार्य का ही एक बड़ा अंग है। जो रूप उसे मैं आज दे रहा हूँ, उसे कांग्रेस ने अपना लिया है, यह कहने का मेरा आशय नहीं है। पर मैं जो लिख रहा हूँ, वह 1920 से राष्ट्रीय शालाओं के सम्बन्ध में जो कुछ मैंने कहा है या

[13] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.18

[14] सी.जे. वर्के, *दी वर्धा स्कीम ऑफ़ एजुकेशन*, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1940, पृष्ठ.15

लिखा है, यह उसके मूल में ही निहित था। आज समय आने पर वह मेरे सामने एकाएक प्रकट हुआ है, ऐसा मेरा दृढ विश्वास है। अब यदि प्राथमिक शिक्षा उद्योग द्वारा ही देनी है, तो यह काम फिलहाल तो खासकर चरखे और दूसरे ग्रामोद्योगों के बारे मैं विश्वास रखने वालों के द्वारा ही हो सकता है; क्योंकि ग्रामोद्योगों में मुख्य वास्तु चरखा है।.... पर जिनको चरखे में श्रद्धा है, वे सब शिक्षक नहीं होते। हर एक बढ़ई बढ़ईगिरी का शास्त्री नहीं होता। जो व्यक्ति उद्योग का शास्त्र नहीं जानता, वह उद्योग की सामान्य शिक्षा नहीं दे सकता।'[15]

गांधीजी को इस बात से काफी उत्साह मिला कि उनके परम सहयोगी विनोबा भावे भी उनके मौलिक शोध, यथा 'उद्योग द्वारा स्वावलम्बी शिक्षण' से पूर्णतया सहमत थे:

'तकली की गति में जो क्रांतिकारी वृद्धि हुई है उसके मूल में विनोबा की प्रेरणा और उनका अपार श्रम है। एक बड़ी संस्था का संचलन करते हए भी उन्होंने आठ-आठ, दस-दस घंटे चरखे और तकली को चलाया है। और शिक्षा में इस उद्योग को उन्होंने शुरु से ही महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है।'[16]

वर्धा सम्मलेन, 22-23 अक्टूबर 1937

गांधीजी अपने लेखों में जिस प्रकार की बुनियादी शिक्षा की वकालत कर रहे थे वह चर्चा का विषय बन चुका था। इसलिए जब वर्धा के मारवाड़ी विद्यालय, जिसका नाम कुछ समय पूर्व ही बदलकर नवभारत विद्यालय किया गया था, का रजत जयंती समारोह 22-23 अक्टूबर 1937 के लिए निश्चित हुआ तो संचालकों ने सुझाव दिया कि इस अवसर पर राष्ट्रीय विचारधारा के शिक्षा-शास्त्रियों का एक छोटा सम्मलेन भी बुला लिया जाए। इस सम्मलेन में जो प्रस्ताव पारित हुए, और जिसके आधार पर गठित समिति ने 1937 और 1938 में पाठ्यक्रम को लेकर अपनी अनुशंसा दी,

[15] *सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय*, खंड-66, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पृष्ठ.277-278

[16] *हरिजनबन्धु*, 10 अक्टूबर 1937,*सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय*, खंड-66, पृष्ठ.241-242

उसे ही वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है।[17] गांधीजी ने इस सम्मलेन के विचारार्थ कुछ सुझाव पेश किए:

1. उच्च शिक्षा की तमाम शाखाओं में अंग्रेजी माध्यम बना देने से मुट्ठी भर शिक्षा प्राप्त लोगों और अपढ़ जनसमुदाय के बीच एक स्थायी दीवार सी कड़ी हो गयी है। इसके कारण ज्ञान सर्वसाधारण तक नहीं पहुँच सका है। 'धंधों के शिक्षण के अभाव ने शिक्षित वर्ग को उत्पादक काम के सर्वथा अयोग्य बना दिया है और शारीरिक दृष्टि से भी उनका बड़ा नुकसान हुआ है। प्राथमिक शिक्षा पर आज जो खर्च हो रहा है, वह बिलकुल निरर्थक है; क्योंकि जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे पढ़नेवाले बहुत जल्दी भूल जाते हैं और शहरों तथा गांवों के सन्दर्भ में उसका बहुत कम अथवा कोई भी मूल्य नहीं है।'

2. प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम सात साल का होना चाहिए। इस अवधि में उन्हें इतना सामान्य ज्ञान मिल जाए जो साधारणतया मैट्रिक तक की शिक्षा में मिल जाता है। इसमें अंग्रेजी नहीं रहेगी। उसकी जगह किसी ठोस धंधे की शिक्षा दी जाएगी।

3. 'लड़के और लड़कियों के सर्वतोमुखी विकास के लिए सारी शिक्षा, जहाँ तक हो सके, किसी-न-किसी ऐसे धंधे के माध्यम से दी जानी चाहिए, जिससे कुछ उपार्जन भी किया जा सके। दूसरे शब्दों में इस धंधे द्वारा दो हेतु सिद्ध होने चाहिए-- एक तो विद्यार्थी अपने परिश्रम फल के द्वारा अपनी पढ़ाई का खर्चा अदा कर सकें और इसके साथ ही, स्कूल में सीखे हए धंधे के द्वारा उस लड़के या लड़की के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। ... इस प्राथमिक शिक्षा से लड़के और लड़कियाँ इस लायक हो जाएँ कि वे अपनी रोजी कमा सकें, इसके लिए यह जरुरी है कि जिन धंधों की शिक्षा उन्हें दी गयी हो उन धंधों में राज्य उन्हें रोजगार दे अथवा वह अपनी मुकर्रर की गयी कीमतों पर उनकी बनाई हुई चीज़ों के खरीद लिया करे।'

[17] इस सम्मलेन में पारित प्रस्तावों के आधार पर विस्तृत पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक दस-सदस्यीय समिति का गठन हुआ। इस समिति द्वारा क्रमशः दिसंबर 1937 और अप्रैल 1938 में दो रिपोर्ट पेश हुए।

4. 'उच्च शिक्षा को खानगी प्रयत्नों तथा राष्ट्र की आवश्यकता पर छोड़ दिया जाये, चाहे उस शिक्षा का सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों और उनसे जुड़े शिल्प-कौशलों से हो या साहित्य से अथवा ललित कलाओं से।'[18]

शिक्षा परिषद् में 22 अक्टूबर 1937 को भाषण देते हुए गांधीजी ने ध्यानाकर्षित किया कि प्राथमिक शिक्षा की प्रचलित प्रणाली अपव्यय करनेवाली और नुकसानदेह थी। इसका दुष्परिणाम यह था कि अधिकांश बच्चे अपने माँ-बाप के तथा अपने खानदानी पेशे-धंधे के काम के नहीं रह जाते। इलाज यह था कि इन बच्चों को उद्योग या दस्तकारी की तालीम के जरिये शिक्षा दी जाए: 'मुझे इस प्रकार की शिक्षा का कुछ व्यक्तिगत अनुभव है। दक्षिण अफ्रीका में अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को भी, टॉलस्टॉय फार्म में किसी न किसी दस्तकारी, जैसे कि बढ़ईगिरी या जूते बनाने की काम के जरिये, इस प्रकार की शिक्षा दी थी।' गाँधीजी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि उनका असल जोर हाथ-उद्योग द्वारा शिक्षण पर था। कारण ढूंढना मुश्किल भी नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी औसत गाँव में अच्छे, निपुण बढ़ई या लोहार का मिलना असंभव हो चुका था: 'दस्तकारियाँ करीब-करीब लुप्त हो गयीं हैं। और कताई का उद्योग, जो उपेक्षा की नजर से देखा जा रहा था, लंकाशायर चला गया है, जहाँ कि उसका विकास हुआ।" उन्होंने सुझाव दिया कि हरएक को दस्तकारी की कला और विज्ञान व्यवहारिक शिक्षण द्वारा सिखाया जाए और फिर उसे उद्योग द्वारा शिक्षा दी जाए। अध्ययन क्रम सात साल का हो। विद्यार्थियों को दस्तकारी की चीज़ों से शिक्षा का खर्च निकल आना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास था कि हमारे देश के करोड़ों बच्चों को तालीम देने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है:

'आपलोगों को याद रखना चाहिए कि इस प्राथमिक शिक्षा में सफाई, आरोग्य और आहार-शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों का समावेश भी हो जाता है। अपना काम खुद कर लेने तथा घर पर अपने माँ-बाप के काम में मदद देने वगैरह की शिक्षा भी इसमें शामिल है। वर्तमान पीढ़ी के लड़कों को न तो सफाई का ज्ञान है, न वे यह जानते हैं कि आत्म-

[18] *हरिजन*, 2 अक्टूबर 1937, *सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय*, खंड-66, पृष्ठ.215-217

निर्भरता क्या चीज़ है; और वे शरीर से भी काफी दुर्बल होते हैं। इसलिए उन्हें मैं लाजिमी तौर पर गाने और बाजे के साथ कवायद वगैरह के जरिये शारीरिक व्यायाम की भी तालीम दूंगा।'[19]

गांधीजी द्वारा आलोचनाओं का जवाब

शिक्षा पर गाँधी के विचारों को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी पर जोर ने आलोचना के साथ-साथ कुछ लोगों के मन में भ्रम को भी जन्म दिया। गाँधीजी ने स्पष्ट किया कि उनका यह कहना नहीं है कि शिक्षा का प्रारम्भ दस्तकारी से किया जाए। इसके विपरीत उन्होंने यह कहा था कि विद्यार्थी की प्रायः सारी सामान्य पढ़ाई दस्तकारियों के जरिये और दस्तारियों में उनकी प्रगति के साथ-साथ ही हो:

'वाचन कुछ देर से सिखाया जाए और लेखन सबसे अंत में। पर यह सब क्रियाएँ पहले वर्ष के अंदर समाप्त कर देनी चाहिए जिससे मेरी कल्पना की पाठशाला में साथ साल का बच्चा, वर्तमान प्राथमिक शालाओं में साधारण लड़के-लड़कियों को एक साल में जितना सामान्य ज्ञान होता, उससे कहीं अधिक प्राप्त कर लेगा।'[20]

दस्तकारियों की सहायता से जब शिक्षा दी जाएगी तो उनकी बताई कुल अवधि में, अर्थात सात वर्ष में, उसे स्वावलम्बी हो जाना चाहिए।

'अगर हम सांप्रदायिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को समाप्त करना चाहें, तो हमारे लिए यह जरूरी है कि जिस शिक्षा का मैनें प्रतिपादन किया है, उससे अपने बालकों को शिक्षित करके शुद्ध और दृढ आधार के साथ इसकी शुरुआत करें। अहिंसा से इस योजना की उत्पत्ति हुई है। पूर्ण मद्य-निषेध के राष्ट्रीय निश्चय के सिलसिले में मैंने इसे सुझाया है।

[19] *सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय*, खंड-66, पृष्ठ.293-298

[20] *हरिजन*, 16 अक्टूबर 1937, *सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय*, खंड-66, पृष्ठ.264-267

लेकिन मैं कहता हूँ कि राजस्व में कोई कमी न हो और हमारा खजाना भरा हुआ हो, तो भी अगर हम अपने बालकों को शहरी न बनाना चाहें, तो यह शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। हमें तो उनको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने देश की सच्ची प्रतिभा का प्रतिनिधि बनाना है; और यह उन्हें स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा देने से ही हो सकता है।'[21]

गांधीजी पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने साहित्य-शिक्षा की अवहेलना की है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह साहित्यिक शिक्षा के विरोध में नहीं हैं। उनका मानना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे इस प्रकार का विचार बनता हो: 'मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मेरी अवधारणा पर स्थापित विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें सभी अनुदेश हस्तशिल्प के माध्यम से दिए जाएंगे। इसमें साहित्य-शिक्षा भी शामिल है।'[22] गांधीजी ने एक मित्र को लिखा कि उद्यम और कौशल की शिक्षा बौद्धिक-शिक्षा के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि पूरक के रूप में होगा। बौद्धिकता को जगाने का मुख्य तरीका दस्तकारी या हाथ से किया गया कार्य ही होगा: 'सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक संकायों को सींचती और प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा उनके लिए बेरोजगारी के खिलाफ एक तरह का बीमा होना चाहिए।'[23]

विदेशी शिक्षाविदों के साथ जनवरी 1938 में बातचीत के क्रम में गांधीजी ने जोर दिया कि भारत में शिक्षा-व्यवस्था में काम के लिए अलग-अलग घंटे रखने की जरुरत नहीं है। गाँव तो अपने आप में एक पूर्ण इकाई है और देहात के ज्यादातर लोग किसान हैं।

'मैं भारत के गाँवों में रहनेवाले हर लड़के अथवा लड़की को बुनकर अथवा कतैया नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो जो भी धन्धा सीखेंगे उसके द्वारा मैं उन्हें पूर्ण मनुष्य अवश्य बनाना चाहता हूँ। गाँव की पाठशाला को हम यथासंभव मितव्ययता और कुशलता के साथ एक शैक्षणिक कर्मशाला में परिवर्तित कर देंगे।'

---

[21] शिक्षा परिषद् में भाषण, 22 अक्टूबर 1937, *सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय*, खंड-66, पृष्ठ.293-298

[22] दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, *महात्मा: लाइफ ऑफ़ मोहनदास करमचंद गाँधी*, खंड-4, प्रकाशक- विठ्लभाई के झावेरी एवं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, बम्बई, 1952, पृष्ठ.227-228 (हिंदी में अनुवाद स्वयं)

[23] तेंदुलकर, *महात्मा*, खंड-4, पृष्ठ.227-228

गाँधीजी ने बातचीत के क्रम में स्पष्ट किया कि उन्होंने सिर्फ उपयोगिता को ही अपना सिद्धांत नहीं बनाया था, जैसे तम्बाकू या बीड़ी की मांग है, लेकिन इससे शारीरिक और नैतिक नुकसान होता है। इसीलिए नवीन शिक्षा-सिद्धांत पर आधारित स्कूल विदेशों के उन स्कूलों से मूलतः भिन्न होंगी जो व्यावहारिक शिक्षा देने का वादा करती हैं। भारत के स्कूलों में उपयोगिता के सिद्धान्त के अंतर्गत ऐसी चीज़ों की शिक्षा दी जाएगी 'जो राष्ट्रीय आदर्श के अनुरूप स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरुरी हों।'[24]

वर्धा में पारित प्रस्ताव:

22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में हुए सम्मलेन की अध्यक्षता गांधीजी स्वयं कर रहे थे। प्रस्ताव में जो व्यावसायिक शिक्षण की कमी पर चिंता, प्राथमिक शिक्षा की अवधि साथ वर्षों का करना जिसमें व्यावसायिक शिक्षण पर जोर हो, आदि मुद्दे शामिल थे।[25] उन्होंने समिति द्वारा तैयार किये गए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। पारित किए गए प्रस्ताव थे:

1. राष्ट्रव्यापी स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए।

2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

3. सात वर्ष की इस अवधि में शिक्षा किसी-न-किसी उद्योग और उत्पादक कार्य के जरिये दी जानी चाहिए और बच्चों में जिन अन्य योग्यताओं का विकास करना हो या उन्हें जो अन्य प्रशिक्षण देना हो वह सब बच्चों में जिन अन्य योग्यताओं का विकास करना हो या उन्हें जो अन्य प्रशिक्षण देना हो वस् सब बच्चों के वातावरण को ध्यान में रखते हुए किसी चुनी हुई दस्तकारी के साथ जुड़ा होना चाहिए।

[24] *हरिजन*, 15 जनवरी 1938, *सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय*, खंड-66, पृष्ठ.382

[25] सी.जे. वर्के, *दी वर्धा स्कीम ऑफ़ एजुकेशन*, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1940, पृष्ठ.3

4. यह उम्मीद जताई गयी कि प्रस्तावित शिक्षा-पद्धति धीरे-धीरे शिक्षकों का पारिश्रमिक चुका सकने में समर्थ हो पाएगी।[26]

निष्कर्षत:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वर्धा योजना, दोनों ही में भारत के कौशल-विद्या और परम्परा से सीखने पर जोर है। दोनों ही शिक्षा में मूलभूत बदलाव के द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण की वकालत कर रहे हैं। दोनों ही नीतियों या योजनाओं में बच्चे के शुरुआती वर्षों को सबसे महत्त्वपूर्ण समझा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी वर्धा योजना की तरह हस्तशिल्प पर जोर है। परन्तु वर्धा की तुलना में, जहाँ पर यह व्यवस्था विद्यार्थी के प्रथम साथ वर्षों में जरुरी था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे ग्रेड 6 से 8 के दौरान जरुरी समझा गया है। लेकिन दोनों ही योजनाओं में स्थानीय शिल्प को सीखने पर जोर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 6 से 8 ग्रेड के बच्चे ऐसा आनंददायी कोर्स करेगा जो स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार व्यावसायिक शिल्प को केंद्र में रखेगा। यह पाठ्यक्रम अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। इसमें बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण इत्यादि शामिल होंगे। इस दौरान सभी विद्यार्थी एक दसदिवसीय बस्ता-रहित कार्य करेंगे जब वह स्थानीय हस्तशिल्प विशेषज्ञ जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे।[27]

डॉ. भुवन कुमार झा
इतिहास विभाग, सत्यवती कॉलेज;
फेलो एवं उपनिदेशक - वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्विद्यालय,
ईमेल: bhuwanjha@gmail.com; मोबाइल: 9810921958

[26] *सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय*, खंड-66, पृष्ठ.305

[27] *राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020*, पृष्ठ.23-24

संदर्भ-ग्रंथ :

1.तेंदुलकर, दीनानाथ गोपाल, *महात्मा: लाइफ ऑफ़ मोहनदास करमचंद गाँधी*, खंड-4, प्रकाशक- विठ्लभाई के झावेरी एवं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, बम्बई, 1952

2.राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

3.https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

4.वर्के, सी.जे., *दी वर्धा स्कीम ऑफ़ एजुकेशन*, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1940

5. सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय, खंड-66, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का शैक्षिक चिंतन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

विनय कुमार राय

मौजुदा समय में लागू होने वाली शिक्षा नीति का विस्तृत एवं जीवंत उदाहरण बनारस में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया है ।

सारांश :

भारत सरकार ने 2020 में राष्टीय शिक्षा नीति में पूर्व से चली आ रही शिक्षा नीति और व्यवस्था में कई बदलाव किए है। सरकार का दावा है कि इस शिक्षा नीति से भारत आने वाले दिनों में अपनी नई ऊंचाइयों को छुयेगा। इस शिक्षा नीति के लागू होने से स्कूल में होने वाले दाखिले से लेकर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को नए सिरे से परिभाषित करने की बात कही गई है। यही व्यवस्था उच्च शिक्षा में भी लागू होगी। सबसे ज्यादा परिवर्तन पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को लेकर कही गई है जो आज के प्रगतिशील समाज की मांग को पूरा करने में सक्षम हो सके। सरकार का दावा है इस शिक्षा नीति लागू होने से इसके विकास के लिए सरकार कुल GDP का 6 प्रतिशत खर्च करेगी। (मंत्रालय, 2020)

आजादी से लेकर अबतक भारत सरकार ने कुल मिलाकर 3 बार शिक्षा नीति बनाई है। इस बात को ध्यान में रखकर कि बदलते परिवेश में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए के लिए मौजूदा शिक्षा नीति लाभकारी होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। मौजुदा समय में लागू होने वाली शिक्षा नीति का विस्तृत एवं जीवंत उदाहरण बनारस में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया है। 20वीं सदी के शुरुआत में स्थापित होने वाले इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम भारतीय कैसे अपनी शिक्षा को एक आयाम दे जो हमारी भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। मालवीय जी ने इस बात की हमेशा चिंता की, कि हमारी शिक्षा पद्धति रोजगार उन्मुख बने, भविष्य की चिंताओं को दूर कर सके, एक आदर्श राष्ट्र के लक्षण विकसित हो।

परिचय:

राष्ट्रीय शिक्षा क्या है? तथा वर्तमान भारत में इसका क्या स्थान है? तो हमें साफ़ शब्दों में कहना चाहिए कि जिस शिक्षा पद्धति से राष्ट्र निर्माण का भाव, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों, समस्याओं, आवश्यकताओं, आदर्शों तथा सांस्कृतिक विचारों के अनुरूप बदलते परिवेश का साथ विकसित होती है जहां राष्ट्र निर्माण, समाज कल्याण, संस्कृति, धरोहर इसके मूल में होता है, वही राष्ट्रीय शिक्षा है। ब्रिटेन तथा अमेरिका इसके उदहारण है। पराधीन भारत के शिक्षा प्रणाली को अंग्रेज़ी शासक ने अपनी जरुरत की पूर्ति के हिसाब से परिवर्तन किया। आधुनिक शिक्षा के नाम पर देश में प्रचलित विदेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा कही नहीं जा सकती, क्योंकि जिस शिक्षा का उद्देश्य ही नौकर पैदा करना रहा हो उस शिक्षा व्यवस्था से कभी भी आदर्शवादी, नैतिक एवं अनुशासनबद्ध ज़िम्मेदार नागरिक की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी व्यवस्था से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भारतीयों के विशाल जन समूह के एक अंशमात्र को लिखने पढ़ने भर की ही शिक्षा दिया ताकि उनका उद्देश्य पूर्ण हो सके। ये भारतीय उनके शासन संचालन रूपी मशीन का एक भाग बने, जिनके मदद से अपनी मनोवृति को प्राप्त करते गये। वैश्विक स्तर पर हमें अग्रेजी शिक्षा के आगे बौना साबित करने का प्रयास किया गया और वे इसमें सफल भी हुऐ। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी शिक्षा पद्धति को सोची समझी साजिश के तहत नष्ट करके भारतीयों के मस्तिष्क में गुलामी मानसिकता के बीज बोया गया।

मालवीय जी इस प्रकार से अपनाये गये शिक्षा प्रणाली के समानांतर एक तंत्र विकसित करने का निश्चय किया तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का स्थापना की। मालवीय जी जानते थे कि जिस प्रकार से हम सभी भारतीय अंग्रेज़ व्यवस्था का विरोध करते आ रहे है, उस शासन व्यवस्था का अंत निश्चत है और एक दिन भारतीयों के हाथ में राष्ट्र की बागडोर होगी। लेकिन यह सुखद अनुभव भारतीयों के लिए कष्टदायक नहीं होना चाहिए, इसके लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरा करने का निर्णय लिया। यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र देश की सेवा करें, राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न समस्यायों का निदान खोजे, अनुसन्धान का कार्य किया जाये, चिकित्सा, कृषि, इंजिनयरिंग, व्यवसाय आदि कार्यों को कुशलता पूर्वक निष्पादित करने कार्य किया जाये।

देश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू किए गए 34 वर्ष पुरानी शिक्षा को बदलने के लिए मौजूदा सरकार ने 2017 में इसरो अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्दविभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समय समय पर पूर्ववर्ती सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के

लिए अनेकों समिति और आयोग का गठन किया। लेकिन पूरी तरह से अबतक केवल 3 बार शिक्षा व्यवस्था को परिभाषित करने का काम किया गया है:–

1. डॉ. डीएस कोठारी आयोग– 1968: इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार– 1986(1992): एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल। इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है। इस शिक्षा नीति का 1992 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा किया गया था।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020: डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति।

इस नीति से गाँव या क्षेत्रीय प्रभाव वाले छात्र ज्यादा लाभान्वित होंगे । अंग्रेज़ी भाषा की प्रमुखता की प्रभुता खत्म होगी जिनसे ग्रामीण या पिछड़े इलाके के छात्र इसका अधिकांश लाभ उठा पायेंगें । तय मानक छात्रों को खर्चीली शिक्षा से मुक्ति दिलाने में सक्षम होगा। शोध के कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा ।

शिक्षा पर मालवीय जी के विचार:

अंग्रेजों के आधुनिक शिक्षा, जो दिन प्रतिदिन भारतीयों को अपंग बनाने का कार्य कर रही थी, इसके विपरीत मालवीय जी ने एक राष्ट्रिय शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया । यह केंद्र उस राष्ट्र के लिए बनाया जाना था जो कभी तक्षशिला विश्वविद्यालय एवं नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा केन्द्रों से दुनिया को शिक्षित करने का कार्य किया था। आज़ाद भारत में अब तक ऐसा कोई नीति नहीं बनी जो मालवीय जी सपने का भारत बना सके। उनके अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित स्वरूप होने चाहिए-

(1) प्राथमिक शिक्षा

(2) माध्यमिक शिक्षा

(3) विश्वविद्यालयी शिक्षा

(4) व्यावसायिक शिक्षा

(5) शारीरिक शिक्षा

(6) कृषि शिक्षा।

प्राथमिक शिक्षा

मालवीय जी के विचार में प्राथमिक शिक्षा, सभी तरह की उच्च शिक्षा का नींव होती है जिससे भविष्य का भारत तैयार होते है। इनके लिए कृषि शिक्षा, कला शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान देना अतिआवश्यक मानते थे। आज के प्राथमिक शिक्षा नीति में इस प्रकार का समावेश देखने को नहीं मिलता। राष्टीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के साथ मित्रता जैसा व्यवहार बनाने का कार्य करेगी जो उनके रूचि को शिखर के ऊँचाई तक पहुँचने में मदद करेगी।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के छात्र को मालवीय जी विश्वविद्यालयी शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बताते थे। छात्रों को माध्यमिक शिक्षा इतना प्रभावशाली हो की इसकी पढाई करने के उपरांत, छात्रों के सामने आजीविका अर्जन की समस्या उत्पन्न न हो। यहां से उन्हें व्यवसाय करने के गुण सिखाये जाने शुरू कर देना चाहिए जो समाज को आर्थिक तौर पर दिशा दिखाने का कार्य कर सके। माध्यमिक शिक्षा की सफलता पर ही विश्वविद्यालयी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। राष्टीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा स्तर से ही छात्रों के कौशल और उनकी क्षमताओं का शिक्षाक्रमीया एकीकरण पर ध्यान दिया गया है।

विश्वविद्यालयी शिक्षा

विश्वविद्यालयी शिक्षा को मालवीय जी वृक्ष का तना कहते थे क्योंकि विश्वविद्यालय में उच्च विचार वाले व्यक्तियों का निर्माण होता है, जहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत व्यक्ति ज्ञान के महत्व को भली-भांति समझने लगता है। विश्वविद्यालयी शिक्षा में अधिक से अधिक शोध कार्यों को बढ़ावा मिले, विभिन्न व्यावसायों का प्रशिक्षण दिया जाये। इन्ही कार्यों से विश्वविद्यालयी शिक्षा सार्थक होगी। आज के समय में भी भारतीय विश्वविद्यालयों में कई ऐसे

विषयों को पढाया जाता जो किसी दफ्तर का बाबू बनाने का कार्य करती है। यहां से शिक्षा पूरी करने के बाद भी छात्र अपने लायक किसी रोजगार को नहीं कर पाते है।

व्यावसायिक शिक्षा

मालवीय जी के व्यावसायिक शिक्षा से अभिप्राय यह है कि जो छात्र व्यवसाय में रूचि रखता है उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जहां कला सम्बन्धी व्यवसाय, वाणिज्य व्यवसाय, कृषि, औद्योगिक आधारित व्यवसाय आदि की शिक्षा दिया जा सके। राष्ट्र की उन्नति के आधार में व्यवसायिक शिक्षा का योगदान अहम होता है। अभी के नीति के आधार पर कोई छात्र व्यवसाय से अधिक किसी के पास नौकरी करना ज्यादा उचित समझता है। राष्टीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक विषयों को समझने के लिए सभी छात्रों को स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञो, जैसे बढ़ई,माली,कुम्हार,कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही छात्रों को वर्तमान विश्व स्तरीय व्यावसायिक विषयों से संबंधित गतिविधियाँ करने का भी अवसर मिलेगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल थिंकिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कोडिंग आदि।

शारीरिक शिक्षा

छात्र जीवन में शारीरिक शिक्षा का कोई ध्यान नहीं करता है। मालवीय जी इसको छात्र के जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। जब कोई छात्र स्वस्थ ही नहीं होगा तो कैसे निष्ठापूर्वक पढाई कर पायेगा? प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य शिक्षा व्यवस्था का चलन था। चूँकि समय के साथ इसमें परिवर्तन होता गया, लेकिन उस अवस्था में अध्ययन और स्मरण शक्ति का अचूक अनुभव होता था। नियमित तौर पर शारीरिक अभ्यास की रीति चलन में था परन्तु आज के छात्रों का समय आधुनिक साधनों के साथ मनोरंजन करते हुए बीतता है। इससे स्वास्थ्य के साथ स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होता है। बच्चों को पढाई के साथ खेल कूद, योग आदि जैसे शारीरिक क्रियायों पर ध्यान देने की जरुरत होनी चाहिए।

कृषि शिक्षा

बदलते पृथ्वी के असमय मौसम और वातावरण से कृषि के ऊपर खासा प्रभाव पड़ा है। इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। कृषि विज्ञान पर नई पीढ़ियों को काफ़ी शोध करने कि जरुरत है ताकि बदलते परिवेश में भी हमारे राष्ट्र के सामने खाद्य की समस्या का समाधान निकला जा सके। हमारे राष्ट्र के सामने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की समस्या बनी हुई है, कि किस प्रकार से इतने विशाल जनसँख्या को समुचित भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा सके। इसका निदान आधुनिक पद्धति को अपनाकर कृषि शोध से निकला जा सकता है। मालवीय जी कृषि शिक्षा को माध्यमिक स्तर से ही पढाये जाने को समर्थन देते है जहां भोज्य पदार्थ से लेकर वनस्पति विज्ञान, वन्यजीव विज्ञान आदि की शिक्षा दिया जाये।

भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर मालवीय जी

20वीं सदी के शुरू में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू का स्थापना होना चाहिए इसके समर्थन में तर्क में पेश करके तत्कालीन प्रभावशाली लोगों को विश्वास में लेकर भारतीय शिक्षा पद्धति की महत्ता को समझाना चाहते थे। उस समय में अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय समुदाय के कुछ खास वर्ग ही प्राप्त कर सकते थे। निश्चित तौर पर भारत की कुल आबादी में से प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर लगभग 7 प्रतिशत पुरुषों को ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अनेकों क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंचे और अपने कार्यों को किया। लेकिन इस व्यवस्था से कुछ ही मात्र लोगों को नौकरी मिल सकी और ऐसे नौकरी के लिए भारतीयों ने अपना उर्जा और संसाधन दोनों को अधिक मात्रा में खर्च किया। समय की कितनी बर्बादी होती होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मातृभाषा में दिए जाने वाले शिक्षा को छात्र, अंग्रेज़ी के मुकाबले २० गुना कम समय में में भलीभांति समझ जाते है। और ऐसी शिक्षा का मतलब ही क्या जिसका प्रयोग हमारे समाज में लोग न के बराबर करते हो या आपकी भाषा को समझ ही नहीं पाते हो। किसी खास पद के ये मानक हो सकता है लेकिन जनमानस को इसके लिए मजबूर नहीं करना चाहिए की वह अपनी भाषा का प्रयोग अपने उत्थान के लिए न कर सके।

भारतीयों के शिक्षा माध्यम पर मालवीय जी

मालवीयजी का शिक्षा का माध्यम भाषा की दृष्टि से स्पष्ट विचार था। बीएचयू निर्माण विवरण पुस्तिका में सपष्ट कहा गया है कि संस्कृत विषय की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बाकी के अन्य छात्रों के लिए संस्कृत का ज्ञान बस इतना ही होगा ताकि वो किसी संस्कृत में लिखी धार्मिक या अन्य पुस्तक को पढ़ सके। यहां पर सबसे रोचक बात यह है कि बाकी अन्य विषय के छात्रों को शिक्षा का माध्यम वही माध्यम होगा जो व्यापक तौर पर समाज के लोगों द्वारा बोला और समझा जाता हो, अर्थात हिंदी। हिंदी भाषा के प्रति मालवीय जी काफ़ी सजग रहते थे। काशी में पढने वाले छात्रों के लिए भाषा के तौर पर मानक रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया था। चुकीं यह विश्वविद्यालय उत्तर भारत के के क्षेत्र में स्थापित है जहां पर अधिकांश पढ़ने वाले छात्र उत्तर भारतीय ही होते है। इसीलिए एक औसत मान कर देशी भाषा के रूप में हिंदी को अध्ययन का मार्ग चुना गया। मालवीय जी अंग्रेज़ी भाषा का विरोध नहीं करते थे बल्कि उनका मानना था कि जो भाषा हमारे समाज के अधिक से अधिक लोग बोलते समझते हो उसका प्रयोग करना चाहिए। जहां तक अंग्रेज़ी भाषा का सवाल है तो यह भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं है जो हम भारतीयों को अनिवार्य से पालन करना ही चाहिए।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पर मालवीय जी

मालवीय जी सीधे तौर पर कहते थे कि जब तक हमारे देश में आधुनिक विज्ञानों के शिक्षा को सहज रूप में नहीं अपनाया जाता है तो भारत को फिर से समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में नहीं लाया जा कसता। इसमें इसका ख्याल रखना भी जरुरी है कि विज्ञान की शिक्षा जबतक विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाती रहेगी, यह राष्ट्रीय सम्पदा का भाग नहीं बन सकती। इसके लिए हमें भारत में साधन के तौर पर विज्ञान का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों रूपों में देशी भाषा का प्रयोग करना होगा।

निष्कर्ष:

राष्टीय शिक्षा नीति 2020 का मूल भाव मालवीय जी के आदर्शों से प्रेरित है जहां मालवीय जी राष्ट्र निर्माण करने वाली शिक्षा नीति के तहत का काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करते है उसी प्रकार का 2020 के राष्टीय शिक्षा नीति में लगभग सभी स्तर में

बदलाव लाने के लिए ऊँचे मानक तय किये गये है। भारतीयों को प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के साथ शोध कार्य पर भी बल दिया गया है। राष्टीय शिक्षा नीति में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो सबसे बड़ा परिवर्तन भाषा को लेकर किया गया है। भारतीयों को भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा देना चाहिए। यहां पर भारतीय भाषा का अर्थ भारत के विभिन्न मान्यता प्राप्त भाषा से है। लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि उन्हें अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान नहीं होना चाहिए। हमें विश्व स्तर पर भी कार्य करना है, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति को ऐसा बना दिया गया है कि अगर किसी छात्र को अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान न हो तो उसका ज्ञान अधूरा ही समझा जायेगा।

अगर किसी छात्र को मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था हो तो वह छात्र विदेशी भाषा के मुकाबले 20 गुना अधिक तेज़ी से सीखता है। किसी छात्र को अन्य किसी भाषा में अध्ययन कराने से उसका बहुमूल्य समय भाषा की गूढ़ता को समझने में ही निकल जाता है और विषय- वस्तु पीछे रह जाती है। शोध आदि विषय के मामले में भारत की स्तिथि बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। जबकि शून्य से सूर्य की परिक्रमा की परिकल्पना करने वाला देश भारत ही है।

विनय कुमार राय
सहायक प्राध्यापक,पत्रकारिता विभाग
महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
ई-मेल - vinaykumarrai@mac.du.ac.in
संपर्क सूत्र- 9873744939

संदर्भ सूची

1.Society, B. H. (1905). Prospectus of Benares Hindu University. Benares Hindu University Society.
2. इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिल. (1914)., (p. 1032).
3. काशी हिंदू विश्वविद्यालय. (2019). काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इतिहास. काशी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय.

4. मारकण्डेय राय. (1986). पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शैक्षणिक विचारों का अध्ययन. काशी हिंदू विश्वविद्यालय.
5. शिक्षा मंत्रालय. (2020). नई शिक्षा नीति. दिल्ली: भारत सरकार.

वनवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव

(मध्य प्रदेश के छह जिलों के विशेष संदर्भ में)

संजुक्ता मुद्गल
एवं
डॉ. जे.वी. शर्मा

सारांश - "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" जिसे लोकप्रिय रूप से एफआरए कहा जाता है, के दो मूल उद्देश्यों में से एक, वनों के संरक्षण शासन को मजबूत करना और वनवासियों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अध्ययन मध्य प्रदेश में यह पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था कि क्या "एफआरए वनवासियों/लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को और किस हद तक उन्नत करने में सक्षम है"।

कार्यप्रणाली- छह जिलों (खरगों, छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, शहडोल, बड़वानी) का चयन राज्य के तीन अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से स्तरीकृत स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड के आधार पर किया गया था। दावे को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों से अर्ध-संरचित प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया था।

परिणाम- मध्य प्रदेश में एफआरए के कार्यान्वयन से एफआरए लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के बारे में एक सकारात्मक तस्वीर सामने आती है। अलग-अलग सैंपल वाले जिलों के नतीजों से शहडोल और सीधी जिलों को छोड़कर एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है।

निष्कर्ष- विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों ने उनके रहने की स्थिति और लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

(मुख्य शब्द: सामाजिक-आर्थिक, एफआरए लाभार्थी, वनवासी)

परिचय:-

भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) के उत्थान की आवश्यकता पर विचार करते हुए "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" को प्रवर्तित किया है। जिसे 01 जनवरी, 2008 को अधिसूचित और पुन: 2012 में संशोधित नियमों के साथ व्यापक रूप से वन अधिकार अधिनियम (FRA) कहा जाता है। अधिनियम वन भूमि में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) के वन अधिकारों और वन भूमि के कब्जे को मान्यता देने के साथ साथ इन अधिकारों को उन्हें प्रदान करता है जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रह रहे हैं परंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) के मान्यता प्राप्त अधिकारों में सतत उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव की जिम्मेदारी और प्राधिकार भी शामिल हैं ताकि वे अपनी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण कार्य को सुदृढ कर सके [1]। एफआरए के अंतर्गत अधिकारों को तीन व्यापक श्रेणियों यथा व्यक्तिगत अधिकार (आईआर); सामुदायिक अधिकार (सीआर) और वन संसाधन अधिकार संरक्षण (सीएफआर) में बांटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, "विकास अधिकार" की एक और चौथी श्रेणी का भी प्रावधान किया गया है जिसमें गांवों में तेरह विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के लिए वन भूमि को परिवर्तित किया जा सकता हैजिसमें प्रति हेक्टेयरअधिकतम पचहत्तर वृक्षों की कटाई की जा सकती है।

देश के विभिन्न राज्यों ने एफआरए लागू किया है और लक्षित जनसंख्या पर अधिनियम के प्रभाव का आकलन भी किया है। आंध्र प्रदेश में कुछ अध्ययनों (रेड्डी, कुमार, राव, और स्प्रिंगेट-बैगिंस्की, 2011)[2] (स्प्रिंगेट-बैगिंस्की, सरीन, और रेड्डी, 2013)[3] ने स्पष्ट किया है कि शुरू में कार्यान्वयन की प्राथमिकता व्यक्तिगत दावों को निपटाने पर थी। (रेड्डी और नागराजू, 2015)[4]। मुख्य रूप से ग्रामीणों में जागरूकता की कमी के कारण सामुदायिक दावों के लिए बहुत से आवेदन दायर नहीं किए गए थे।तथापिज़मीनी स्तर पर जागरूकता और एकत्रीकरण को बढ़ावा देने से राज्य भर के कई सौ गांवों द्वारा सामुदायिक अधिकारों के दावे दायर किए गए थे। इसी तरह, केरल में एफआरए के कार्यान्वयन से पता चला है कि कार्यान्वयन एक बृहद नौकरशाही दृष्टिकोण

था (केरल में उर्सुला मुन्स्टर, सुमा विष्णुदास, 2012 द्वारा "इन द जंगल ऑफ लॉ, आदिवासी अधिकार और वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन")[5] जिसके कारण केरल एफआरए की कार्यान्वयन प्रक्रिया को पूरा करने वाली पहली राज्य सरकारों में से एक थी (सत्यपालन, 2010)[6]। तथापि, एफआरए मुख्य रूप से केवल आईआर की पावती तक ही सीमित था। वसुंधरा नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, 2015[7] के एक शोध लेख में यह उल्लेख किया गया है कि सीएफआर दावों पर बहुत कम ज़ोर दिया गया है। सीएफआर अधिकारों की मान्यता देश के कुछ भागों तक सीमित है जहां नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय जिला प्रशासन ने पहल की है। इनमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और नंदुरबार जिले; ओडिशा में कंधमाल और मयूरभंज जिले; और गुजरात में नर्मदा जिला शामिल हैं। महाराष्ट्र में सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने से आजीविका में बड़े सुधार हुए हैं क्योंकि लोगों ने तेंदू पत्ते, बांस सहित लघु वन उपजो (एमएफपी) का व्यापार करना शुरू कर दिया है और बड़ी सामुदायिक आय के सृजन के माध्यम से सैकड़ों परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार, गुजरात के नर्मदा जिले में एफआरए के अंतर्गत अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले 20 से अधिक गांवों ने बांस की कटाई करके उन्हें पेपर मिलों को बेचा है, जिससे अलग-अलग गांवों को दसियों लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में, ग्रामीणों ने सीएफआर अधिकार प्राप्त करने के बाद बांस बेचे हैं और आय का आधा हिस्सा वनों के सुधार पर खर्च किया है।

मध्य प्रदेश देश के कार्य निष्पादन करने वाले 20 राज्यों में से एक रहा है, जिसके एफआरए के कार्यान्वयन से संबंधित ब्योरे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे हैं। राज्य ने एफआरए के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकारों को मान्यता दी है और बड़े स्तर पर वन भूमि अर्थात् 9,34,088 हेक्टेयर को चिन्हित करने में अग्रणी रहा है (स्रोत: राज्य जनजाति कल्याण विभाग)[8] जिस पर अधिकार पत्र वितरित किए गए गई हैं। अक्टूबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार राज्य में प्राप्त क्रमश: 5,74,795 व्यक्तिगत दावों और 42,156 सामुदायिक दावों की तुलना में लगभग 2,06,960 व्यक्तिगत दावों और 27,252 सामुदायिक दावों (ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाद वितरित दावों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या) को स्वीकार किया गया (सरकार भारत, जनजातीय कार्यमंत्रालय)[9]।इसके अतिरिक्त, राज्य को देश में अभिलिखित वन क्षेत्रों का सबसे बड़ा

भाग भी मिला है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30.72% है, (भारत सरकार, 2019 भारत राज्य वन रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण)[10]। राज्य में बड़ी संख्या में जनजातीय जनसंख्या (1.53 करोड़ अर्थात् कुल जनसंख्या का 21.1%) रहती है (जनगणना, 2011)[11] और वे तीन असुरक्षित आदिम जनजातीय समूहों (बैगा, भारिया और सहरिया) सहित 46 मान्यता प्राप्त समूहों से संबंधित हैं। राज्य में वनों पर लोगों की प्रति व्यक्ति निर्भरता भी बहुत अधिक है। इसलिए एफआरए के कार्यान्वयन के दस वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद, मध्य प्रदेश में" राज्य में भूमि अधिकार, उपयोग अधिकार और वन रक्षा एवं संरक्षण अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में"। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन का आंकलन करने के उद्देश्य से अध्ययन किया गया था। शोध प्रश्नों में से एक प्रश्न के अंतर्गत यह पता लगाना था कि क्या "एफआरए वनवासियों/लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में सक्षम है, यदि हाँ, तो किस हद तक"।

कार्यप्रणाली:-

अध्ययन छह प्रतिनिधि जिलों (कुल 51 जिलों में से) में एक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना प्रक्रिया के बाद आयोजित किया गया था।चूंकिराज्य के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भाग वन संसाधनों में समृद्ध हैं, जबकि उत्तरी और पश्चिमी भाग अधिक समृद्ध नहीं हैं इसलिए तीन अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों ; महाकोशल; बघेलखंड-विंध्य क्षेत्र; और मालवा-नेमार क्षेत्र से छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, शहडोल, बड़वानी और खरगोन जिन्हें को चुना गया । इसके अलावा, जिलों का चयन कुछ मानदंडों के आधार पर किया गया था अर्थात एफआरए के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकार तय किए गए थे; जिसमें 15% से अधिक वन क्षेत्र था; 20% से अधिक आदिवासी आबादी वाले (स्रोत: भारत की जनगणना, 2011, भारत वन राज्य रिपोर्ट 2015 और 2017)। ब्लॉकों का चयन करते समय समान मानदंड का पालन किया गया था। अर्ध-संरचित प्रश्नावली के माध्यम से डेटा 2018-2019 के दौरान एकत्र किया गया था। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के वन एवं आदिम जाति कल्याण विभागों से भी परिणामों की पूर्ति के लिए द्वितीयक आंकड़े एकत्रित किये गये।

खरगोन, छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, शहडोल, बड़वानी जिलों और पूरे मध्य प्रदेश में प्राप्त, स्वीकृत और खारिज किए गए वन अधिकार दावों की कुल संख्या का डेटा अध्ययन करने के लिए नमूना आकार निर्धारित करने का आधार था। स्वीकृत दावों (पी) के अनुपात में अस्वीकार किए गए (क्यू = 1-पी) की गणना की जाती है और उत्तरदाताओं की न्यूनतम संख्या (एन) 10% त्रुटि और क्षेत्र में 5% त्रुटि सूत्र द्वारा नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की जाती है:

$$n = z^2 \frac{pq}{E^2}$$

[स्रोत: सांख्यिकी के मूल सिद्धांतों पर डी.एल. Elhance की पुस्तक, किताबमहल द्वारा प्रकाशित, 22-ए, सरोजिनी नायडु मार्ग, इलाहाबाद, संस्करण 1994 पृष्ठ संख्या 21.14, विषय, जनसंख्या अनुपात के लिए नमूना आकार का अनुमान।

तालिका 1:-नमूना बिंदुओं की संख्या।

Z= 1.96 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 5% स्तर के महत्व के लिए

क्रम सं.	नाम	प्राप्त दावे	स्वीकृत दावे	अनुपात (p)	q = 1-p	नमूना बिन्दुओं की संख्या (n=z2pq/E2 (10%)	नमूना बिन्दुओं की संख्या (n=z2pq/E2 (5%)
1	खरगोन	29635	18766	0.63	0.37	89.22	356.88
2	छिंदवारा	14021	7878	0.56	0.44	94.57	378.28
3	मांडला	18166	13076	0.72	0.28	77.48	309.92
4	सिद्धि	11259	1981	0.18	0.82	55.70	222.80
5	बड़वानी	40293	24502	0.61	0.39	91.55	366.20
6	शाहडोल	**21112**	**11954**	**0.57**	**0.43**	**94.36**	**377.42**
7	म.प्र.	**624000**	**250000**	**0.40**	**0.60**	**92.25**	**368.99**

डेटा स्रोत: मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग

प्रश्नावली के डिजाइन के बाद, गांवों में विभिन्न उत्तरदाताओं के जवाब एकत्र किए गए और परिणाम का विश्लेषण करने के लिए विकसित विभिन्न संघों पर आधारित विभिन्न शोध प्रश्नों के संदर्भ में प्रत्येक जिले के बंडलों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन के लिए तय

किए गए उत्तरदाताओं की संख्या 5 % त्रुटि पर आधारित है। । सर्वेक्षण किए गए डेटा का विश्लेषण ची स्क्वायर सांख्यिकीय विश्लेषण के बाद किया गया है जो आमतौर पर श्रेणीबद्ध चर के बीच संबंधों के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है ।

$$\frac{(O - E)^2}{E} = \sum$$

जहाँ ,

1. χ^2= ची स्क्वार (Chi-square)
2. $\sum$= कुल योग (The sum of)
3. O= अवलोकित मान (Observed values)
4. E= अनुमानित मूल्य (Expected values)

किसी दिए गए सेल के लिए, अपेक्षित मान की गणना निम्नानुसार की गई है:

$$E = \frac{\text{row sum x column sum}}{\text{grand total}}$$

क्रॉस टेबुलेशन प्रक्रिया का उपयोग करके स्वतंत्रता के परीक्षणों का मूल्यांकन करने की विधि जिसके लिए निम्नलिखित विकसित किया गया है:

शून्य परिकल्पना (H0):

मध्य प्रदेश राज्य के विशेष जिलों में महत्व के 5% स्तर पर दो चर के बीच कोई संबंध नहीं है, जिसका अर्थ है कि आकस्मिक तालिका की पंक्ति और स्तंभ चर स्वतंत्र हैं।

वैकल्पिक परिकल्पना (H1):

विशेष जिले और मध्य प्रदेश राज्य में महत्व के 5% स्तर पर दो चर के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसका अर्थ है कि पंक्ति और स्तंभ चर निर्भर हैं। तालिका के प्रत्येक सेल के लिए, हमें शून्य परिकल्पना के तहत अपेक्षित मूल्य की गणना करनी होगी।

तो 5% महत्व के स्तर पर $\chi 2$ कैली ऊपर वर्णित सूत्र द्वारा बनाई गई है और $\chi 2$ सारणीबद्ध स्वतंत्रता की एक विशेष डिग्री के लिए $\chi 2$ तालिका से ली गई है और नियम निम्नानुसार बनाया गया है:

यदि $\chi 2$ cal<$\chi 2$ सारणीबद्ध है तो शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है इसका अर्थ है कि आकस्मिक तालिका की पंक्ति और स्तंभ चर स्वतंत्र हैं और कोई संबंध नहीं है।

यदि $\chi 2$cal>$\chi 2$ सारणीबद्ध है तो शून्य परिकल्पना अस्वीकृत है इसका अर्थ है कि आकस्मिक तालिका की पंक्ति और स्तंभ चर निर्भर हैं और महत्वपूर्ण जुड़ाव है।

परीक्षण उपयुक्त है क्योंकि नमूनाकरण विधि यादृच्छिक स्तरीकृत रही है, अध्ययन के तहत प्रत्येक चर श्रेणीबद्ध हैं, नमूना डेटा एक आकस्मिक तालिका पर प्रदर्शित होता है, और प्रत्येक सेल की अपेक्षित आवृत्ति कम से कम 5 होती है। तदनुसार, दो चर ची-स्क्वायर विश्लेषण का उपयोग करके शोध प्रश्न का उत्तर दिया गया है: क्या एफआरए के कार्यान्वयन के बाद आय की स्थिति में कोई सुधार हुआ था, और क्या वन भूमि के टुकड़े की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विकास कार्य किए गए थे, जिस पर व्यक्तिगत दावों को मान्यता दी गई थी। क्या एफआरए के कार्यान्वयन के बाद आय की स्थिति में कोई सुधार हुआ था, और क्या वन भूमि के टुकड़े की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विकास कार्य किए गए थे, जिस पर व्यक्तिगत दावों को मान्यता दी गई थी। चरों को वास्तव में एक दूसरे से स्वतंत्र मानते हुए परिणामों का विश्लेषण संभावित प्रतिक्रियाओं के देखे गए पैटर्न की तुलना करके किया गया था। मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि के बारे में प्रतिक्रियाओं के बीच संगति का अध्ययन किया गया।

परिणाम और विश्लेषण:-

सभी छह जिलों बड़वानी, छिंदवाड़ा, खरगोन, मण्डला, शहडोल, सीधी तथा समस्त मध्य प्रदेश के नमूने लेकर उनकी जाँच की गई जिनके परिणाम नीचे तालिका-2 में दर्शाए गए हैं, जिसमें बिना कोष्ठक के दिखाए गए मूल्यों और छोटे कोष्ठक में अपेक्षित प्रतिक्रियाओं के साथ "एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि" (हां /

नहीं) की प्रतिक्रियाओं के साथ इन जिलों में कृषि की जा रही वन भूमि (कृषि उत्पादकता, सिंचाई और अन्य योजनएँ) की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया गया है।

तालिका-2:- ची-स्क्वार परिणाम मध्य प्रदेश और नमूना जिले

मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिक्रिया बनाम एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि			
मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं	एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि		कुल
	हाँ	नहीं	
कृषि उत्पादकता (भूमि का समतलीकरण, बाउंडिंग, संकर बीज, उर्वरक आदि)	107 (99)	40 (48)	147
सिंचाई	88 (82)	33 (39)	121
अन्य	50 (64)	45 (31)	95
कुल	245	118	363
χ^2 cal = 12.73, Degree of freedom = (3-1)*(2-1) = 2 χ^2 tabulated = 5.991 **परिणाम: -** शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है इसका मतलब है कि खेती के लिए मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता में वृद्धि और खेती के लिए मान्यता प्राप्त वन भूमि की एफआरए उत्पादकता और आय में वृद्धि के कार्यान्वयन के बाद मध्य प्रदेश राज्य में एफआरए आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिक्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।			
जिला: बड़वानी			
मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं	एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि		कुल

	हाँ	नहीं	
कृषि उत्पादकता (भूमि का समतलीकरण, बाउंडिंग, संकर बीज, उर्वरक आदि)	5 (8)	6 (3)	11
सिंचाई (कपिल धारा योजना के तहत खोदे गए कुएं, डीजल/इलेक्ट्रिक पंप आदि)	28 (24)	5 (9)	33
अन्य	7 (9)	5 (3)	12
कुल	40	16	56

χ^2 cal = 8.35, Degree of freedom = (3-1)*(2-1) = 2 χ^2 tabulated = 5.991

परिणाम: शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि बड़वानी जिले में एफआरए के कार्यान्वयन के बाद खेती के लिए मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने और आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिक्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

जिला: छिंदवाड़ा

मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं	एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि		कुल
	हाँ	नहीं	
कृषि उत्पादकता (भूमि का समतलीकरण, बाउंडिंग, संकर बीज, उर्वरक आदि)	55 (50)	9 (14)	64
सिंचाई (कपिल धारा योजना के तहत खोदे गए कुएं, डीजल/इलेक्ट्रिक पंप आदि)	11 (13)	6 (4)	17

अन्य	13 (16)	7 (4)	20
कुल	79	22	101

χ^2 cal = 6.4, Degree of freedom = (3-1)*(2-1) = 2 χ^2 tabulated = 5.991

परिणाम: शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि छिंदवाड़ा जिले में एफआरए के कार्यान्वयन के बाद खेती के लिए मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने और आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिक्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

जिला: खरगोन

मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं	एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि		कुल
	हाँ	नहीं	
कृषि उत्पादकता (भूमि का समतलीकरण, बाउंडिंग, संकर बीज, उर्वरक आदि)	5 (8)	7 (4)	12
सिंचाई	25 (19)	5 (11)	30
अन्य	6 (9)	8 (5)	14
कुल	36	20	56

χ^2 cal = 11.34, Degree of freedom = (3-1)*(2-1) = 2 χ^2 tabulated = 5.991

परिणाम; - शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि खेती के लिए मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने और खरगोन जिले में एफआरए के लागू होने के बाद आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिक्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

जिला: मंडला

मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए	एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में	कुल

विभिन्न योजनाएं	वृद्धि		
	हाँ	नहीं	
कृषि उत्पादकता (भूमि का समतलीकरण, बाउंडिंग, संकर बीज, उर्वरक आदि)	29 (24)	5 (10)	34
सिंचाई	11 (12)	6 (5)	17
अन्य	8 (11)	8 (5)	16
कुल	48	19	67

χ^2 cal = 6.44, Degree of freedom = (3-1)*(2-1) = 2 χ^2 tabulated = 5.991

परिणाम; - शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है इसका मतलब है कि खेती के लिए मान्यताप्राप्त वन भूमि की उत्पादकता में वृद्धि और मंडला जिले में एफआरए के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिक्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

जिला: शहडोल

मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं	एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि		कुल
	हाँ	नहीं	
कृषि उत्पादकता (भूमि का समतलीकरण, बाउंडिंग, संकर बीज, उर्वरक आदि)	7 (7)	8 (8)	15
सिंचाई	6 (5)	5 (6)	11
अन्य	7 (8)	9 (8)	16
कुल	20	22	42

χ^2 cal = 0.62, Degree of freedom = (3-1)*(2-1) = 2 χ^2 tabulated = 5.991

परिणाम: - शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है, इसका मतलब है कि शहडोल जिले में

एफआरए के लागू होने के बाद खेती के लिए मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने और आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिक्रियाओं के बीच कोई संबंध नहीं है।

जिला: सीधी

मान्यता प्राप्त वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं	एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि		कुल
	हाँ	नहीं	
कृषि उत्पादकता (भूमि का समतलीकरण, बाउंडिंग, संकर बीज, उर्वरक आदि)	6 (6)	5 (5)	11
सिंचाई	7 (7)	6 (7)	13
अन्य	9 (9)	8 (8)	17
कुल	22	19	41

X^2 cal = 0.0, Degree of freedom = (3-1)*(2-1) = 2 X^2 tabulated = 5.991

परिणाम; - शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है इसका मतलब है कि सीधी जिले में एफआरए के कार्यान्वयन के बाद खेती के लिए मान्यताप्राप्त वन भूमि की उत्पादकता में वृद्धि और आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिक्रियाओं के बीच कोई संबंध नहीं है।

परिणाम तालिका-2 में सारणीबद्ध किए गए थे। उस से, यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण मूल्य एफआरए 2006 के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि के कारण दिखाई गई सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण है। कृषि उत्पादकता में 107 का महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मूल्य, सिंचाई में 88 और 40 एवं 33 के 'अमूल्य' की तुलना करने पर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं की दिशा में अधिक योगदान देता है। राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (तालिका-3) का द्वितीयक डेटा भी उपरोक्त परिणामों का समर्थन करता है। प्रदेश में 226313 अधिकार पत्र धारकों को *कपिलधारा योजना* के अंतर्गत 54965 कुओं, 57721 *भूमि शिल्प* के अंतर्गत, 24366 *डीजल/इलेक्ट्रिक पंपों* और 19455 अन्य *योजनाओं* के

अंतर्गत कुओं के निर्माण के लिए प्रदान किए गए हैंजो इस प्रकार की उच्च सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का आधार रहा है।भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन, बेहतर जल प्रबंधन, उन्नत बीज, उर्वरकों के माध्यम से सरकार के हस्तक्षेप ने अधिकार पत्र धारकों को खेती के लिए मान्यता प्राप्त वन भूमि से बेहतर फसल उपज प्राप्त करने में सक्षम बनाया।

अलग-अलग नमूने वाले जिलों (तालिका-2) के परिणामों में भी शहडोल और सीधी को छोड़कर एक सकारात्मक परिदृश्य सामने आया। बड़वानी और खरगोन में महत्वपूर्ण जुड़ाव मुख्य रूप से बेहतर जल प्रबंधन (बडवानी और खरगोन में सिंचाई सुविधाओं में क्रमशः 28 और 25 का महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मूल्य) के कारण एफआरए लाभार्थियों द्वारा कुओं की खुदाई और भूमि की सिंचाई के लिए डीजल/पेट्रोल पंपों के उपयोग के कारण था।इसी प्रकार, छिंदवाड़ा और मंडला में, अन्य योजना के लाभ को प्राप्त करने के अतिरिक्त कृषि उत्पादकता में सुधार (क्रमशः छिंदवाड़ा और मंडला में कृषि उत्पादकता के तहत 55 और 29 के महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मूल्य) के अंतर्गत एफआरए लाभार्थियों द्वारा प्राप्त अधिकतम लाभ के कारण सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई।शहडोल और सीधी में, खेती की जा रही वन भूमि की उत्पादकता में वृद्धि और एफआरए कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि के बीच कोई संबंध नहीं देखा गया। यह जिला अधिकारियों द्वारा भूमि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं और अन्य लाभों में सुधार सहित विभिन्न योजनाओं के अपेक्षितकार्यान्वयन न कियेजानेके कारण था। मध्य प्रदेश में विभिन्न व्यक्तिगत कल्याण योजनाओं को तालिका 3 में दिखाया गया है।

तालिका-3:- विभिन्न व्यक्तिगत कल्याणकारी योजनाएं

क्रमांक	जिला राज्य/	व्यक्तिगत शीर्षक धारकों की संख्या	एफआरए लाभार्थी				
			कपिल धारा योजना के तहत कुएं का निर्माण	भूमि शिल्प	डीजलक इलेक्ट्रि/ पंप	आवास योजना	अन्य योजनाएं
1	बड़वानी	24004	14704	5469	12232	5856	0
2	खरगोन	18037	5120	3366	1331	3139	85
3	छिंदवारा	7294	965	2628	726	2109	652
4	मांडला	9841	1633	7142	940	3750	1911
5	शाहडोल	11954	1168	1235	511	1499	84

6	सीधी	1331	250	650	26	406	100
7	मध्य प्रदेश	226313	54965	57721	24366	61009	19455

स्रोत: राज्य जनजाति कल्याण विभाग से 31.03.2019 तक के आंकड़े।

कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। एफआरए लाभार्थियों को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली गैस चूल्हा काफी उपयोगी रही है और आसपास के जंगलों पर बोझ कम हुआ है, लेकिन फिर भी लोग हर बार रिफिल के लिए जाने पर मुफ्त सिलेंडर प्राप्त करना चाहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लाभार्थियों को स्वीकृत किए जाने की सूचना है।

कल्याणकारी योजनाओं के अलावा वन क्षेत्रों को भी एफआरए की धारा 3(2) के तहत तेरह सूचीबद्ध विकास गतिविधियों के तहत विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास कार्यों के लिए डायवर्ट किया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 1272 हेक्टेयर वन क्षेत्रों को बिना किसी मोड़ औपचारिकता के डायवर्ट किया गया है। विभिन्न बुनियादी ढांचे के विकास कार्य जैसे। पारेषण लाइनों का विस्तार, पुलिया और पहुंच सड़कों का निर्माण, सीसी सड़कें, स्कूल भवन, पीडीएस दुकानें, सामुदायिक केंद्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, तालाबों का निर्माण, पेयजल सुविधाएं, वर्षा जल संचयन संरचनाएं, पशु चिकित्सा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, मॉडल स्कूल इमारतों, हाई स्कूल भवनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि ने छह नमूना जिलों सहित, उन गांवों के ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक सुधार में योगदान दिया होगा, जहां ये कार्य राज्य में किए गए हैं।

परिचर्चा:-

मध्य प्रदेश में, कृषि वह मुख्य स्रोतहै जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। चूंकि एफआरए लाभार्थी वे लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से वन पर निर्भर हैं, जिस वन भूमि पर अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं, उनका उपयोग मुख्य रूप से उनके द्वारा निर्वाह खेती अर्थात् केवल परिवार द्वारा उपभोग के लिए किया जा रहा है। यह पाया गया कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की विभिन्न

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एफआरए लाभार्थियों को उनकी भूमि की कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सभी एफआरए अधिकार पत्र धारकों का डिजीटल डेटाबेस एफआरए लाभार्थियों को शामिल करते हुए विभिन्न सरकारी कल्याण स्कीमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक उपयोगी स्त्रोत सिद्ध साबित हुआ है। पात्र लाभार्थियों की पहचान करना आसान हो गया है।चूंकि भूमि सुधार, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख आवश्यकता है और लाभार्थियों की भी यही मांग है, यह देखा गया है कि कई गांवों में पंचायतों, विशेष रूप से छिंदवाड़ा और मंडला में, वर्षा के जल को बनाए रखने के लिए भूमि को समतल और मेंडबद्ध कर दिया गया है। मिट्टी की नमी बढ़ाने और उसके पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए वर्षा जल संरक्षण को उचित प्राथमिकता दी गई है।

पानीफसलों के रोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पानी के उचित प्रबंधन के कारण फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कपिलधारा योजना के तहत अधिकांश जिलों में लाभार्थियों को कुओं की खुदाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।इसके अतिरिक्त, अधिकार पत्र धारकों को प्रदान किए गए पेट्रोल/डीजल पंपों ने भूमि की सिंचाई और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद की। इस क्षेत्र में यह भी देखा गया कि लाभार्थी कृषि विभाग द्वारा प्रदान किए गए उन्नत बीजों का उपयोग करके विभिन्न फसलें लगा रहे थे। एफआरए अधिकार पत्र धारकों को उन्नत बीजों के वितरण से उन्हें सीमित भूमि संसाधन से बेहतर उपज प्राप्त करने में मदद मिली है।विशेष रूप से मंडला और छिंदवाड़ा के वन गांवों में लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि सहकारी बैंकों द्वारा उन्हें जारी किए गए एफआरए अधिकार पत्रों को मान्यता देकर उन्हें फसल ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है। लाभार्थियों को उचित समय पर ऋण वापस करने और भूमि पर विभिन्न कृषि हस्तक्षेप लाने संबंधी लघु योजना बनाने के प्रति आश्वस्त पाया गया।तथापि, बेहतर खाद्य उत्पादन से जुड़ी विभिन्न अर्थात् मृदा क्षरण और जैव-विविधता की हानि जैसी चुनौतियों पर विचार करते हुए, इन कृषि उत्पादकता उपायों की स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है। आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखते हुए एफआरए लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृषि-वानिकी, जैविक खाद, और पारंपरिक फसलों/सब्जियों को उगाने सहित पारंपरिक पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

एफआरए 2012 के संशोधन नियम ने एफआरए अधिकार पत्र धारकों की आजीविका बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिसरण अनिवार्य कर दिया है [13]। राज्य और केंद्र दोनों की विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र समूहों में से एक के रूप में एफआरए अधिकार पत्र धारकों को शामिल किया गया है।वनवासियों को भूमि सुधार/जल प्रबंधन योजनाओं अर्थात् कपिल धारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भूमि शिल्प परियोजनाओं, डीजल / बिजली पंपों, उन्नत बीजों और फसल ऋण के अंर्तगत लाभान्वित करने के अतरिक्त प्रधान मंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और ऐसी कई योजनाओं के लाभ भी दिए जाते हैं। कई एफआरए लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थायी मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपने स्थायी आवास का निर्माण करते पाए गए।प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपूर्ति किए गए गैस चूल्हे पर्याप्त रूप से सहायक पाए गए हैंपरंतुइस संबंध में लंबे समय तक प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है क्योंकि लोगों को अभी भी हर बार गैस भरवाने के लिए नि:शुल्क सिलेंडर मिलने की आशा रहती है। इससे ईंधन-लकड़ी संग्रह के लिए जंगलों में उनका दैनिक आगमन यात्रा कम हो। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थियों द्वारा बनाए गए शौचालयों ने ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता पर सकारात्मक संदेश दिया है। कुल मिलाकर, उपरोक्त सभी योजनाओं के लाभों ने एफआरए लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्ज की है।

इसके अतिरिक्त, एफआरए ने वनों के भीतर या आसपास स्थित अधिकांश गांवों में वास्तविक आधारभूत अवसंरचना के विकास में सहायता की है। आर्थिक रूप से पिछड़े इन गांवों को एफआरए की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार तेरह सूचीबद्ध कार्योंके अंतर्गत आधारभूत अवसंरचना के विकास कार्यों के साथ संस्वीकृत किया गया था।एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा (तालिका -4) से पता चला है कि कुल 1272 हेक्टेयर वन क्षेत्रों को बिना किसी विपथन औपचारिकताओं के, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विकास कार्यों यथा पारेषण लाइनों का विस्तार, पुलियों और अभिगमन सड़कों का निर्माण, सीमेंट कंक्रीट सड़कों, स्कूल भवनों, सार्वजनिक वितरण की दुकानों, सामुदायिक केंद्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, तालाबों का निर्माण, पेयजल सुविधाएं, वर्षा जल संचयन संरचनाएं,

पशु चिकित्सा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, मॉडल स्कूल भवन, हाई स्कूल भवनऔरप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित कार्यों को करने के लिए आवश्यक रूप से बदल दिया गया है। इन आधारभूत अवसंवरचनाओं ने गांवों के आर्थिक विकास कार्यों के लिए आवश्यक योगदान दिया है।

तालिका 4:- अवसंरचना विकास कार्य (डेटा स्रोत: मध्य प्रदेश जनजाति कल्याण विभाग)

क्रम सं.	जिलाराज्य/	वन क्षेत्र विपथित (में .हे)	अवसंरचना विकास कार्य
1	बड़वानी	132.2886	ट्रांसमिशन लाइन, पुलिया और पहुंच मार्ग, सीसी रोड, स्कूल भवन, पीडीएस दुकान, सामुदायिक केंद्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, तालाबों का निर्माण, पेयजल सुविधाएं, वर्षा जल संचयन संरचनाएं, पशु चिकित्सा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, मॉडल स्कूल भवन, हाई स्कूल भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रिसाव टैंक, पेयजल टैंक आदि।
2	खरगोन	149.955	
3	छिंदवारा	57.481	
4	मांडला	39.236	

निष्कर्ष:-

सरकार द्वारा भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के माध्यम से भूमि उत्पादकता में सुधार अर्थात् भूमि को समतल और मेंडबद्ध करने, कुओं की खुदाई के माध्यम से जल प्रबंधन, पेट्रोल/डीजल पंप उपलब्ध कराने, और उन्नत बीजों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि राज्य में एफआरए अधिकार पत्र धारकों को बेहतर उपज प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।अधिकार पत्र धारकों को प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों ने भी उनके जीवन-यापन की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, विशेष रूप से विभिन्न योजना दिशानिर्देशों के बाद स्पष्ट रूप से उन्हें उनके मानदंडों के भीतर पात्र के रूप में शामिल किया गया है।इसके अतिरिक्त, औपचारिकताओं का सहारा लिए बिना वन क्षेत्रों में आधारभूतसंरचनात्मकविकास करने की गुंजाइश, जो अन्यथा वन संरक्षण अधिनियम,

1980 के अंतर्गत अनिवार्य है, ने वनों के अंदर/पास स्थित गांवों के विकास में सकारात्मक योगदान दिया है।

तथापि, एफआरए लाभार्थियों के जीवन पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावों को अधिकतम करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बहुत से समन्वित और समग्र दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। वे जिलेअर्थात्शहडोल और सीधी जहां योजनाओं का क्रियान्वयन खराब है वहाँ राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी करने की आवश्यकता हैताकि इन जिलों के एफआरए लाभार्थी इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।चूंकि सभी लाभार्थियों का डिजीटल डेटाबेस और मान्यता प्राप्त वनभूमि के भू-निर्देशांक राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं, और एफआरए गांव भी वन क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं, इसलिए जलविभाजनप्रबंधनकेआधारपर व्यापक सूक्ष्म योजना तैयार किया जाना चाहिए।यह एफआरए लाभार्थियों को पर्यावरण क्षरण के लिए कोई खतरा पैदा किए बिना, आसपास के वनों में जैव-विविधता, मिट्टी-नमी मृदा की आर्द्रता और पोषक तत्व संतुलन बनाए रखते हुए खेती के लिए उपयोग की जा रही वन भूमि से खाद्य उत्पादन की स्थिरता बनाए रखने में सहायता कर सकता है।पारंपरिक और खेती की सर्वोत्तम, पद्धतियों को जारी रखने के लिए उपयुक्त अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यों की व्यवस्था की जा सकती है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल उगाने के विभिन्न प्रमाणित कृषि-वानिकी मॉडलों को एफआरए लाभार्थियों द्वारा आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए लोकप्रिय बनाया जा सकता है। कृषि के अंतर्गत मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जैविक/वर्मी खाद पद्धतियों को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। सभी एफआरए लाभार्थियों को गैस चूल्हा / स्वच्छ ईंधन प्रदान किया जा सकता है जो ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार कर सकता है और आसपास के वनों और पर्यावरण पर ईंधन-लकड़ी के बोझ को भी कम कर सकता है।चूंकि अधिकांश वनवासियों के पास अभी भी उनके नाम पर स्थायी घर नहीं है, इसलिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।अन्य सरकारी योजनाओं अर्थात् आर्थिक प्रगति को संवर्धित करने और समान विकास को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी बढ़ावा

दिया जाए ताकि स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से अधिकाधिक एफआरए लाभार्थियों को रोजगार देने के साथ साथ युवाओं को अपने घरों में ही रहते हुए वन आधारित लघु उद्योमों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इससे एफआरए लाभार्थियोंके सामाजिक-आर्थिक स्तर में अपेक्षितसुधार हो सकता है।

संजुक्ता मुद्गल
9958634034
sanjukatamudgal@gmail.com
एवं
डॉ. जे.वी. शर्मा

संदर्भ:-

1. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय। (2020)। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की स्थिति पर मासिक अद्यतन स्थिति । दिल्ली। https://tribal.nic.in/FRA/data/MPRJan2020.pdf से प्राप्त सूचना
2. रेड्डी, एम.जी., कुमार, के.ए., राव, पी.टी., और स्प्रिंगेट-बैगिंस्की, ओ. (2011)। आंध्र प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 73-81
3. स्प्रिंगेट-बैगिंस्की, ओ, सरीन, एम, और रेड्डी, एम. जी. (2013)। प्रतिरोध अधिकार: भारत में वन नौकरशाही और कार्यकाल संक्रान्तिकाल। छोटे स्तर की वानिकी, 12(1), 107-124
4. रेड्डी, एम.जी., और नागराजू, सी. (2015)। वन अधिकार अधिनियम-2006: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कार्यान्वयन और प्रभाव विश्लेषण का एक पन: सर्वेक्षण। आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र
5. मुंस्टर, यू., और विष्णुदास, एस. (2012)। जंगल ऑफ ला में: केरल में आदिवासी अधिकार और वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 38-45
6. सत्यपालन, जे. (2010)। केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 65-72
7. वसुंधरा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परामर्शदाता। (जुलाई 2015)। भारत के वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता की संभावना। एक प्रारंभिक मूल्यांकन, अधिकार और संसाधन पहल।

https://rightsandresources.org/wpcontent/uploads/CommunityForest_July-20.pdf से लिया गया

8. जनजातीय कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। (2016)। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की स्थिति पर मासिक अद्यतन, मध्य प्रदेश।

9. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय। (2016)। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की स्थिति पर मासिक अद्यतन। https://tribal.nic.in/FRA/data/MPR2016.pdf से लिया गया।

10. भारत सरकार, भारतीय वन सर्वेक्षण। (2019)। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। देहरादून, उत्तराखंड। https://www.fsi.nic.in/forest-report-2019 से लिया गया.

11. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत https://censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html

12. एलेहंस, डी. एन., एलेहंस, वी., एंड अग्रवाल, बी. एम. (1994)। सांख्यिकी के मूलभूत आधार। इलाहाबाद: किताबमहल, 22-ए, सरोजैनी नायडू मार्ग

13. मोहंती प्रशांत, निर्माण। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर एफआरए मान्यता प्राप्त भूमि के वास्तविक उपयोग पर अध्ययन, नवंबर 2013 से लिया गया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने डिजिटल असमानता की चुनौती

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व का आधार यह है कि यह नई आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा तकनीक के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। 1986 की नई शिक्षा नीति कंप्यूटर की तकनीक के विस्तार के आलोक में तैयार की गई थी। इसके बाद सूचना तकनीक का वैश्विक स्तर पर तेजी से विस्तार हुआ है। इंटरनेट आधारित तकनीक शिक्षा के तौर तरीकों को वैश्विक स्तर पर तेजी से बदल रही है। लेकिन इस तकनीक के लिए क्या भारतीय समाज की आर्थिक व सामाजिक स्थिति इस तरह की है कि वह इस तकनीक को स्वीकार कर सकें और वैश्विक स्तर पर शिक्षा के विकास में अपनी स्थिति बेहतर और सुदृढ़ कर सकें ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के क्रम में यह सवाल एक बड़ी चुनौती की रूप में सामने आता है। यह चुनौती कितनी बड़ी है , इसका अंदाजा समाज और सरकार को कोविड़ -19 महामारी के दौरान मिला है जब पूरी दुनिया एक तरह से बंदी के हालात में पहुंच गई थी। उस दौरान यह अनुभव किया गया कि इंटरनेट आधारित तकनीक समाज और सरकार की गतिविधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संचार का माध्यम हो गया है। शिक्षण संस्थान तो इसी तकनीक के जरिये अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने के लिए बाध्यकारी स्थिति में थे। कोविड़ -19 महामारी के दौरान विद्यालयों के बंद होने के कारण इंटरनेट के जरिये कक्षाएं लगने के हालात कैसे थे यानी तकनीक के विस्तार के स्तर पर हम कहां खड़े है, इसका अध्ययन करने के लिए संसद की स्थायी समिति ने निर्णय किया।

संसद की स्थायी समिति की अध्ययन रिपोर्ट भले ही महामारी के आलोक में तैयार की गई हो लेकिन यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की चुनौतियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रुप में हमें दिखता है। संसद की स्थायी समिति ने यह अनुभव किया कि नई तकनीक के जरिये शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए कई चुनौतियां है। वास्तव में यह अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष खड़ी चुनौतियों की ओर स्पष्ट संकेत करता है। इसीलिए इस अध्ययन रिपोर्ट के महत्वपूर्ण, संपादित अंशों को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इस समिति ने शैक्षणिक संस्थानों को नई तकनीक के साथ जोड़ने के उद्देश्य से कई सिफारिशें भी की है, उसके अंशों को भी यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। अध्ययन रिपोर्ट के अंशों पर आधारित इस आलेख को **श्री रमेश कुमार** ने प्रस्तुत किया है।

कोरोना महामारी के दौरान विद्यालयों के बंद होने के कारण इंटरनेट के जरिये कक्षाएं लगने के हालात में संसद की स्थायी समिति ने जो अनुभव किया है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष खड़ी चुनौतियों को और बढ़ाता है।

महामारी से उत्पन्न नई चुनौती

वर्ष 2020 में, कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया, जिसके कारण विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बंद हो गए। भारतीय शिक्षा प्रणाली ने भी इतिहास में सबसे बड़ा व्यवधान देखा, जिससे विभिन्न विद्यालय/महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में नामांकित लगभग 32 करोड़ छात्रों की आबादी प्रभावित हुई। इनके अचानक से बंद किए जाने के कारण प्रशासन के पास कार्य नीति बनाने और दूरस्थ शिक्षा अपनाने के लिए बहुत कम समय बचा था। संकट ने सबसे कमजोर बच्चों, युवाओं और वयस्कों में से कई के अवसरों को कम करके पहले से मौजूद शिक्षा असमानताओं को बढ़ा दिया। इसने विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के समक्ष आमने-सामने पारंपरिक शिक्षण पद्धति में रुकावट के कारण तकनीकी उपकरणों के साथ डिजिटल पद्धति से शिक्षण के लिए चुनौतियां पेश की। नई ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के खुद को तैयार करने के लिए न तो शिक्षकों और न ही छात्रों को पर्याप्त समय मिला, जिसे शिक्षा को बिना रुकावट के जारी रखने के लिए इस अनूठी स्थिति में जल्दबाजी में अपनाना पड़ा था। कुछ शुरूआती समस्याओं के बावजूद, शिक्षा मंत्रालय और क्षेत्र के अन्य संगठन इस अवसर पर आगे आए और ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाने और समाज के सभी स्तरों के सभी छात्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए/उपाए किए। फिर भी, यह प्रक्रिया देश में प्रारंभिक विकास के चरण में है।

भारत समेत दुनिया में डिजिटल की चुनौती का दायरा

यूनिसेफ, भारत के प्रतिनिधियों ने समिति को दुनिया भर में स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर उनके द्वारा किए गए अध्ययनों के बारे में जानकारी दी। यूनिसेफ ने समिति को उनके द्वारा किए अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों से अवगत कराया, जो इस प्रकार हैं:-

क. मिलियन स्कूल/1.3 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्र बंद हुए जिससे 286 मिलियन से अधिक छात्रों की शिक्षा बाधित हुई;

ख. केवल 24 प्रतिशत परिवारों के पास इंटरनेट है और केवल 61.8 प्रतिशत परिवारों के पास स्मार्टफोन है;

ग. 40 प्रतिशत छात्रों ने किसी भी दूरस्थ शिक्षा साधन का उपयोग नहीं किया था;

घ. ग्रामीण छात्रों की दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच की संभावना उनके शहरी साथियों की तुलना में 10 प्रतिशत कम थी; तथा

ड. स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को मनोसामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो उनके सीखने को प्रभावित कर रहा था। आदि के संबंध में बच्चों का मार्गदर्षन कर सकें, जिसके कारण डिजिटल शिक्षा को न अपना पाना आदि ऐसी वजहें थीं जिनसे सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के छात्र कम सीख पाए।

भारत की संसद की समिति का मानना है कि इससे न केवल शिक्षा का नुकसान हुआ, बल्कि यह सामाजिक संपर्क और समाजीकरण दिनचर्या का भी नुकसान था, जो स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में छात्र-जीवन के दैनंदिन अनुभव का हिस्सा थे। इसके अलावा, शिक्षण अवसरों के अभाव का प्रतिकूल प्रभाव हमेशा समाज के सबसे कमजोर वर्गों, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों और समाज के हाशिए के वर्गों के छात्रों और लड़कियों पर पड़ता है। पिछले साक्ष्य बातते हैं कि स्कूली शिक्षा में अल्पकालिक व्यवधान के कारण अक्सर इन श्रेणियों के छात्र स्थायी रूप स्कूल छोड़ देते हैं। बहुत संभव है कि महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कई घरों की अर्जन क्षमता में कमी आई हो, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों को श्रम बाजार का हिस्सा बनना पड़ा हो और युवा लड़कियों को शिक्षा दिलाने के बजाय उनकी शादी कर दी गई हो।

संसदीय समिति का डिजिटल अभाव के मद्देनजर आकलन

एक से अधिक शैक्षणिक वर्ष के दौरान हुई अधिगम हानि ने विशेष रूप से स्कूल स्तर पर गणित, विज्ञान और भाशाओं के विषयों में छात्रों के मूलभूत ज्ञान को आवश्यक रूप से कमजोर कर दिया होगा। यह अधिगम हानि एक बड़ा नुकसान है और इससे छात्रों

की संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी आने की संभावना है। इसका समाज के कमजोर वर्गों जैसे गरीब और ग्रामीण छात्रों, समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों और युवा लड़कियों पर, जो महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की डिजिटल शिक्षा से जुड़ने में असमर्थ रहे हों, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसका समाधान करने और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यक्ता है।

संसदीय समिति के समक्ष एक अध्ययन के नतीजे

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अनुसंधान समूह द्वारा 5 राज्यों, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के 44 जिलों में जनवरी 2021 में 1137 स्कूलों में कक्षा 2 से 6 तक के 16067 बच्चों को कवर करते हुए किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में सभी वर्गों के 92 प्रतिशत बच्चे कम से कम एक विशिष्ट भाषा क्षमता खो चुके थे और 82 प्रतिशत कम से कम एक विशिष्ट गणितीय क्षमता खो चुके थे। इस प्रकार, स्कूल बंद होने से न केवल पाठ्यक्रम शिक्षा का नुकसान हुआ है, बल्कि इसने प्रतिगमन यानी छात्रों द्वारा पिछली कक्षा कोविड-19 महामारी ने छात्रों के जीवन को काफी हद तक अस्त-व्यस्त कर दिया है। देश भर में कक्षाओं और परीक्षाओं को स्थगित करना/रोकना पड़ा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र पढ़ाई से न चूकें, उच्च शिक्षण संस्थान और स्कूल आमने-सामने शिक्षण के स्थान पर ऑनलाइन कक्षाएं कराने लगे। हालांकि इसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक काम किया होगा, लेकिन इसने निश्चित रूप से स्कूली छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने, असाइनमेंट करने और खुद का ऑनलाइन मूल्यांकन कराने के लिए स्क्रीन के सामने बैठने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, यह बहस का विषय है कि क्या स्क्रीन टाइम ने छात्रों को सीखने में मदद की या वास्तव में उनकी सामाजिक और भावानात्मक भलाई सहित उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। समिति का विचार है कि ऑनलाइन शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं है, क्योंकि यह केवल सामग्री का प्रेषण है और छात्र वास्तविक शिक्षा और अवधारणाओं की समझ से वंचित रह जाता है। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान शिक्षकों और छात्रों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। बुनियादी सुविधाओं की कमी, बाहरी व्याकुलता और शिक्षण के दौरान पारिवारिक रुकावट, अर्थात कक्षा जैसे माहौल की कमी, घर में सीखने में प्रमुख समस्याएं थी। इसलिए, यह एक भौतिक कक्षा में आमने-सामने सीखने का विकल्प नहीं हो सकता है। यह माना

जाता है कि सामूहिक कार्यों में साथी छात्रों के साथ संलग्न होने पर आमने-सामने शिक्षण के साथ अधिक सीखते हैं। ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा में, छात्र केवल स्क्रीन पर देखते हैं, वे सोचते नहीं हैं, प्रश्न नहीं करते हैं, बहस नहीं करते हैं या चर्चा नहीं करते हैं। यह ज्यादातर एकतरफा संचार चैनल है जिसमें बातचीत और जुड़ाव की कोई गुंजाइश नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन/डिजिटल कक्षाओं ने माता-पिता पर बोझ डाला है, उन्हें अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए मजबूर किया है, विशेश रूप से प्राथमिक कक्षाओं से संबंधित, ऑनलाइन/डिजिटल कक्षाओं के लिए। समिति का विचार है कि आईटी सक्षम ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा ही शिक्षा का एकमात्र प्रदाता और शिक्षकों का विकल्प नहीं हो सकता है, जो प्रत्येक छात्र की क्षमता और सीखने की क्षमता के अनुसार व्यक्गित कोचिंग प्रदान करते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा का अनुभव , देश भर में केवल 11.58 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा के अनुभव का स्वयं का नमूना सर्वेक्षण स्वयं ही खुलासा करने वाला है। केवल 33.8 प्रतिशत छात्रों, 29.6 प्रतिशत शिक्षकों और 27.2 प्रतिशत अभिभावकों ने इसे अच्छा पाया, जबकि 26.4 प्रतिशत छात्रों, 15.7 प्रतिशत शिक्षकों और 25 प्रतिशत अभिभावकों ने इसे कठिन पाया। विभिन्न विषयों में कठिनाइयों की पहचान करने के मामले में, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान चिंता के विषय थे। उपकरणों के उपयोग के मामले में, छात्रों द्वारा मोबाइल का उपयोग उच्चतम प्रतिशत में किया जा रहा था, अर्थात 84 प्रतिशत, उसके बाद लैपटॉप (19.4,) टेलीविजन (5.5) और रेडियो (0.6) प्रतिशत का स्थान था। यह सर्वेक्षण उन केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में था, जो कम्प्यूटर और कम्प्यूटर लैब की उपलब्धता सहित बुनियादी सुविधाओं से बेहतर सुसज्जित हैं। हालांकि, भारतीय शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि अधिकतम छात्र, अर्थात लगभग 70 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जिनमें बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का भी अभाव है और यह मान लेना कि उनके पास डिजिटल बुनियादी सुविधाएं होगी, अवास्तविक होगा। समिति के एक प्रश्न पर, विभाग ने देश भर में प्रति 1000 छात्रों पर आईसीटी प्रयोगशालाओं की संख्या के बारे में आंकड़ा प्रस्तुत किया, जिसके अवलोकन से पता चलता है कि पुडुचेरी का संघ राज्य क्षेत्र

35 प्रतिशत उपलब्धता के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद त्रिपुरा 4.9 प्रतिशत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख 4.1 प्रतिशत और गुजरात 4 प्रतिशत है। शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/2.9 से 0.2 तक उपलब्धता प्रतिशत के साथ बहुत पीछे हैं। यह देश भर स्कूलों में तकनीकी ढांचागत सुविधाओं की कमी को उजागर करता है। यह भी पाया गया कि देश भर में केवल 11.58 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। यहां तक कि कुछ उच्च शिक्षण संस्थान, सरकारी और निजी, डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से लैस नहीं होंगे। ऐसे परिदृष्य में, यह मान लेना कि डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा सभी स्तरों पर सफलतापूर्वक प्रदान की जा रही है, सच नहीं हो सकता है।

चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता का जाहिर होना

हमारे देश में ऑनलाइन शिक्षा की ओर सम्पूर्ण बदलाव अचानक हुआ, यह धीरे-धीरे नया सामान्य होता जा रहा है और महामारी ने इस बात को रेखांकित किया है प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच साझेदारी हमेशा के लिए रहने वाली है। भारतीय शिक्षा प्रणाली पर डिजिटल शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव ने सीखने की सामग्रियों, डिजिटल सामग्री, बढ़ी हुई डिजिटल साक्षारता, सूचना साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बेहतर उपयोग, आभासी बैठकों, टेलीकांफ्रेंसिंग, वेबिनार आदि की सॉफ्ट प्रतियों के विकास में वृद्धि की, जिससे दूरस्थ शिक्षा की सुविधा, बेहतर समय प्रबंधन और विविध संसाधनों से स्वयं सीखने का अवसर और आवश्यकता के अनुसार सीखने को अनुकूलित किया गया। इसलिए, समिति का विचार है कि शैक्षणिक संस्थानों को पारंपरिक और ऑनलाइन शिक्षण पद्धति दोनों को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे कक्षाओं में प्रौद्योगिकी को शामिल करने, शिक्षकों और छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और उनके प्रदर्शन और सीखने में मदद मिलेगी तथा इस प्रकार उन्हें डिजिटल दुनिया के लिए अधिक रोजगार योग्य बनाया जा सकेगा।

डिजिटल डिवाइज

समिति ने नोट किया कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्रों के लाभ के लिए 40 प्रतिशत तक पाठयक्रम सामग्री डिजिटल रूप उपलब्ध कराई है। यह भी नोट किया गया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुसार, लगभग 85 प्रतिशत छात्र ऑनलाइन

कक्षाओं से जुड़े हुए थे और शेष छात्रों से अन्य तरीकों से संपर्क किया जा रहा था। समिति द्वारा सुने गए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने यह भी कहा कि उन्होंने शिक्षा के ऑनलाइन मोड पर स्विच किया और बताया कि छात्रों का एक अच्छा खासा प्रतिशत ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। इसने इंटरनेट संयोजकता और स्मार्ट फोन की उलपब्धता की परिकल्पना की, जिससे छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सुलभ हो गई। तथापि, समिति पाती है कि जमीनी हकीकत पूरी तरह से अलग है। देश के सभी हिस्से डिजिटल शिक्षा को सभी कोनों तक पहुंचाने और लोगों के सभी समूहों को शामिल करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी छात्र की ई-मोड तक पहुंच को समझ सकता है, लेकिन स्कूली शिक्षा में डिजिटल प्लेटफॉर्म की उलपब्धता और छात्रों तक उनकी पहुंच विवादस्पद है। स्कूली शिक्षा और साक्षारता विभाग के सचिव ने समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान स्वयं स्वीकार किया कि कनेक्टिविटी एक प्रमुख मुद्दा है।

संसदीय समिति की राय

इस मामले में दो परस्पर जुड़े मुद्दे शामिल हैं, अर्थात, पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं इसकी गति और गजेट्स तक पहुंच, अर्थात स्मार्ट फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि उलपब्धता। समिति अच्छी तरह से जानती है कि ये सुविधाएं मेट्रो और बड़े शहरों में ज्यादा उपलब्ध हैं। अधिकांश ग्रामीण, दूरस्थ क्षेत्रों में इन सुविधाओं का अभाव है, जो एक विशाल डिजिटल विभाजन का संकेत देता है। दूसरे शब्दों में, देश के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और कनेक्टिविटी की उपलब्धता गुणवत्ता खराब है। कई घरों में, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों के पास डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ने के लिए स्मार्ट फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप कम्प्यूटर/लैपटॉप यहां तक कि टेलीविजन और रेडियो भी नहीं है। इसका प्रभावी रूप से अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और सीमांत लोग, मजदूर, प्रवासी श्रमिक और महिलाएं डिजिटल शिक्षा के लाभों से वंचित रह गए हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से छात्रों तक पहुंचने और कुछ राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को डिजिटल उपकरणों की आपूर्ति करने का प्रयास किया गया था। हालांकि, केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में स्वयं मंत्रालय के स्वयं के नमूना सर्वेक्षण दर्शाते है कि केवल 5 और 0.5 प्रतिशत छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए टेलीविजन और रेडियो का इस्तेमाल किया। यूडीआईएसई

रिपोर्ट, 2019-20 में माध्यमिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर में वृद्धि 17 प्रतिशत लड़के और 15.1 प्रतिशत लड़कियां खासकर दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों पर और समाज के वंचित वर्गों पर स्कूल बंद होने और डिजिटल डिवाइड के प्रतिकूल प्रभाव का संकेत है।

समुचित दस्तावेजीकरण और आंकड़ा संग्रहण की आवश्कता

समिति सिफारिश करती है कि स्कूल और साक्षारता विभाग द्वारा कोविड के पश्चात की उन स्थितियों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहरण के लिए एक विस्तृत आंकलन करवाया जाए, जिनके कारण स्कूल बंद होने की वजह सब के अधिगम हानि हुई, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएँ :-

क. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए के वर्गों के छात्रों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेश जोर देते हुए, प्रत्येक छात्र को शामिल कर पूरे देश में तत्काल अधिगम हानि मूल्यांकन सर्वेक्षण करवाना चाहिए। सर्वेक्षण के निष्कर्षों/परिणामों की तुलना कोविड-पूर्व अवधि के आंकड़ों के साथ की जानी चाहिए और ऐसे छात्र समूहों और क्षेत्रों/विशयों की पहचान की जानी चाहिए, जिन्हें तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

ख. विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के पढ़ने, लिखने और अंकगणित संबंधी बुनयादी कौशल, और उनकी तुलना कोविड-पूर्व अवधि के परिणामों के साथ करनी चाहिए। इनके बाद हानि की भरपाई के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम/साक्ष्य आधारित बहु-आयामी कार्यनीति तैयार करनी चाहिए, ताकि भावी शिक्षा और रोजगार की संभावनाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

ग. महामारी के दौरान स्कूल न जाने वाले बच्चों, विशेशकर लड़कियां और अध्ययन सामग्री, डिजिटल उपकरणों, पौष्टिक आहार आदि के रूप में उन्हें प्रोत्साहन देकर स्कूल में और मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए की गई सम्मिलित कार्रवाई।

घ. तुलानात्मक अध्ययन/विष्लेशण के लिए और नीति निर्माताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा बेहतरी तैयारी सुनिश्चित करने और भविष्य के परिदृश्यों की योजना बनाने के लिए नीतियां निर्माण में उनकी सहायता करने हेतु जनसांख्यिकी, सामाजिक-

आर्थिक स्थिति, छात्र की सीखने की आदतों, जिसमें ऑनलाइन अध्ययन के घंटे शामिल हों, छात्रों की स्वयं सीखने की धारणा, व्यावसायिक आकांक्षाएं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव आदि के आधार पर डेटा सेट तैयार करने के लिए महामारी के दौरान ऑनलाइन/डिजिटल/दूरस्थ शिक्षा का प्रभाव।

ड़. देश के ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए के वर्गों पर विशेष बल देते हुए डिजिटल उपकरणों की उलपब्धता और उनका उपयोग तथा तत्संबंधी निष्कर्षों के आधार पर की गई उपरारात्मक कार्रवाई।

च. शिक्षकों द्वारा दृष्य-श्रव्य साधनों का उपयोग करने और डिजिटल शिक्षा प्रदान करने की उनकी क्षमता का पता लगाने के लिए विशेश रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से शिक्षकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन।

छ. देश भर के स्कूलों, विशेश रूप से ग्रामीण, जनजातीय, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के साथ-साथ आकांक्षी जिलों में डिजिटल शिक्षा में सुधार के लिए तकनीकी अवसंरचना की न्यूनतम आवष्यकता और भविष्य में ऐसी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक निवेश के साथ इस तरह की सुविधाओं के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाए; और

ज. अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में छात्रों को पाठ्यक्रम सही करने सक्षम बनाने के लिए नियमित रूप से छात्रों की सीखने की प्रगति का आकलन करने हेतु डिजिटल शिक्षा के परिणामों का साप्ताहिक आकलन।

डिजिटल विभाजन के समाधान

क. विभाग को डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए देश भर के सभी स्कूलों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और कम से कम एक टीवी सेट, एक डेस्कटॉप कम्प्यूटर और प्रोजेक्टर के साथ बड़ी स्क्रीन आदि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय कर ठोस प्रयास करना चाहिए। स्कूलों में सौर ऊर्जा एवं वायु ऊर्जा आदि जैसे गैर-पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतों का लाभ उठाकर और उन्हें आत्मनिर्भर शैक्षिक केंद्र बनाकर देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली की कमी की समस्या से निपटा जा सकता है।

ख. माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए मुफ्त पाठय-पुस्तक प्रदान करने बजाय प्रत्येक कक्षा के लिए अनुकूल प्री-लोडेड टैबलेट और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए प्री-लोडेड शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ री-फर्बिष्ड लैपटॉप वितरित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख द्वारा प्री-लोडेड टैबलेट वितरित करने के लिए उठाए गए कदमों का देश के अन्य भागों में भी अनुकरण किया जा सकता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से और आईआईटी, आईटी उद्योग, व्यापारिक घरानों आदि को शामिल करके कम लागत पर स्वदेषी रूप से ऐसे टैबलेट/लैपटॉप का निर्माण करने का प्रयास भी किया जा सकता है।

ग. प्रत्येक स्कूल में टैबलेट, लैपटॉप, शैक्षिक वीडियो और अन्य डिजिटल उपकरणों के साथ एक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है, जहां से छात्र एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए ऐसे उपकरणों को उधार ले सकते हैं।

घ. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए के वर्गों के छात्रों को डिजिटल उपकरण प्रदान करने के लिए प्रभावी सहयोग के माध्यम से निजी क्षेत्र की विशेशज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाएं। विभाग को इस प्रयोजनार्थ सीएसआर निधियों का उपयोग करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

ड. जो छात्र डिजिटल उपकरणों का खर्च नहीं उठा सकते उनके लिए नवीन कार्य-नीतियों के रूप में गांवों और छोटे शहरों में सामुदायिक हॉल, सभागार आदि में शारीरिक दूरी के साथ कक्षाओं और मोबाइल कक्षाओं आदि की संभावना तलाषी जा सकती है। ऐसे छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाने के लिए खेल के मैदानों या खुले क्षेत्रों में प्रोजेक्टर के साथ बड़ी स्क्रीन लगाई जा सकती है।

च. विभाग को विशेश रूप से समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और हाशिए के वर्गों के छात्रों के साथ-साथ सभी स्कूलों के लिए उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रियायती दरों पर इंटरनेट पैक के प्रावधान हेतु इलेट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय के साथ ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।

छ. महामारी के दौरान निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करने, डिजिटल विभाजन को पाटने और शिक्षण के नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षकों/स्कूलों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को विभाग द्वारा समानुक्रमित कर दिशा-निर्देशो/प्रथाओं के रूप में जारी किया जा सकता है, ताकि अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अपना सकें।

शिक्षकों का क्षमता निर्माण

क. विभाग को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा डिजिटल तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और ऑनलाइन मोड के माध्यम से सामग्री के कुशल और प्रभावी वितरण के लिए शिक्षकों/छात्रों द्वारा इसका इष्टतम उपयोग करने के लिए ऐसी और अधिक सुविधाएं तैयार करनी चाहिए।

ख. शिक्षकों को एक रणनीतिक तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि वे डिजिटल शिक्षा के लिए आकर्षक सामग्री बनाने में सक्षम हो सकें और छात्रों को ऑनलाइन मोड में सक्रिय बातचीत और स्कूल जैसे माहौल के निर्माण के माध्यम से संलग्न कर सकें।

ग. विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के शिक्षकों को आईआईटी, एनआईटी, निजी क्षेत्र आदि के सहयोग डिजिटल उपकरणों और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में गहन प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

घ. शिक्षकों, विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ या पिछड़े क्षेत्रों शिक्षकों के लिए घर पर डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा पैक आदि के रूप में प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाए, ताकि उन्हें डिजिटल अपनाने और नई कार्य-नीतियों/नवाचारों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

ड़. विशेष आवश्यक्ता वाले बच्चों शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए भी विकसित किए जा सकते हैं।

भविष्य के लिए मिश्रित (हाइब्रिड) शिक्षा प्रणाली

क. विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महामारी के दौरान डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के विकास के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए निवेश को व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया गया है, ताकि स्कूलों के सामान्य काम-काज शुरू करने के बाद प्राप्त लाभ समाप्त न हो जाए।

ख. विभाग को इस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करनी चाहिए और देश के हर हिस्से में छात्रों के लिए किफायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता और समान डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।

ग. परंपरागत शिक्षण प्रणाली और डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा दोनों को समान रूप से शामिल करने के लिए सभी स्तरों पर पाठयक्रम अधिगम को फिर से तैयार करने के लिए विभाग द्वारा गंभीर प्रयास किए जाएं, ताकि निकट भविष्य में मिश्रित शिक्षा एक अवधारणा के बजाय एक आदर्श बन जाए।

(यह संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के लोकसभा के पटल पर 6 अगस्त 2021 को प्रस्तुत 328 वें प्रतिवेदन के अंशों पर आधारित प्रस्तुति है।)

प्रस्तुतकर्ता : श्री रमेश कुमार
बादली, दिल्ली-110042
मोब.न. 7428404248
rameshinnalanda@gmail.com

© भारत सरकार
Government of India

ISSN : 2321-0443
UGC care List Journal

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, सेक्टर-1
नई दिल्ली-110066
दूरभाष: +91-11-26105211
वेबसाइट : www.cstt.education.gov.in

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
West Block-7, Ramakrishnapuram, Sector-1
New Delhi-110066
Telephone : +91-11-26105211
Website : www.cstt.education.gov.in